सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा
BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

सप्तदश विधान सभा वृहस्पतिवार, तिथि 27 मार्च, 2025 ई०

चतुर्दश सत्र 06 चैत्र, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न सं0–''क''2067 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, समस्तीपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2392 (श्री आनंद शंकर सिंह, औरंगाबाद)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2393 (श्री संदीप सौरभ, पालीगंज)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2394 (श्री चंद्रशेखर, मधेपुरा)

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति है कि नगर परिषद्, मधेपुरा में समाहरणालय के पास, मेन रोड SNPM उच्चतर मा० वि० के प्रवेश द्वार के पास, डाक बंगला रोड में एवं अनुमण्डल परिसर गेट के पास शौचालय एवं स्नानागार चालू अवस्था में है। उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : चंद्रशेखर जी, पूरक पूछिए ।

श्री चंद्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, सभी चौक–चौराहों पर, तो जवाब मिला है उसमें कर्पूरी चौक पर नहीं है, कॉलेज चौक पर नहीं है, जो डेंस पॉपुलेशन है, चैती दुर्गा स्थान चौक पर मधेपुरा में सुलभ शौचालय, स्नानागार नहीं है तो जब सभी चौक–चौराहों की चर्चा की तो सरकार का जवाब आया अस्वीकारात्मक । मेरा यह कहना है कि ये तीनों चौक और बहुत ही सघन है पुरानी बाजार मस्जिद चौक । इन चौकों पर कब तक सरकार स्नानागार और सुलभ शौचालय बना देगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद्, मधेपुरा में समाहरणालय के पास, मेन रोड SNPM उच्चतर मा० वि० के प्रवेश द्वार के पास, डाक बंगला रोड में एवं अनुमण्डल परिसर गेट के पास शौचालय एवं स्नानागार चालू अवस्था में है । सर, छोटा शहर है और 3 प्रमुख जगह पर शौचालय एवं स्नानागार चालू स्थिति में है तो अब इससे ज्यादा जगह हमने बोला है वहां के

अपने पदाधिकारी को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, जगह चिन्हित करके अगर अन्य जगह पर भी हमको जगह मिलेगा तो हम इसको बनाने के लिए तैयार हैं । जगह चिन्हित करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, जगह है । कॉलेज चौक पर शांति आदर्श मध्य विद्यालय के सामने है...

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए जगह, दिखवा लेंगे उसको ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, ये जगह दिखवा देंगे तो कब तक बना देंगे ?

अध्यक्ष : दीजिएगा तब न पहले, दिया ही नहीं तो कैसे होगा । उन्होंने कहा है कि जगह उपलब्ध होगा तो हम बनवाने का प्रयास करेंगे, कहा है उन्होंने । आप जगह लिखकर दीजिए, इन्क्वॉयरी करा लेंगे ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, बनवा दें न । कब तक बनवा देंगे ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चंद्रशेखर जी का सवाल है तो ऐसे ही हम तैयार हैं बनाने के लिए ।

अध्यक्ष : लीजिए, अब क्या है । बैठिए ।

तारांकित प्रश्न सं0–2395 (श्री मुहम्मद इजहार असफी, कोचाधामन)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2396 (श्री दामोदर रावत, झाझा)

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 आंशिक स्वीकारात्मक ।

जमुई जिलान्तर्गत झाझा नगर परिषद् के चरघरा मौजा स्थित 'सम्राट अशोक भवन' का निर्माण कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । संवेदक द्वारा स्वेच्छापूर्वक कार्य बंद कर दिया गया है । कार्यपालक अभियंता नगर विकास प्रमंडल, मुंगेर–जमुई के पत्रांक–123, दिनांक–16.01.2024 द्वारा संवेदक को शीघ्र कार्य पूरा करने का निदेश दिया गया है ।

पुनः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, झाझा के पत्रांक–254, दिनांक–18.02.2025 द्वारा शीघ्र कार्य पूरा करने हेतु संवेदक को सख्त निदेश दिया गया है ।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक–3515, दिनांक–22.03.2025 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, झाझा से स्पष्टीकरण पूछा गया है । नगर परिषद्, झाझा के पत्रांक–442, दिनांक–26.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक को कार्यालय नगर परिषद्, झाझा के पत्रांक–423, दिनांक–21.03.2025 द्वारा अंतिम नोटिस दिया गया है । संवेदक द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अप्रैल माह में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा । यदि निर्धारित समय के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो संवेदक के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : दामोदर जी, पूरक पूछिए ।

श्री दामोदर रावत : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री दामोदर रावत : माननीय मंत्री जी ने कहा है...

अध्यक्ष : माइक पर बोलिए ।

श्री दामोदर रावत : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि अप्रैल तक इस काम को पूरा करा देंगे लेकिन मेरा कहना है कि कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, जमुई में कॉन्ट्रैक्टर को जनवरी, 2024 में पत्र लिखा काम पूरा करने के लिए और आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ तो इसमें हमको लगता है कि विभाग भी शिथिल है क्योंकि शिथिल जो पदाधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर स्पष्ट किया है इसको देखा जाय, 21.03.2025 द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अप्रैल माह में कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा तो हम अप्रैल की बात कर रहे है, मार्च में खड़े हैं ।

अध्यक्ष : मार्च समाप्त हो रहा है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : जी, अब इससे फास्ट क्या होगा, सर का प्रश्न है हमने तुरंत इसपर कार्रवाई किया है ।

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, जमुई ने अपने पत्र के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर को स्मारित किया था जनवरी, 2024 में...

अध्यक्ष : जनवरी में कहा था लेकिन नहीं हुआ ।

श्री दामोदर रावत : और 12–13 महीने हो गए, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो हमारा कहना है कि विभाग शिथिल है आपका...

अध्यक्ष : मंत्री जी, थोड़ा और कड़ाई कर दीजिए अप्रैल तक हो जाए ।

श्री दामोदर रावत : तो उन पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई ?

अध्यक्ष : हो जाएगा, बैठ जाइए ।

तारांकित प्रश्न सं0–2397 (श्री विनय कुमार, गुरुआ)

(लिखित उत्तर)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 स्वीकारात्मक ।

खंड–2 अस्वीकारात्मक ।

गया जिलान्तर्गत गुरारू प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय करमा, पाण्डेय पोखर सूर्यमंदिर तथा देवीस्थान, गुरारू–अहियापुर रोड में करमा मोड़ यात्री रोड के पास चापाकल मरम्मति का कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया है एवं वर्तमान में उक्त सभी चापाकल कार्यरत अवस्था में है एवं संबंधित लाभार्थी संतुष्ट हैं ।

खंड–3 उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : विनय जी, पूरक पूछिए ।

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है हमने पढ़ा है । इसमें पूरक है, हमने इनको क्वेश्चन किए थे कि जो गुरारू प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, करमा, पाण्डेय पोखर, सूर्यमंदिर, देवीस्थान, गुरारू अहियापुर रोड में करमा रोड में जो चापाकल खराब है वह नहीं बनाया जा रहा है और हमारा इसमें और एक खंड था कि हमने पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी लेकिन उत्तर है कि उसको पूर्ण कर लिया गया है, चालू कर दिया गया है तो हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि गोरा मांझी पाण्डेय पोखर, सिद्धेश्वर पासवान और देवी मंदिर महोदय, वे पानी पिला दें मुझे चालू करके । इनका जो पदाधिकारी है वह अभी भी कह रहा है चालू है महोदय...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, पूरक ।

श्री विनय कुमार : महोदय, ये कब तक चालू होगा ? हमने 50 चापाकल को दिशा की बैठक में भी जाकर दिया है...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, जवाब देने दीजिए । माननीय मंत्री ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का 4 चापाकल का था खराब है । चारों चापाकल ठीक कर दिया गया, फोटो के साथ आ गया है रिपोर्ट, चारों चापाकल चालू है...

(व्यवधान)

पानी के साथ फोटो है । जियो टैग फोटो मंगाए हुए हैं पानी चलते हुए, बिना पानी के फोटो नहीं है । यह पानी चल रहा है, चारों चापाकल ठीक है । इसके अलावा कुछ होगा तो बताइएगा ।

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महत्वपूर्ण है, हमलोग पेयजल के लिए गर्मी का दिन आ रहा है । दिशा की बैठक में भी हम डी0एम0 साहब को 50 दिए, इनके पदाधिकारी को भी 50 दिए...

अध्यक्ष : वो 50 की बात नहीं करिए न, ये जो है प्रश्न में है उसकी बात करिए ।

श्री विनय कुमार : फोन किए, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि फोटो है, चालू है फिर इनके पदाधिकारी कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं । हम वहां के जनप्रतिनिधि हैं महोदय, बता दें कि वह चालू है देवी स्थान, पाण्डेय पोखर में...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठिए न ।

श्री विनय कुमार : तो हम बतायेंगे महोदय, ये नहीं, इनके पदाधिकारी इनको गुमराह करते हैं ।

अध्यक्ष : आप बैठिए न । माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जब कहा ये कि शायद उसमें से कोई चालू नहीं है, एक बार जांच फिर से करा दीजिए ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जांच की नौबत आएगी तो हम जांच भी करा देंगे, चारों 4 दिन पहले चालू हुआ है...

अध्यक्ष : करा दीजिए न, दुबारा करा दीजिए न ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : जियो टैग फोटो आया हुआ है ।

अध्यक्ष : दुबारा जांच करा दीजिए ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, फिर जांच करा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है बैठिए । श्री विजय कुमार ।

श्री विनय कुमार : महोदय, इसको फिर करवा दीजिए ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : आप जब चाहेंगे तब जांच करा देंगे ।

श्री विनय कुमार : अब बताइए ये छोटा चापाकल भी नहीं करवा सकते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप कहां घुस गए उनके मामले में, बैठ जाइए । श्री विजय कुमार ।

(व्यवधान)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : माननीय सदस्य के साथ जाकर करा देंगे ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । श्री विजय कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0–2398 (श्री विजय कुमार, शेखपुरा)

अध्यक्ष : विजय जी पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वे पढ़ दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पढ़ दीजिए । जवाब नहीं मिला है उनको ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

जिले के चेवाड़ा प्रखंड के लहना पंचायत के ग्राम घारी में अधिष्ठापित योजनान्तर्गत चालू अवस्था में है । लिकेज की समस्या की सूचना प्राप्त होते ही ससमय त्रुटियों का निराकरण कर दिया जाता है । वर्तमान में लिकेज की समस्या नहीं है ।

ग्राम बेंगुचा के वार्ड सं0–4 में क्षतिग्रस्त पाईप की मरम्मति करा दी गयी है तथा जलापूर्ति सुचारू रूप से दी जा रही है ।

खंड–2 वर्णित पत्रों में चापाकल मरम्मति कार्य तथा विभिन्न योजना में पाये गये त्रुटियों के निराकरण से संबंधित प्राप्त निदेश का अनुपालन में मरम्मति योग्य चापाकलों को तथा विभिन्न योजना में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण सुनिश्चित करा दिया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, नल से जल नहीं आ रहा है कब तक पहुंचायेंगे ?

अध्यक्ष : मंत्री जी तो कह रहे हैं कि चालू है ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय सदस्य का सवाल है मैंने उसका जवाब मंगाया है और चालू करा दिया गया है, नल को भी चालू कराया

गया है और चापाकल को भी चालू कराया है और वहां के स्थानीय लोगों से दस्तखत भी करके मंगा लिया है हमने, एक दर्जन लोगों का दस्तखत है जहां का आपका सवाल है कि लोगों ने लिखा है कि वहां पर पानी चालू है, चापाकल चालू है, नल चालू है । इसके अलावे अगर कहीं आपको लगता है तो आप हमें बताइए उसको भी हम तुरंत दिखवा देंगे ।

श्री विजय कुमार : ठीक है महोदय, धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप कहां, प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने दीजिए न । श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

तारांकित प्रश्न सं0–2399 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, शेरघाटी)

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

शेरघाटी, नगर परिषद् में टेम्पो/ई–रिक्शा स्टैंड का शीघ्र निर्माण का विचार है । इसके लिये नगर परिषद्, शेरघाटी द्वारा सरकारी भूमि का चयन किया गया है, जिसका ब्यौरा निम्नांकित है :–

खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	भूमि का किस्म
1200	663, 664, 665 एवं 666 का अंश	80 डी0	कैसरे हिंद

उपरोक्त सरकारी भूमि का नजरी नक्शा संलग्न करते हुये अनापत्ति/सहमति प्रदान करने हेतु समाहर्त्ता, गया को कार्यालय नगर परिषद्, शेरघाटी के पत्रांक–832, दिनांक–19.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है एवं इसके लिये समन्वय करते हुये अंचलाधिकारी, शेरघाटी को दिनांक–15.01.2025 को समाहर्त्ता, गया को प्रेषित अनुरोध पत्र को हस्तगत कराया गया है ।

कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेरघाटी के पत्रांक–277, दिनांक–08.03.2025 द्वारा समाहर्त्ता, गया से पुनः अनुरोध किया गया है ।

भूमि का अनापत्ति प्राप्त होते ही चयनित स्थल पर टेम्पो/ई–रिक्शा स्टैण्ड की व्यवस्था हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है । मेरा पूरक है कि नगर परिषद् बने हुए 3 साल हो गया है और अभी तक टेम्पू और ई–रिक्शा का वहां स्टैंड नहीं है तो समय अवधि बता दिया जाय, वहां बहुत जाम हो जाता है लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत होता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मैंने स्पष्ट दिया है कि कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेरघाटी के पत्रांक–277, दिनांक–08.03.2025 द्वारा समाहर्त्ता, गया से पुनः मतलब इससे पहले भी दिया गया है, पुनः अनुरोध किया गया है जो जमीन खाता–खेसरा के साथ हमारे विभाग ने मांगा है एन0ओ0सी0, एन0ओ0सी0 ज्यों ही आएगा ।

(क्रमशः)

टर्न–2/सुरज/27.03.2025

(क्रमशः)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : हम माननीय सदस्या को आश्वस्त करते हैं कि तुरंत इस टेम्पो स्टैंड को, बस पड़ाव को वहां बनाया जायेगा ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, तत्काल कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने दोबारा मंगवाया है ।

तारांकित प्रश्न सं0–2400 (श्री भाई वीरेन्द्र, मनेर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : (लिखित उत्तर) अध्यक्ष महोदय, समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुपौल जिलान्तर्गत मरौना अंचल स्थित मौजा–बसखोरा, थाना नं0–123, अंतर्गत खाता–169, खेसरा–346, रकवा–2डी0 तथा (सी0एस0) के अनुसार रैयती खाते की जमीन है, जो बेलगान है, जिसका खतियानी रैयत शुकल गोप, पिता–मांगन गोप के नाम से दर्ज है । उक्त भूमि आंशिक रूप से रमेश कुमार यादव वो शिव कुमार यादव वो राज कुमार यादव, पिता–स्व0 यदुवंशी यादव आदि के दखल में है तथा शेष भूमि खाली है । केवाला की मांग की गयी परन्तु इनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इसी मौजा–बसखोरा, थाना नं0–123 अंतर्गत खाता सं0–109/क, खेसरा–362, रकवा–18 डी0, साविक खतियान (सी0एस0) के अनुसार रैयती खाता की जमीन है, जिसका जमाबंदी निम्न प्रकार है :–

1. जमाबंदी सं0–620 बनाम राज कुमारी देवी, पति–कपिलदेव सिंह के नाम से खाता–109/क खेसरा–362, रकवा–4.495 डी0 संधारित है ।
2. जमाबंदी सं0–1051 बनाम यदुवंशी यादव, पिता–जगरनाथी यादव खाता–109/क खेसरा–362, रकवा–1.16 डी0 संधारित है ।
3. जमाबंदी सं0–1063 बनाम बसाती देवी, पति–जनकलाल यादव खाता–109/क खेसरा–362 अन्य खेसरा के साथ समिलात रूप से संधारित है।
4. जमाबंदी सं0–1369 बनाम यदुवंशी यादव, पिता–जगरनाथी यादव खाता–109/क खेसरा–362, रकवा–2.063 डी0 संधारित है ।

जिसका खतियानी रैयत भागीरथ मड़र वो पौआ मड़र वो फतुरी मड़र वो मिश्री मड़र पिता–हरलाल मड़र दर्ज है ।

प्रश्नगत जमीन पर जमाबंदी रैयतों के वारिशानों का दखल–कब्जा है।

प्रश्नगत खेसरा की जमीन, रैयती खाता का रहने के कारण इस पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम–1956 के तहत अतिक्रमणवाद नहीं चलाया जा सकता है ।

रैयती जमीन पर अतिचार के विरूद्ध पीड़ित पक्ष भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के तहत वाद दायर कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, पूरक पूछिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमें जवाब मिला है । मैं पूरक पूछना चाहता हूं कि प्रश्न में वर्णित खेसरा सं0–362, 346 एवं 347 रैयती बेलगान है तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण क्यों है तथा इसे कब तक अतिक्रमण मुक्त कराने पर सरकार विचार रखती है ?

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को स्पष्ट जवाब दिया है कि जो खेसरा सं0–362, 346 एवं 347 तो माननीय सदस्य ने उसको फिर से दोहराया है, ये तीनों रैयती है । सी0एस0 खेसरा में भी ये रैयती जमीन है इसलिये रैयती जमीन पर अतिक्रमणवाद नहीं चलाया जा सकता है । अगर किन्हीं को आपत्ति है तो डी0सी0एल0आर0 के यहां जाए । ये तीनों रैयती जमीन है, मैंने स्पष्ट रूप से जवाब भी दिया है माननीय सदस्य को ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का जवाब स्पष्ट नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी इसे पुनः जांच करवाना चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सी0एस0 खतियान की भी कॉपी है, मैंने मंगवाया है । वहां से समाहर्त्ता ने जो रिपोर्ट किया स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है । सी0एस0 खतियान की कॉपी मैंने समीक्षा के क्रम में मंगवायी और सी0एस0 खतियान में भी लिखा हुआ है कि ये तीनों रैयती किस्म की है । इसमें स्पष्ट है कि ये तीनों रैयती जमीन है, माननीय सदस्य ने जो खेसरा संख्या बताया है ये रैयती जमीन है और मेरे पास सी0एस0 लगान की कॉपी भी है । माननीय सदस्य कहेंगे तो वह सी0एस0 लगान की कॉपी भी उनको दे दूंगा, जो रैयती है।

श्री भाई वीरेन्द्र : मंत्री जी इसमें फिर से जांच करवा लीजिये ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : ठीक है माननीय सदस्य कहे हैं तो इसको दिखवा लेते हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सांच को आंच क्या ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0–2401 (श्रीमती मनोरमा देवी, बेलागंज)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : (लिखित उत्तर) अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया अंतर्गत बेलागंज विधान सभा क्षेत्र में दो प्रखंड यथा बेलागंज एवं नगर है, जिसमें कुल 476 वार्डों में से पी0एच0ई0डी0 अंतर्गत कुल 108 वार्डों में 'हर घर नल का जल' योजना के तहत कार्य कराया गया है एवं पी0आर0डी0 के द्वारा हस्तांतरित कुल 368 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है । जलापूर्ति संबंधित जिला शिकायत/जन शिकायत/माननीय जन प्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा प्राप्त शिकायतों को चयनित पी0आर0डी0 ओ एंड एम एजेंसी के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर शिकायत का निराकण करते हुये जलापूर्ति चालू कर दिया जाता है । कुछ जगहों पर गर्मी के मौसम में जलस्तर नीचे चले जाने के फलस्वरूप वैसे जगहों पर प्रखंडवार संचालित चापाकल मरम्मति दल के द्वारा चापाकल मरम्मति दल के द्वारा चापाकल में राईजिंग पाईप को बढ़ाकर चापाकल चालू कर दिया जाता है । बेलागंज विधान सभा अंतर्गत कुल 3928 अदद चापाकल कार्यरत है । वर्तमान में नियमित जलापूर्ति की जा रही है एवं पेयजल की कोई भी समस्या नहीं है ।

2. बेलागंज क्षेत्र अंतर्गत कुल 103 अदद छूटे हुये टोलों में से पी0एच0ई0डी0 अंतर्गत कुल 10 अदद छूटा हुआ टोला है, जिसमें से 03 अदद टोलों में कार्य कराकर जलापूर्ति चालू कर दिया गया है एवं 07 अदद टोलों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रगति में है । 15 अप्रैल 2025 तक योजना चालू कर दी जायेगी । शेष 93 अदद छूटा हुआ टोला पी0आर0डी0 अंतर्गत है जहां जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निविदा की गयी है ।

3. उपर्युक्त वर्णित कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती मनोरमा देवी : महोदय, बेलागंज विधान पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जल स्तर बहुत नीचे है । अधिक क्षमता की बोरिंग के साथ पानी टंकी लगाया जाय । नल जल से जो लगा हुआ है, उससे पूरा नहीं हो पा रहा है । माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करती हूं कि अधिक क्षमता वाला बोरिंग को लगाया जाय ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब विस्तार से दिया हुआ है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या का सुझाव है । एक बार उसकी जांच करवा लीजिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या से बात हो गयी है जहां भी जरूरत होगा हम इनको पानी उपलब्ध करायेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री कृष्ण कुमार ऋषि, पूरक पूछिये ।

तारांकित प्रश्न सं0–2402 (श्री कृष्ण कुमार ऋषि, बनमनखी)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, मंत्री जी एक बार उत्तर पढ़ देंगे, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिये माननीय सदस्य का ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत, जानकी नगर के पत्रांक–157, दिनांक–20.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत जानकीनगर क्षेत्रान्तर्गत पंचायत सरकार भवन अर्धनिर्मित है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 92x56 फीट है । जिसका कार्य पहली मंजिल तक की छत ढलाई तथा दूसरी मंजिल का कार्य तीन फीट तक ईंट का चुनाई हुआ है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जानकी नगर के पत्रांक–165, दिनांक–21.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को रामनगर फरसाही में अर्धनिर्मित पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण हेतु पत्र प्रेषित की गयी है । पंचायत सरकार भवन का हस्तांतरण होने के पश्चात माननीय सदस्य ने इसको सुसज्जित कराने की बात कही है, उसको सुसज्जित कराकर सामुदायिक भवन या कन्वेंशन सेंटर इसको बनाने का विचार सरकार की है । पहले पंचायत सरकार से पंचायती राज से यह नगर विकास एवं आवास विभाग को जब यह मिल जायेगा तो हम यथाशीघ्र इसको सुसज्जित करा करके जनहित में जनता को सुपूर्द करेंगे ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था 2017 में नगर पंचायत बना । रामनगर फरसाही पंचायत में पंचायत सरकार भवन, मंत्री जी स्वयं स्वीकार किये हैं कि पहला छत 80 परसेंट काम हो गया है । अब नगर पंचायत और पंचायत के फेरा में पूरा काम अधूरा पड़ा हुआ है तो सरकार का इतना पैसा फंसा हुआ है उसमें और संवेदक का भी पैसा फंसा हुआ है । जो संवेदक काम किया था उस समय पंचायती राज में उसका भी पैसा फंसा हुआ है नगर पंचायत नहीं दे रहा है न...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : मेरा कहना है कि जो बकाया है संवेदक का और उस भवन का कौन विभाग काम पूरा करेंगे ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माण और बकाये की तो इस पूरे प्रश्न में कहीं चर्चा ही नहीं है । प्रश्न में चर्चा है जो माननीय सदस्य ने कहा कि प्रथम मंजिल 80 परसेंट बना है । महोदय, प्रथम मंजिल 100 परसेंट बन गया है और दूसरी मंजिल में भी तीन फीट चुनाई हो गयी है । अब इसका माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके बाद ही इसकी चिंता की गयी है । मैं यह क्रेडिट माननीय सदस्य को ही देता हूं कि उसके बाद हमलोगों ने जो विभाग का मामला था तो जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है अगर वह पंचायती राज से हमलोगों को दे देंगे तो इसकी पूरी व्यवस्था करके इसको सुसज्जित किया जायेगा । जहां तक पेमेंट का सवाल है तो मेरे विभाग से संबंधित नहीं है । वह जिस विभाग से

संबंधित होगा वहां का प्रश्न अगर माननीय सदस्य का आयेगा तो उसका जवाब दिया जायेगा ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, मेरा स्पष्ट सवाल है...

अध्यक्ष : ऋषि जी, मैंने जितना समझा आपके प्रश्न को पहले वह पंचायत था । पंचायत में भवन बना अब हो गया नगर पंचायत । तो पहले पंचायती राज विभाग में था अब आ गया नगर विकास एवं आवास विभाग में तो इसको पूरा करना चाहते हैं, सुसज्जित करना चाहते हैं । तो माननीय मंत्री जी ने बहुत सार्थक जवाब दिया है। उसके ट्रांसफर की प्रक्रिया कर लेंगे इसके लिये उन्होंने पहल किया है और जब नगर पंचायत में शामिल हो जायेगा तो वह ट्रांसफर हो जायेगा नगर विकास एवं आवास विभाग में तो उसको सुसज्जित कर देंगे माननीय मंत्री जी । इसमें समस्या कहां है ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, समस्या...

अध्यक्ष : मंत्री जी, जल्दी करा दीजिये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : ठीक है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : जल्दी करा देंगे ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, समस्या नहीं है, ट्रांसफर सरकार अपना करे । मैंने क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया था लेकिन पंचायती राज विभाग से वहां जो बिल्डिंग बनाने में जो पैसा लगा संवेदक का...

अध्यक्ष : मंत्री जी इसकी भी चिंता कर लीजिये, इसको भी दिखवा लीजिये दोनों विभाग से बात करके...

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : वह तो दोनों विभाग के चक्कर में फंस गया न ।

अध्यक्ष : ठीक है, समझ गये आपकी बात । मंत्री जी, उसको भी दिखवा लीजिये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : ठीक है, महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2403 (श्री संतोष कुमार मिश्र, करगहर)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : (लिखित उत्तर) अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम अंतर्गत रोहतास जिला के प्रखंड–करगहर, पंचायत–रीवां, ग्राम–चिलबिली में कुल–01 अदद नल जल योजना का निर्माण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया गया है । उक्त ग्राम में कुल घरों की सं0–90 अदद है, जिसके विरूद्ध सभी घरों में गृह जल संयोजक कर सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है ।

2. करगहर प्रखंड के पंचायत–रीवां, ग्राम–चिलबिली में निर्मित नल जल योजना में पुराने मोटर के स्थान पर नया मोटर अधिष्ठापित कर दी गयी है एवं जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

3. उपरोक्त खंडों में वर्तमान की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिला है । उत्तर में पहले तो जो मैंने क्वेश्चन किया है मोटर खराब पड़ा हुआ है और टंकी भी । पानी का जो टंकी था वह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था । महोदय, यहां घरों की संख्या 90 बतायी जा रही है जो कि 150 से अधिक है और उसमें अभी भी 50–60 घर ऐसे हैं जहां पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है...

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री संतोष कुमार मिश्र : वही बता रहा हूं महोदय ।

अध्यक्ष : बताइये नहीं, पूरक पूछिये ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : हस्तांतरित होने के बाद पंचायती राज विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में हस्तांतरित होने के बाद भी आज भी मैंने पूछा है मोटर वहां चालू नहीं है । यह जवाब गलत आया है...

अध्यक्ष : संतोष जी पूरक पूछिये ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : और टंकी भी कि कब तक मोटर चालू करवा देंगे, लगा देंगे और कब तक टंकी से पानी सप्लाई की व्यवस्था करेंगे ?

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, एक और क्वेश्चन है ।

अध्यक्ष : एक ही बार तीनों पूरक पूछ लीजिये मुझे कोई दिक्क्त नहीं है ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : एक और पूरक पूछ लेता हूं कि क्या अपने विभागीय अधिकारियों पर वहां कार्रवाई करेंगे, गलत उत्तर देने के लिये । चूंकि आज भी मैंने इसके बारे में पूछा है, आज भी गांव वालों से इसकी जानकारी ली है ।

अध्यक्ष : आप बैठियेगा तब न जवाब होगा ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल था सिर्फ मोटर जला होने का तो मैंने मोटर का रिपोर्ट मंगाया । मोटर पूरी तरह ठीक कर दिया गया है, पानी चालू कर दिया गया है । अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि रिपोर्ट गलत है तो मैं माननीय सदस्य के साथ आप जब चाहे तब जांच करा करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, हम आपको वादा करते हैं और यह पूरी तरह चालू है । आप जहां कह रहे हैं टंकी, पाईपलाईन अगर वहां भी गड़बड़ी होगी, उसको भी दुरूस्त कर दिया जायेगा । लेकिन हमारे रिपोर्ट में पूरी तरह पानी चालू है । अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है तो पुनः जांच के लिये हम तैयार हैं । आप बताइये, आप कब तैयार हैं ?

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, मैं कभी–भी आज सदन समाप्त हो रहा है, कल चलने के लिये तैयार हैं ।

अध्यक्ष : गुस्सा में नहीं, गुस्सा में नहीं ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : निश्चित रूप से आपके साथ हमारे अधिकारी जायेंगे ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : गुस्सा में नहीं हैं महोदय ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : आपके साथ हमारे अधिकारी जायेंगे । अगर रिपोर्ट गलत होगी तो कठोर कार्रवाई करेंगे, हम आपको बताते हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, हो गया ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, एक मिनट...

टर्न–3/राहुल/27.03.2025

अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये न । जब निर्णय हो गया है...

श्री संतोष कुमार मिश्र : मैंने पता लगाया हुआ है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं...

अध्यक्ष : निर्णय हो गया न ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : प्रश्न पूछने के बाद हो सकता है कि मोटर इन्होंने...

अध्यक्ष : हां तो बैठ जाइये ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : नहीं–नहीं महोदय, पानी की सप्लाई नहीं चालू है...

अध्यक्ष : नहीं–नहीं क्या ? बैठ जाइये अब ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : पानी की सप्लाई नहीं चालू है...

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : पहले कौन सा पानी चलता था यह बताइये न...

अध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : यह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से पानी चल रहा है ।

अध्यक्ष : हो गया । श्री कुंदन कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0–2404 (श्री कुंदन कुमार, बेगूसराय)

अध्यक्ष : कुंदन जी पूरक पूछिये ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वीरपुर प्रखंड के वीरपुर पश्चिमी पंचायत से और बरौनी प्रखंड के बथौली पंचायत में नल–जल समस्याओं से जुड़ा हुआ है । इसका जवाब नहीं मिला है । माननीय मंत्री जी अगर एक बार जवाब पढ़ देंगे तो अच्छा होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, जवाब दिया हुआ है । (1) बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखण्ड के वीरपुर पश्चिमी पंचायत में वार्ड न0–05 पंचायती राज से हस्तांतरित योजना है । इस वार्ड में कुल 180 घर है, जिसमें 165 घरों को जलापूर्ति दी जा रही है एवं शेष बचे 15 घरों को वार्ड संख्या 04 अंतर्गत लिये गये नये योजना से आच्छादित किया जाएगा जिसका निविदा प्रक्रियाधीन है। वीरपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या–10 में 130 घरों में एवं वार्ड संख्या–08 में 150 घरों को सुचारू रूप से जलापूर्ति दी जा रही है ।

(2) बरौनी प्रखंड के बथौली पंचायत अन्तर्गत कुल 17 वार्डों में 22 अदद योजनाएँ अवस्थित है जिसमें 20 अदद योजनाएँ पूर्ण एवं सुचारू रूप से

कार्यरत हैं तथा वर्तमान में जलापूर्ति की जा रही है । शेष 02 अदद योजना अन्तर्गत, वार्ड संख्या–09 में कुल 110 घरों के आच्छादन हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ है जिसे 15 मई तक पूर्ण कर जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी तथा वार्ड नं0–12 पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजना है जिसे 135 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । शेष 50 घरों के लिए नई योजना ली गयी है जिसकी निविदा प्रक्रिया में है ।

उपरोक्त सभी योजनाओं की मरम्मति एवं संपोषण का कार्य विभाग द्वारा चयनित विभिन्न एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि काम शुरू करवाया है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां–जहां नई योजना ले रहे हैं उसको कब तक पूर्ण करा लेंगे ?

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो छूटी हुई जगह है उनकी निविदा कर दी गयी है । अगले महीने फाइनल हो जायेगी । मुझे लगता है कि अप्रैल में ही काम शुरू होगा और जल्द से जल्द आपके यहां पूरा काम हो जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री कुंदन कुमार : धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2405 (श्री भूदेव चौधरी, धोरैया)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : (लिखित उत्तर) स्वीकारात्मक। समाहर्त्ता, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि :

1. दरभंगा जिला अंतर्गत मनीगाछी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राघोपुर उत्तरी के ग्राम–नारायणपुर में मुख्यमंत्री क्षेत्र योजना अंतर्गत छतदार चबूतरा निर्माण कार्य हेतु श्री ललित कुमार यादव, माननीय विधायक, दरभंगा ग्रामीण के अनुशंसा के उपरान्त अंचल मनीगाछी के मौजा–दहोरा, थाना संख्या–02 के हाल सर्वे खेसरा संख्या–1456, किस्म–मस्जिद, रकवा–15 डी0, जो अनावाद सर्वसाधारण के खाता संख्या–1632 की एराजी है, पर चबूतरा निर्माण करने हेतु अंचल अधिकारी मनीगाछी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था।

2. परन्तु जिस भू–खण्ड पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था उस भू–खण्ड पर वक्फ बोर्ड के द्वारा दावा किया गया कि वह भूमि वक्फ की है। परन्तु हाल सर्वे खतियान में खेसरा संख्या–1456 अनावाद सर्वसाधारण की भूमि है और उक्त हाल सर्वे खेसरा संख्या–1456 साविक सर्वे खेसरा संख्या–1327 से बना है जो साविक सर्वे खतियान में गैरमजरूआ आम करके दर्ज है। वक्फ बोर्ड के दावा के आलोक में समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा प्रश्नगत भूमि को सरकारी भूमि माने जाने के संदर्भ में विभाग से मार्गदर्शन की माँग की गई है।

3. समाहर्त्ता, दरभंगा से माँगे गये उपरोक्त मार्गदर्शन के संबंध में विभाग द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना से परामर्श/मंतव्य हेतु संचिका भेजी गई है। विधि विभाग, बिहार, पटना से परामर्श/मंतव्य प्राप्त होने के पश्चात् प्रश्नगत मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : ललित जी, पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का, सरकार का जवाब देखा जाय। खंड–1 में दिये हैं यह सरकारी भूमि है, खंड–2 में भी दिये हैं कि यह सरकारी जमीन और खंड–3 में ये जवाब दे रहे हैं कि विधि विभाग से मंतव्य मांगा गया है जबकि यह राजस्व विभाग का मामला है । महोदय, यह अंचलाधिकारी की रिपोर्ट देखें । दो–दो बार अंचलाधिकारी ने दिया है कि सरकारी भूमि है तो यह योजना सरकारी, जमीन सरकारी तो यह कार्य सार्वजनिक तौर से रोक क्यों लगायी गयी है ? हम लोग चाहते हैं कि...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, 6 माह से ऊपर से सेंट्रिंग किया हुआ है, कार्य से अविलंब रोक हटायी जाय यही माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह है ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है, जिस पर पूर्व में अंचलाधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर जो मौजा–दहोरा, थाना संख्या–02 के हाल सर्वे खेसरा संख्या–1456, किस्म–मस्जिद, रकवा–15 डी0, जो अनावाद सर्वसाधारण के खाता संख्या–1632 की एराजी है । यह किस्म–मस्जिद था और जो खत दिया गया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बिहार राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा इस पर एक पत्र लिखा गया, आपत्ति दी गयी कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है ।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक/दिनांक–12.12.2024 द्वारा वक्फ स्टेट संख्या–286–320, वक्फ भूमि स्वामित्व निर्धारण के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के स्वामित्व निर्धारण के संबंध में अनुरोध किया गया था । तदालोक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के ज्ञापांक–361, दिनांक–23.01.2025 द्वारा प्रतिवेदित है कि निम्न भूमि हाजी बकाउल्लाह उप स्टेट 286–320 की है तो जब वक्फ बोर्ड द्वारा आपत्ति की गयी यह हमारी जमीन है तो जिला पदाधिकारी ने मंतव्य मांगा है तो हमने यह पूरी समीक्षा की है इसको विधि विभाग से परामर्श के लिए क्योंकि आपस का फिर यह टकराव हो गया, लिटिगेटेड हो गया तो विधि विभाग से हम लोगों ने तुरंत राय मांगी है और विधि विभाग से जैसे ही राय होगी तदानुसार हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे और हम

लोग विधि विभाग को कह भी रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें राय दे दी जाय और फिर तदानुसार राय के अनुरूप हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमने यह कहा सरकारी जमीन है...

अध्यक्ष : बैठिये न ।

श्री ललित कुमार यादव : इन्हीं के विभाग का प्रतिवेदन है, डी0एम0 सिर्फ यह कहकर रोक लगाये हैं, 6 महीने से सेंट्रिंग की हुई है जो भी निर्णय हो, सेंट्रिंग 6 महीने से की हुई है, सरकारी भूमि है, इन्हीं के प्रश्न के जवाब में है खंड–1 देखिये, 2 देखिये और किसी का कोई दावा नहीं है । एक व्यक्गित आदमी के आवेदन पर डी0एम0 जिस तरह से प्रभावित होकर रोक लगाये हैं हम लोग यह कह रहे हैं कि रोक हटा दीजिये जो विधि विभाग का परामर्श आयेगा, राय आयेगी उसके फलाफल में कार्रवाई करियेगा । काम से रोक तो हट जाय और जो...

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,...

श्री ललित कुमार यादव : इस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, 3 साल से योजना चल रही है, 6 महीने से सेंट्रिंग की हुई है जो अतिरिक्त व्यय होगा इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा ?

अध्यक्ष : बैठिये । उप मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे थे आप ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो यही कह भी रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जहां पर ऑब्जेशन है, सरकार के द्वारा बड़े स्पष्ट तौर पर जवाब दिया गया है कि वक्फ बोर्ड ने जिला प्रशासन को ऑब्जेक्शन दिया है तो जब तक निष्पादन नहीं होगा तब तक एन0ओ0सी0 कैसे, काम से रोक कैसे हटायी जा सकती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी थोड़ा उसमें...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, विषयवस्तु की जानकारी नहीं है...

अध्यक्ष : बैठिये न ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप दिखवा लीजिये, जांच करवा लीजिये । आप संचिका को मंगवा लीजिये, किन्हीं का कोई दावा नहीं है । सरकार की रिपोर्ट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि सरकारी जमीन है । महोदय, डी0एम0 का भी प्रतिवेदन देखिये...

अध्यक्ष : बैठिये न । बैठिये । माननीय मंत्री जी...

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विधायक फंड का पैसा है और आपको जब एन0ओ0सी0 मिली तभी वह वहां भवन बन रहा था तो इसको जल्दी करा दीजिये ताकि उसका निष्पादन हो जाय ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : जी महोदय ।

अध्यक्ष : विशेष पहल करके करा दीजिये ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : ठीक है महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2406 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, मनिहारी)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) (क) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

विभागीय राज्यादेश सं०–112 दिनांक–13.02.2018 द्वारा कुल रू० 1,39,33,300/– (एक करोड़ उन्चालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ रू० मात्र) के अनुमानित लागत व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् प्रथम चरण में रू० 69,66,650/– (उन्हतर लाख छियासठ हजार छः सौ पचास) आवंटित किया गया। पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–276, दिनांक–25.01.2025 द्वारा रू० 16,95,846/– (सोलह लाख पंचानबे हजार आठ सौ छियालीस रू० मात्र) आवंटित किया गया है।

आवंटित राशि के विरूद्ध लगभग 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं निर्माण कार्य जारी है। सम्राट अशोक भवन का निर्माण दिनांक 31.10.2025 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और सही उत्तर है । इसलिए कोई पूरक प्रश्न नहीं है धन्यवाद देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : मनोहर जी हो गया न आपका ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : जी महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2407 (श्री सिद्धार्थ सौरव, बिक्रम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2408 (श्री अजय यादव, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2409 (श्री अशोक कुमार सिंह, पारू)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2410 (श्रीमती प्रतिमा कुमारी, राजापाकर)

अध्यक्ष : प्रतिमा जी पूरक पूछिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है, उत्तर नहीं देखे हैं । माननीय मंत्री जी पढ़ दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक । प्रखंड राजापाकर अन्तर्गत गौसपुर पंचायत के दलित टोला में पानी टंकी से रिसाव की शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त अधिष्ठापित टंकी के स्थान पर नयी टंकी का अधिष्ठापन कर जलापूर्ति चालू कर दी गई है । योजना से अच्छादित सभी आमजन को शुद्ध पेयजलापूर्ति की जा रही है । टंकी बदल दी गयी है ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब टंकी बदली गयी वह भी टंकी फूटी हुई थी, फिर वह भी क्वेशचन में हमने कहा है और जो जवाब आया है, जवाब सकारात्मक नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि एक टीम बनवाकर सर्वे करायें । सिर्फ जहां से क्वेशचन आया है और वहां पर उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा । चूंकि हर वार्ड का, हर दलित टोले की यही समस्या है । पाई जाती है...

अध्यक्ष : ठीक है । अपना पूरक प्रश्न करिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि दलित टोले तक जाते–जाते पाईप क्यो खत्म हो जाता है और दलित टोले तक पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, इसकी जांच कराकर के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी जांच करा दीजिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लोग आज नल–जल पर सवाल करते हैं, यह नल–जल आया कब ? इन लोगों के समय में कौनसा नल–जल था...

अध्यक्ष : जांच करा दीजिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से नल–जल की योजना चालू करायी गयी है...

(व्यवधान)

और नल का जल, हर घर में पानी जा रहा है...

अध्यक्ष : हो गया, हो गया ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : यह एकदम गलत बात है । यह सब नहीं चलेगा...

(व्यवधान)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : टंकी को बदल दिया गया है और...

(व्यवधान)

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : यह नहीं चलेगा ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि नल का जल, पानी मिल रहा है...

(व्यवधान)

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : एकदम गलत जवाब है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइेय । बैठिये मान्यवर । वीरेंद्र जी पूछिये ।

तारांकित प्रश्न सं0–2411 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, सिकटा)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : (लिखित उत्तर) (क) अस्वीकारात्मक ।

(ख) आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केन्द्रीय क्षेत्रक (इसका शत् प्रतिशत वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है) योजना है, जिसका क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत क्रियान्वयन

अनुदेश के तहत् किया जाता है। इस योजना का लाभ रैय्यत किसान परिवार को दिया जाता है, जो पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करते है।

(ग) राज्य के रैय्यत एवं गैर रैय्यत किसानों द्वारा कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण पूर्ण होने के उपरांत उन्हें 13 अंकों का यूनिक आई.डी. एवं ऑनलाईन पावती प्राप्त होता है।

अध्यक्ष : वीरेंद्र जी पूरक पूछिये ।

टर्न–4 / मुकुल / 27.03.2025

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार में 70 प्रतिशत से ज्यादा खेती बटाईदार किसान संभालते हैं और बटाईदार किसानों को जो केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, 7 प्रतिशत वित्त पोषित जो योजना है, पी0एम0 किसान सम्मान निधि वाली योजना जो है उसका लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार जो है बटाईदार किसानों को लाभ देने के लिए यहां से प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजेगी, यह मेरा पहला प्रश्न है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का प्रस्ताव जो है निश्चित तौर पर उसपर सरकार विचार करेगी और भारत सरकार को भेजेगी । महोदय, हम बताना चाहेंगे कि वैसे बिहार में राज्य में कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल पर कुल 2 करोड़ 4 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिसमें कुल 1 करोड़ 78 लाख रैयत और 26 लाख गैर रैयत किसान हैं तो निश्चित तौर पर सरकार इस संबंध में केन्द्र सरकार से आग्रह करेगी कि पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना में बिहार के गैर रैयत किसानों को लाभ मिले ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, एक तो मंत्री जी ने कहा है कि हम प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, ठीक है । दूसरी बात हम पूछना चाहेंगे कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि बटाईदार किसानों को भी, यानी गैर रैयत किसानों को भी डी0बी0टी0 पोर्टल के माध्यम से उनको सुविधा दी जाती है । हम यह पूछना चाहेंगे कि अब तक कितने बटाईदार किसानों को बिहार में डी0बी0 पोर्टल के माध्यम से कृषि यंत्र के लिए, खाद, बीज के लिए सुविधा दी गयी है वैसे कितने किसान हैं, यह मेरा दूसरा पूरक है ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, जब–जब एन0डी0ए0 को सरकार में आने का मौका मिला है, हम सदस्यों को याद कराना चाहेंगे और सदन को बताना चाहेंगे कि जब देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो पहली बार किसानों के लिए महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत उन्होंने की थी और महोदय, आजादी के बाद दूसरी बार जब नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी की जब

सरकार आयी तो भारत सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से 24 फरवरी को जब प्रधानमंत्री जी भागलपुर में आये थे और वहां पर महोदय देश के 12 करोड़ किसानों को और बिहार में 83 लाख किसानों को डी0बी0टी0 के माध्यम से पूरी की पूरी राशि भेजने का काम किया । एक समय था जब कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपया भेजते हैं और लाभुक के पास 10 रुपया मात्र जाता है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सारे माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीट पर खड़े हो गये ।)

(व्यवधान)

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, यह जो जवाब है वह जवाब नहीं, बल्कि प्रचार है ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, डी0बी0टी0 के माध्यम से हमलोगों ने राशि भेजने का काम किया । महोदय, अंत में कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल पर.....

(व्यवधान)

अरे, आपलोग बैठिए अभी, आपलोगों को सीखना पड़ेगा, बात को सुनिये, सुनना चाहिए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपनी बात को बोलिए ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : जवाब दे रहे हैं, आप शांति बनाये रखिए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : शांति, शांति ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग बैठ जाइये ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : आपलोग बैठिए, हम दोनों बात बतायेंगे, शांति बनाये रखिए, शांति बनाये रखिए, यह हल्ला करने की जगह नहीं है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : बता रहे हैं, वैसे बात किया जाता है । बैठो, बैठो, बैठो, सुनो नहीं तो, बैठो तुम, बैठना पड़ेगा, क्या है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इधर देखकर बोलिए ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : बैठो, क्या है, क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे हैं । आप हल्ला कीजिएगा और हम मौन रहेंगे, अब हल्ला का जवाब हल्ला से दिया जायेगा, समझ जाइये। आप हंगामा कीजिएगा तो जवाब हम भी देंगे तैयार रहिये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अरे इधर बोलिए न ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : हम पीछे हटने वाले नहीं हैं । आप हल्ला कीजिएगा, हाउस को डिस्टर्ब कीजिएगा, बात को सुनियेगा नहीं और बाई फोर्स कीजिएगा तो प्रेम कुमार

आपके आगे झुकने वाला नहीं है । हम आपके जवाब का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इधर देखकर जवाब दीजिए । आप सभी लोग बैठ जाइये ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, राज्य में कृषि के.... ऑर्डर में लीजिए महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : राज्य में कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल डब्ल्यू0डब्ल्यू0डी0बी0टी0 एग्रीकल्चर बिहार गवर्नमेंट डॉट इन पर कुल 2 करोड़ 4 लाख किसान पंजीकृत हैं जिसमें कुल एक लाख 78 हजार रैयत, 26 लाख गैर रैयत किसान हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप बैठ जाइये, जवाब भी सुनना चाहिए, बैठ जाइये ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग सहकारिता के सभी योजनाओं में बिहार सरकार द्वारा खाद में, बीज में, यंत्र में सभी योजनाओं में बिहार सरकार के द्वारा गैर रैयत किसानों को 26 लाख गैर रैयत किसानों को सुविधा देने का काम किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, मेरा जो पूरक था, मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया कि कितने किसानों को जो बटाईदार हैं उनको खाद, बीज और यंत्र का लाभ मिला है । महोदय, ये योजनाओं का प्रचार कर रहे थे ।

अध्यक्ष : हां, योजनाओं का प्रचार करना ही चाहिए, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

(व्यवधान जारी)

प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने दीजिए न । प्रश्नकर्ता को प्रश्न करना चाहिए न ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जवाब गलत है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पार्टी के लोग आपको नहीं बोलने दे रहे हैं, मैं क्या करूं, बताइये ।

(व्यवधान जारी)

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये प्रचार कर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार क्यों नहीं करेगी, ये क्या बात हो गयी ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, विधान सभा में सवाल का जवाब पूछा जायेगा तो ये प्रचार करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, हम प्रचार करेंगे, केन्द्र में हमारी सरकार है, मोदी जी किसानों के लिए काम कर रहे हैं.....

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, ये किसान विरोधी सरकार है, ये किसानों का खून चूसने का काम कर रही है ।

(व्यवधान जारी)

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, आपलोगों ने किसानों के लिए काम नहीं किया है, आपलोगों ने किसानों को ठगने का काम किया ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहेंगे कि सरकार गरीब, बटाईदार किसानों को पहचानपत्र देगी की नहीं, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देगी की नहीं ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अटल जी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, इस सरकार में हमलोगों ने किसानों के साथ न्याय करने का काम किया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सब लोग शांत रहिये, सब लोग बैठ जाइये ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, राज्य में हमारी सरकार न्याय करने का काम कर रही है ।

अध्यक्ष : सबलोग बैठ जाइये ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है ।

अध्यक्ष : आपलोग नहीं बैठिएगा तो सदन कैसे चलेगा, आपलोग प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने नहीं दे रहे हैं । आपलोग बैठ जाइये, सबलोग बैठिए, रामबली बाबू बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदस्यों को अपमानजनक बात बोलते हैं ।

अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठिए । सत्यदेव जी, आप बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदस्यों को धमका रहे हैं, इनपर कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, बैठ जाइये । कोई किसी को धमका नहीं रहा है, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

वीरेंद्र जी, पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, मेरा पूरक वही है ।

अध्यक्ष : सब खड़े होइयेगा तो नहीं होगा । प्रश्नकर्ता को बोलने दीजिए ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मंत्री जी जो हैं, जिस असंसदीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया उसके लिए पहले ये क्षमा मांगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहेंगे कि जिस असंसदीय भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया, यह संसदीय भाषा नहीं है....

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या–2412 (श्री आबिदुर रहमान, अररिया)

अध्यक्ष : आबिदुर रहमान जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री आबिदुर रहमान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उत्तर पढ़िए ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

समाहर्ता, अररिया के प्रतिवेदनानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्चियों में जमाकर्ता का उल्लेख नहीं रहने के कारण राशि हस्तांतरण का स्रोत या उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, जिला स्तर पर गठित जांच समिति को अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि वह राशि स्वयं द्वारा जमा की गयी है ।

अंचलाधिकारी, रानीगंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है ।

श्री आबिदुर रहमान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे कर्मचारी को पहले सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों का घोटाला कर चुका है और गलत रिपोर्ट दी है और ये कई लोगों के साथ घपला किया है और करोड़ों का घोटाला है । ऐसे पदाधिकारी को पहले सस्पेंड करना चाहिए तब उसपर जांच शुरू करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जांच तो कर ही रहे हैं । ''

टर्न–5 / यानपति / 27.03.2025

अध्यक्ष : जांच तो कर ही रहे हैं ।

श्री आबिदुर रहमान : अग्रिम कार्रवाई स्वीकृत किया जाय इसका और बैंक के बैलेंस को देखा जाय ।

अध्यक्ष : अब बैठा जाय । माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो उपर्युक्त मामला है श्री राजकुमार यादव, निवासी रानीगंज, अंचल रानीगंज, जिला अररिया के परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 107 / 15 दिनांक–19.01.2025 द्वारा श्री प्रियव्रत कुमार अंचल अधिकारी रानीगंज अररिया के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु समाहर्ता अररिया को पत्र प्रेषित किया गया है । एक अन्य परिवादी द्वारा अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर मुख्य सचिव बिहार को भी एक परिवादी पत्र श्री प्रियव्रत कुमार अंचल अधिकारी रानीगंज अररिया के विरुद्ध जमीन बंदोबस्ती पर्चा प्राप्त करने के एवज में स्वयं के बैंक खाते में दो लाख रुपया एवं 75 हजार तथा अपने परिचित अनुनय कुमार के खाते में दो लाख रुपया जमा करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है । जिसके आलोक में पुनः विभागीय पत्रांक–230 / 15 दिनांक–20.02.2025 के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु समाहर्ता अररिया को पत्र प्रेषित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, पत्र प्रेषित किया गया है तदालोक में जांच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त रहने के कारण, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य सेवा के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार समेत कतिपय मामलों

के संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है । वर्ष–2024–25 के दौरान बिहार राजस्व के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के विरुद्ध कुल 475 मामले प्राप्त हुए जिसमें 153 मामले में दंड अधिरोपित किया जा चुका है । शेष 322 मामले में कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है और यह जो मामला है अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : इसी पर बोलिए ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : जो 29.01.2025 से चल रहा था और विभागीय जो हमलोगों ने जिला समाहर्ता को कहा कि उनकी जो है, अप्राप्त रहने के कारण, हमलोग की नीति है जीरो टॉलरेंस की अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले वाली सरकार नहीं है, संकल्प संख्या–491/5 दिनांक–26.02.2025 के द्वारा...

श्री आबिदुर रहमान : महोदय, इसपर विधान सभा कमेटी से जांच कराई जाय ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : आरोपित पदाधिकारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है । जैसे ही मेरे संज्ञान में आया अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बैठिए निलंबित हो गया है

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैंने तुरंत पदाधिकारी को निलंबित भी किया और विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है ।

अध्यक्ष : आबिदुर रहमान साहब, सस्पेंड कर दिया गया है उसको ।

श्री आबिदुर रहमान : एसेंबली कमेटी से इसकी जांच कराई जाय ।

अध्यक्ष : आपके कहने पर वह सस्पेंड हो गया । बैठ जाइये, आप जो कह रहे हैं वह हो गया है ।

(व्यवधान)

आज अंतिम दिन है, दोनों पक्ष ठंडा रहें, गर्म नहीं रहें । दोनों पक्षों को कह रहा हूं मैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2413 (श्री कुमार शैलेन्द्र, बिहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

समाहर्ता, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत अंतर्गत कहारपुर एवं गोविन्दपुर गोविन्द में कटाव पीड़ित परिवारों की कुल संख्या–327 है । जिसमें अभिलेख संख्या–01/2021–22 द्वारा 80 कटाव पीड़ित परिवारों को एवं 01/2024–25 द्वारा 50 परिवारों को प्रत्येक परिवार 3 डी0 की दर से कुल 3 एकड़ 90 डी0 भूमि की बंदोबस्ती पर्चा निर्गत की जा चुकी है । शेष परिवारों हेतु भूमि की खोज की जा रही है जो प्रक्रियाधीन है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा उत्तर दिया गया है । महोदय, यह गोविन्दपुर मुसहरी और कहारपुर का मामला है और 2015 में ही ये विस्थापित हुए हैं और विस्थापितों की संख्या माननीय मंत्री जी ने बताया है 327 है 2021–22

को 80 कटाव पीड़ित को पर्चा मिला, 2024–25 में 50 यानी टोटल महोदय 130 मिला है और पीड़ित परिवार है 327...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : पहला पूरक है कि 327 में केवल 130 मिला है शेष 197 को कब तक पर्चा मिल जायेगा दूसरा...

अध्यक्ष : ठीक है पूछ लीजिए दूसरा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : पूरक तीनों पूछ देते हैं, समय बचेगा क्योंकि समय बहुत ले लिए हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, पूछ लीजिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : दूसरा पूरक है, माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि यह जो बचे हुए पीड़ित परिवार हैं वह गोविन्दपुर मुसहरी कोशी पार के हैं, मुसहर समाज के हैं तो शेष पीड़ित परिवार, 130 को 10 साल लगा तो यह शेष 200 कब तक मिल जायेगा । तीसरा पूरक है यह लोग जो पीड़ित परिवार हैं यह लोग भारत सरकार के पूर्वी केबिन बिहपुर में, वह लोग रेलवे के किनारे बसे हुए हैं तो क्या माननीय मंत्री जी, जब तक इनको पर्चा नहीं मिल जाता है तब तक भारत सरकार के द्वारा हटने का पर्चा उनको दिया जाता है, वह गरीब लोग हैं क्या उनको भी तब तक, जब तक पर्चा नहीं मिलेगा रहने का आग्रह या आदेश दे सकते हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आराम से बोलिए ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दिया है कि 327 में से 130 को दे दिया गया है और भूमि की खोज हो रही है । जैसे ही भूमि प्राप्त होगी जल्द से जल्द इसकी पुनर्समीक्षा करके इसको किया जायेगा और भूमिहीन को दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : आपका तीन हो गया, जल्द से जल्द होगा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं दिए ।

अध्यक्ष : जल्द से जल्द होगा । जल्द तो एक हफ्‍ता में भी हो सकता है, एक महीना में भी हो सकता है । तीन पूरक पूछ चुके हैं आप, बैठिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, 10 साल लग गया, गरीब का सवाल है ।

अध्यक्ष : नहीं चार नहीं हो सकता है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है महोदय ।

अध्यक्ष : बैठिए । एक बार में तीन क्यों पूछ लिए, एक बार में एक पूछते तो मौका मिलता ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2414 (डॉ0 रामप्रीत पासवान, राजनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्ता, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पंचायत कोइलख एवं रांटी में पंजी–2 क्षतिग्रस्त रहने पर परिमार्जन

प्लस पोर्टल पर लेफ्ट आउट जमाबंदी के माध्यम से आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा दाखिल–खारिज के आवेदनों का विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है ।

विभाग स्तर पर उपलब्ध ऑनलाईन सूचना के अनुसार पंचायत कोइलख में लेफ्ट आउट जमाबंदी के प्राप्त कुल 48 आवेदनों में से 40 आवेदनों का निष्पादन किया गया है तथा दाखिल–खारिज के कुल 1045 मामलों में से 1044 मामलों का निष्पादन किया गया है । इसी प्रकार, पंचायत रांटी में लेफ्ट आउट जमाबंदी के प्राप्त कुल 80 आवेदनों में से 57 आवेदनों का निष्पादन किया गया है तथा दाखिल–खारिज के कुल 4923 मामलों में से 4866 मामलों का निष्पादन किया गया है ।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक–2397 (9) दिनांक–28.08.2024 के द्वारा बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाईज्ड नहीं किये गये जमाबंदी को परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किये जाने संबंधी निदेश संसूचित है ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर मिल गया है । उत्तर सकारात्मक है । मैं इन्हें बधाई देता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2415 (श्री दिलीप राय, सुरसंड)

श्री दिलीप राय : उत्तर नहीं मिला है । पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पढ़ दीजिए उत्तर ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–(क) स्वीकारात्मक है ।

खंड–(ख) आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्ता सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार रुन्नी सैदपुर अंचल के खरुआ गांव के जांचोपरांत यह पाया गया है कि उक्त खाता संख्या 1555 खेसरा 4966 खतियान में बिहार सरकार के नाम से दर्ज है । प्रश्न में वर्णित सभी व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं । जो कि माननीय सरपंच ग्राम पंचायत बलुआ द्वारा निर्गत वंशावली में वर्णित है । जांच के क्रम में यह पाया गया है कि चारों व्यक्ति ने अपनी पुश्तैनी भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा सरपंच एवं पंच द्वारा शेड्यूल बनाकर किया है जिसमें सभी को घरारी की जमीन दी गई है । जिसका खाता 1191 खेसरा 4928 रकवा 3 डिस्मिल एवं खाता 636 खेसरा 4923 रकवा 1.5 डिस्मिल आवेदक सिकंदर ठाकुर को मिला हुआ है । इसके अलावा मौजा बलुआ खरहुआं में जमाबंदी संख्या 1188 पर कुल रकवा 39.5 डिस्मिल आवेदक के बाबा के नाम से दर्ज है । इसके साथ ही अभियान बसेरा 2 के स्थलीय जांच के क्रम में आवेदक द्वारा स्वयं भूमि नहीं लेने हेतु आवेदन दिया गया था जिसके आलोक में अभियान बसेरा 2 के तहत सर्वेक्षित परिवार की सूची में इनके नामों को निरस्त कर दिया गया है ।

खंड–(ग) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : हो गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2416 (श्री अजय कुमार, बिभूतिपुर)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

समस्तीपुर जिले में कुल 78528 हे0 में धान की खेती की जाती है । संकर धान की खेती लगभग 15000 हे0 में होती है ।

समस्तीपुर जिलांतर्गत खरीफ 2024 में संकर धान प्रजाति के पायोनियर 27पी031, 27पी037, पी0एच0बी0–71, एराइज 6444 गोल्ड के धान के 1868 क्विंटल बीज किसानों के द्वारा क्रय किया गया है ।

समस्तीपुर जिलान्तर्गत किसानों को खरीफ 2024 में अनुदानित दर पर वितरित धान बीज का प्रभेदवार वितरण प्रतिवेदन निम्नवत है :–

कुल लक्ष्य	प्रभेद	कुल वितरण
2956.92 क्वीं0	सबौर श्री	81.72 क्वीं0
	सबौर सम्पन्न	2165.32 क्वीं0

खरीफ 2024 में संकर धान बीज वितरण की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गयी है ।

वित्तीय वर्ष 2025–26 खरीफ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर 30,000 क्वीं0 संकर धान एवं 10,000 क्वीं0 संकर मक्का बीज वितरण की योजना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 रबी में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) अन्तर्गत 10,000 संकर मक्का बीज वितरण की योजना है ।

अध्यक्ष : अजय जी, पूरक पूछिए ।

श्री अजय कुमार : प्रश्न का जवाब मिला है और हमारा पूरक इसमें सिर्फ इतना ही है कि समस्तीपुर जिला में सामान्य प्रभेद के धान की खेती और मक्का की खेती नहीं होती है तो फिर सामान्य प्रभेद के बीज को प्रखंड के माध्यम से किसान के ऊपर दबाव डालने का काम क्यों किया जाता है ? यह मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी लगातार आठ बार जीतने वाले विधायक हैं आपको तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, हमने स्पष्ट किया है कि समस्तीपुर जिलांतर्गत खरीफ 2024 में संकर धान प्रजाति के पायोनियर 27पी031, 27पी037, पी0एच0बी0–71, एराइज 6444 गोल्ड के धान के 1868 क्विंटल बीज किसानों के द्वारा क्रय किया गया है । महोदय, किसान जो चाहते हैं उसके हिसाब से हमलोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा पूरक था कि सामान्य प्रभेद का और सर जवाब दे रहे हैं हाइब्रिड का, अभी आप, माननीय मंत्री जी ब्लॉक में जो किसान को समस्तीपुर जैसे जिले में जो बीज दे रहे हैं वह सामान्य प्रभेद का भेज रहे हैं और वह खेती किसान नहीं करते हैं तब नतीजा क्या होता है कि वह बीज चला जाता है मिलर

के पास, एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान को चाहिए हाइब्रिड, मेरा क्वेश्चन था कि जब वह खेती नहीं करता तो वह बीज आप क्यों देते हैं ? यह मेरा क्वेश्चन था ।

टर्न–6/अंजली/27.03.2025

डॉ० प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, इस मामले की जांच कराकर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जायेगी और किसानों के हिसाब से, किसानों के मुताबिक जो आवश्यकता है वही बीज की आपूर्त्ति करायी जाएगी ।

अध्यक्ष : हाँ, बिल्कुल ठीक है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा दूसरा पूरक है ।

अध्यक्ष : नहीं, तीसरा पूरक है । आप दो बार खड़े हो गए अब तीसरी बार है ।

श्री अजय कुमार : नहीं महोदय । महोदय, खड़ा तो मुझे इसलिए होना पड़ा क्योंकि मेरा सवाल था सामान्य प्रभेद का...

अध्यक्ष : पूछिये न ।

श्री अजय कुमार : .. तो उसका जवाब उन्होंने हाईब्रिड का दे दिया ।

अध्यक्ष : अब तो उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री अजय कुमार : मेरा इसमें अब जो पूरक है कि क्या सरकार हाईब्रिड जिसके बारे में आपने चर्चा किया कि 27पी031, 27पी037, पी0एच0बी0–71 बीज जो है 1868, जिसके बारे में आपने जवाब में दिया है कि वह दिया जा रहा है, मेरा कहना है कि अगर इसका जवाब मंत्री जी दे देते हैं कि ये बीज किसान किस दुकान से लिए हैं तो आप जो कहिएगा मैं सब चीज मानने के लिए तैयार हूं । वह बीज आपके अपने माध्यम से नहीं गया, बाजार से किसानों ने खरीदा है और उसकी जानकारी बी0ए0ओ0 ने आपको दिया है, बी0ए0ओ0 के माध्यम से डी0ए0ओ0, मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या सरकार हाईब्रिड बीज जिसके बारे में आज किसान बाजार से लिया है वह बीज किसानों को अनुदानित दर पर देना चाहती है कि नहीं यह मेरा पूरक प्रश्न है ।

डॉ० प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, किसानों की आवश्यकता के हिसाब से सरकार बीज उपलब्ध कराने का काम करेगी और जो बात सामने आ रही है उस मामले की जांच करा कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : जांच करा दीजिए । श्री मुरारी मोहन झा ।

श्री अजय कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : हो गया । माननीय मंत्री जी जांच करा देंगे ।

श्री अजय कुमार : महोदय, जांच का सवाल नहीं है । हाईब्रिड बीज वह अनुदानित पर अपने माध्यम से किसानों को देना चाहती है कि नहीं, मेरा सवाल यह है ।

डॉ॰ प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि किसानों की आवश्यकता के हिसाब से निश्चित तौर पर जो ये मांग कर रहे हैं सरकार निश्चित तौर पर किसानों के हिसाब से उच्च उत्तम बीजों को, हाईब्रिड की बात हो रही है, निश्चित तौर पर सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0–2417 श्री मुरारी मोहन झा (केवटी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2418 श्री छत्रपति यादव (खगड़िया)

अध्यक्ष : छत्रपति जी, पूरक पूछिये ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, जवाब ही नहीं मिला है हमको ।

अध्यक्ष : पढ़े नहीं हैं, मिला नहीं है ऐसा नहीं कहिए । माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मानसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वार्ड नं0–10 में सत्यनारायण यादव के घर से अवधेश यादव मास्टर साहब के घर होते हुए सागर यादव के घर के नजदीक कुआँ तक जाने वाली सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को नगर पंचायत मानसी के आगामी बोर्ड से पारित करने के उपरांत नगर पंचायत मानसी द्वारा उपलब्ध राशि एवं बोर्ड की निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य नगर पंचायत मानसी द्वारा किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : हो जाएगा आपका ।

श्री छत्रपति यादव : ठीक है, मंत्री जी को धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–2419 श्री राज कुमार सिंह (महिटानी)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : 1– उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2– वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–19300, दिनांक–13.10.2023 के आलोक पशु चिकित्सकों के प्रोन्नति संबंधी मामले में पद सोपान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहने के कारण पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के किसी भी चिकित्सक की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सका है । यह भी उल्लेखनीय होगा कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अपने ही कोटि वेतनमान में वरीयतानुसार उच्चतर पद पर पदस्थापित किया गया है । साथ ही योग्य अर्हता रखने वाले पशु चिकित्सकों को अकार्यात्मक प्रोन्नति के तहत वित्तीय उन्नयन का भी लाभ दिया गया है ।

3– पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पदों का पदसोपान संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । पदसोपान के चिन्हिकरण पश्चात् बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पात्र चिकित्सकों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि उत्तर में मिला है कि पद सोपान चिन्हिकरण की प्रक्रिया लंबित होने के कारण चिकित्सा वर्ग के जो चिकित्सक हैं उनको उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है । मेरा मंत्री महोदया से सिर्फ इतना ही आग्रह होगा और पूछना चाहता हूं कि यह पद सोपान चिन्हिकरण की प्रक्रिया डेढ़ वर्षों से लंबित क्यों है और यदि लंबित है डेढ़ वर्षों से तो अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही तक इसको क्या पूर्ण कराकर चिकित्सा संवर्ग के भी चिकित्सकों को अन्य विभाग के पदाधिकारियों की भाँति उनको लाभ देना चाहती है अथवा नहीं ?

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रश्न (क) में कहा है कि उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–19300, दिनांक–13.10.2023 के आलोक पशु चिकित्सकों के प्रोन्नति संबंधी मामले में पद सोपान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहने के कारण पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के किसी भी चिकित्सक की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सका है। यह भी उल्लेखनीय होगा कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अपने ही कोटि वेतन में वरीयतानुसार उच्चतर पद पर पदस्थापित किया गया है । साथ ही योग्य अर्हता रखने वाले पशु चिकित्सकों को अकार्यात्मक प्रोन्नति के तहत वित्तीय उन्नयन का भी लाभ दिया गया है ।

पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पदों का पद सोपान संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । पद सोपान के चिन्हिकरण पश्चात् बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पात्र चिकित्सकों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार दिया जायेगा ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही पूछा है कि ये पद सोपान चिन्हिकरण की प्रक्रिया जो है वह लंबित है क्या इसको अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही तक संपन्न कराकर इनको लाभ दिया जा सकता है ?

अध्यक्ष : अगले तीन महीने में करा देंगे क्या, वे यह पूछ रहे हैं ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : इसमें कोशिश है कि सामान्य प्रशासन विभाग है और सामान्य प्रशासन विभाग को मैं निश्चित रूप से पत्र लिखूंगी और इसे कराने की कोशिश करूंगी ।

अध्यक्ष : ठीक है बैठिये ।

श्री राज कुमार सिंह : जी धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–2420 श्री शंकर सिंह (रूपौली)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । समाहर्ता, पूर्णियाँ के प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत भवानीपुर प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय मौजा भवानीपुर थाना नं0–185/2, खाता–220, खेसरा–3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3102, 3103, 1590, 1591, 1491, 1769, 4786 रकवा–09 ए० 25 डी० भूमि पर अवस्थित है, जो वर्ष 1952 से चल रहा है। उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी–2 में महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के नाम से जमाबंदी सं0–138 पर दर्ज है, जिस पर मात्र खाता सं०–220 ही दर्ज है। उक्त जमाबंदी से कालान्तर में कई दाखिल–खारिज वादों के द्वारा कुल 17 रैयतों के नाम से भिन्न–भिन्न जमाबंदी कायम हुई है, जिनके विरूद्ध अंचल अधिकारी, भवानीपुर से प्राप्त जमाबंदी रद्दीकरण प्रस्ताव वाद सं०–23/24–25 के आलोक में अपर समाहर्ता, पूर्णिया के न्यायालय में जमाबन्दी रद्दीकरण वाद सं0–191/24–25 संधारित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : श्री शंकर सिंह जी, पूरक पूछिये ।

श्री शंकर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूपौली विधान सभा के भवानीपुर प्रखंड में अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार की जमीन बेची जा रही है, अब तक जमीन सरकार के नाम से नहीं है जिसके कारण प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री शंकर सिंह : ...जल्द से जल्द जमीन अपने नाम पर करवाएं और प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन का निर्माण करवाया जाय और बिक्री की गई जमीन के दोषियों पर कार्रवाई की जाय ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत भवानीपुर में जो महाराजा रामेश्वर सिंह के नाम से रजिस्ट–टू में दर्ज था, जैसे ही मामला प्रकाश में आया है इसको तुरंत अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ के न्यायालय में जमाबंदी, रद्दीकरण वाद संख्या–191/24–25 संधारित किया गया है जो प्रक्रियाधीन है अध्यक्ष महोदय । इसकी अगली तारीख 07.04.2025 को निर्धारित है, निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इसका रद्दीकरण की प्रक्रिया नियमानुसार इसका निष्पादन किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–2421 श्री रणविजय साहू (मोरवा)

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ प्रेम कुमार, मंत्री : आशिक स्वीकारात्मक है । समस्तीपुर जिला में मोरवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मोरवा, ताजपुर और पटोरी प्रखंडों में खरीफ 2024 एवं रबी 2024–25 में मक्का का फसल का आच्छादन निम्नवत है :–

प्रखंड का नाम	खरीफ 2024 का कुल आच्छादन	मक्का से आच्छादित रकवा	प्रतिशत	रबी 2024–25 का कुल आच्छादन	मक्का से आच्छादित रकवा	प्रतिशत
मोरवा	5842	1012	17	6051	2047	34
ताजपुर	2654	223	8	3497	1244	36
पटोरी	5009	2527	50	5742	1642	29

2–अस्वीकारात्मक । रबी 2024–25 में समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोरवा विधान सभा क्षेत्र के अधीन मोरवा, ताजपुर और पटोरी प्रखंडो में माह–मार्च 2025 तक आवश्यकता के विरुद्ध यूरिया की उपलब्धता (दिनांक– 07.03. 2025 तक) की स्थिति निम्नवत है–

प्रखंड का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	स्टॉक (07.03.2025)
मोरवा	247	513.00	173.94
ताजपुर	171	207.76	69.34
पटोरी	121	284.40	123.88

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मोरवा विधान सभा क्षेत्र के अधीन मोरवा, ताजपुर और पटोरी प्रखडों में आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक की आपूर्ति की गई है । वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है । जिला में उर्वरक की कोई कमी नहीं है एवं किसी भी प्रखण्ड से उर्वरक की कमी प्रतिवेदित नहीं है ।

उर्वरक की कालाबाजारी, तस्करी तथा अधिक मूल्य पर बिक्री की रोकथाम हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है । अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी /कृषि समन्वयक का औचक निरीक्षण दल गठित कर उर्वरक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण/छापामारी किया जा रहा है । निरीक्षण/छापामारी के क्रम में किसानों को बिक्री किये गये यूरिया के मूल्य की

जानकारी ली जाती है । किसानों द्वारा अधिक मूल्य पर यूरिया क्रय की बात नहीं बतायी गयी है ।

जिला प्रशासन द्वारा भी प्रखण्डवार छापामारी दल का गठन किया गया है। छापामारी दल के द्वारा कहीं भी अधिक मूल्य पर यूरिया बिक्री प्रतिवेदित नहीं किया गया है । उर्वरक विक्रेता के अधिक मूल्य पर प्रतिष्ठान पर विभागीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, जिनकी उपस्थिति में खुदरा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों को उर्वरक की बिक्री की जाती है । किसानों को निर्धारित मूल्य पर यूरिया एवं अन्य उर्वरक प्राप्त हो रहा है ।

रबी 2024–25 में 03 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। 07 उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है ।

3–उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, रणविजय जी ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, यह सवाल किसान से जुड़ा हुआ है । यूरिया के कालाबाजारी का मामला है और जो अधिकारी जवाब बनाए हैं वही कालाबाजारी में संलिप्त रहते हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री रणविजय साहू : मेरा पूरक यह है कि राज्यस्तरीय कमेटी से सरकार यूरिया की जो कालाबाजारी हो रही है उसकी जांच कराना चाहती है ?

डॉ॰ प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, पूरे बिहार में किसानों के लिए खाद सही दाम पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं और समय–समय पर जब जानकारी मिलती है कि कालाबाजारी हो रही है, तो जिला प्रशासन द्वारा भी प्रखंडवार छापेमारी दल का गठन किया गया है । छापामारी दल के द्वारा कहीं भी अधिक मूल्य पर यूरिया बिक्री प्रतिवेदित नहीं किया गया है । उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठान पर विभागीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है जिनकी उपस्थिति में खुदरा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों को उर्वरक बिक्री की जाती है । किसानों को निर्धारित मूल्य पर यूरिया एवं अन्य उर्वरक प्राप्त हो रहा है । रबी 2024–25 में 03 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है । शिकायत जब आई, एफआईआर दर्ज किया गया है और 7 लाइसेंसधारियों का लाइसेंस रद्द करने का काम किया गया है और यदि कहीं इनको लगता है कि किसानों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर सरकार जांच कराएगी । सरकार को एक बार मैं कहना चाहता हूं पूरे बिहार में किसानों को सही दाम पर यूरिया सहित सभी खाद उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये पूरक ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री रणविजय साहू : कालाबाजारी हो रही है तो यह प्रदेश का मामला है और मेरे ही विधान सभा का मामला नहीं है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसके रोकथाम के लिए राज्य स्तर से कोई टीम बनाना चाहते हैं, धावा दल बनाना चाहते हैं आप ?

अध्यक्ष : बैठिये । माननीय मंत्री ।

डॉ॰ प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, समय–समय पर विभाग के माध्यम से ऐसा दल बनाकर छापामारी कराया जाता है, औचक निरीक्षण कराया जाता है और वैसे जिले में उर्वरक समिति बनाई गई है डी0एम0 की अध्यक्षता में और साथ–साथ समय पर कृषि विभाग के द्वारा राज्य में औचक निरीक्षण के माध्यम से धावा दल के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक सूचना है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए अभी, बैठ जाइए । दीजिएगा, हमको पढ़ने दीजिए न । बैठ जाइए ।

टर्न–7/आजाद/27.03.2025

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25(4) के आलोक में राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत् अधिसूचना सं0–एस0ओ0–50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 एवं 57, दिनांक 16.01.2025 तथा एस0ओ0–500, 501, 502, 503, 504, 505 एवं 506 दिनांक 13.12.2024 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत् अधिसूचना सं0–एस0ओ0–50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 एवं 57, दिनांक 16.01.2025 तथा एस0ओ0–500, 501, 502, 503, 504, 505 एवं 506 दिनांक 13.12.2024 की प्रति सदन पटल पर 30 दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2024, बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 एवं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

(ऑवजीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2025 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014, बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024, बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली, 2021, बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली, 2021 एवं बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2021 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2011, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2013, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2023, बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2013, बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली–2016 एवं बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली–2017 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 311 याचिकायें प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : अब कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 मार्च, 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

1. श्री डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

2. श्री महबूब आलम, स0वि0स0, श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0, श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0, श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0, श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0, श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0 एवं श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0 ।

3. श्री रणविजय साहू, स0वि0स0, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0, श्री चन्द्र शेखर, स0वि0स0, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0, श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0, श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0, श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स0वि0स0, श्री राजवंशी महतो, स0वि0स0, श्री विनय कुमार, स0वि0स0, श्री मोहम्मद इजराईल मंसूरी, स0वि0स0, श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0 एवं श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0 ।

4. श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0, श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0 एवं श्रीमती नीतु कुमारी, स0वि0स0 ।

5. श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 27 मार्च, 2025 को सदन में गैर–सरकारी संकल्प निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–19(1) एवं नियम–47 (2) के तहत् नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्य काल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

महोदय, आज 5 कार्य–स्थगन आया है, आज पढ़ने की अनुमति नहीं है । दूसरा कह रहा हूँ कि कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, उनको भी लेना है । इसलिए प्लीज, अब शून्य–काल लिये जायेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल, अपनी शून्य काल की सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान)

आज पढ़ने की अनुमति नहीं है । बहुत सारे काम बाकी हैं, आज नहीं। 5–5 हैं, आज संभव नहीं है ।

बैठिए न, पहले पवन जी को बोलने दीजिए । पवन जी बोलिए ।

शून्य–काल

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के छठ घाटों की साफ–सफाई, पेयजल, वैकल्पिक शौचालय, महिलाओं के लिए कपड़ा चेंजिंग रूम, बिजली आदि की व्यवस्था के लिए प्रत्येक छठ घाट पूजा समिति का प्रखंड कार्यालय में निबंधन कराकर 25–25 हजार प्रति छठ घाट पूजा समितियों/ ग्राम पंचायतों/शहरी निकायों को उपलब्ध करावे ।

श्री आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, बिहार में तांती/ततवा समाज के पिछड़ेपन को देखते हुए इन्हें भी अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में जोड़ने एवं आरक्षण देने की मांग करता हूँ।

श्री सुनील मणि तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के ऊर्जा विभाग में दशकों से कार्यरत मानवबल अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली की निर्बाध उपलब्धता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ।

सरकार से सभी मानवबलों को प्राइवेट एजेंसी से मुक्त करते हुए उनकी सेवा स्थायी करने, मृत्यु होने पर मुआवजा देने तथा 30,000/– वेतनमान देने की मांग करता हूँ ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर के नये परिवेश में राज्य भर के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पीरपैंती विधान सभा सहित बिहार राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह, आप अपनी सूचना को पढ़े ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कुम्हरार जाति का मूल काम मिट्टी का बर्तन बनाना तथा पाल जाति का मूल काम भेड़ पालन है, दोनों व्यवसाय घाटे का है, इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है । सरकार से दोनों जातियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वैसी विशेष योजना बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मोबाईल पशु चिकिल्सालय सुविधा हेतु विभाग द्वारा जारी टौल फ्री नम्बर–1962 पर ही पशु चिकित्सक के आये बिना दवा–सूई लिखाने से समस्तीपुर के विभूतिपुर में कई बीमार पशुओं की मौत हो गई है ।

मैं सरकार से जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : जो लिखा हुआ है, वही पढ़िए ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड एवं भरगामा प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने से स्थानीय गरीब छात्र एवं विशेषकर छात्रायें उच्चतर शिक्षा से वंचित रह रहे हैं । दोनों प्रखंडों में एक–एक डिग्री महाविद्यालय खोलने की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत हरदिया में गुजरने वाली बंगरी नदी में बरसात के मौसम में पानी बढ़ने के कारण कटाव से जन–जीवन तबाह हो जाता है । बाढ़ के विभीषिका से हुए कटाव को रोकने के लिए बांध मरम्मती एवं कटाव निरोधक कार्य की मांग करता हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में 15 हजार होमगार्ड की बहाली होनी है, जिसमें अरवल जिला समेत अन्य दो जिला को वंचित कर उक्त जिलों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है । अरवल जिला समेत वंचित सभी जिलों में होमगार्ड की बहाली की मांग करता हूँ ।

श्री बिरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में आरक्षी लाखों की संख्या में राज्य की विधि–व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्य करते हैं । उन्हें 16 आकस्मिक अवकाश, 20 क्षतिपूर्ति अवकाश तथा 30 उपार्जित अवकाश देय है । सरकार से ऊपर वर्णित अवकाश को सरलता से देने की मांग करता हूँ ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में कार्यरत सभी पुरूष लेखापाल सहायकों को भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के पत्रांक–5887, दिनांक–21.09.2022 के आलोक में प्रखंड संसाधन केन्द्रों में लेखापाल के रिक्त पद पर समायोजन करने की मांग करता हूँ ।

टर्न–8 / पुलकित / 27.03.2025

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, गर्मी का मौसम शुरू होते ही भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, जिससे मधुबनी शहर के 80 प्रतिशत चापाकलों ने काम करना बंद कर दिया है ।

युद्धस्तर पर अभियान चला कर प्रत्येक वार्ड में पांच–पांच डीप बोरिंग कर जलापूर्ति की व्यवस्था की मांग करता हूँ ।

श्री राजवंशी महतो : अध्यक्ष महोदय, श्री सुधांशु कुमार, पिता– श्री विष्णु यादव, ग्राम–बेगमसराय, पोस्ट–बछवाड़ा, जिला–बेगूसराय जो हृदय रोग से ग्रसित है, इनका इलाज इंदिरागांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में चल रहा है, पत्रांक–एम0आर0 / ई0सी0 327324, दिनांक–24.05.2024 द्वारा अनुदान भी प्राप्त है, मरीज का ऑपरेशन कराने की मांग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग के पत्रानुसार सभी योजनाओं को निविदा से कराने का निर्देश दिया गया है । निविदा से करायी जाने वाली योजनाओं में 13 प्रतिशत अभिकर्ता का मुनाफा के रूप में अधिक राशि खर्च होती है ।

अतः 15 लाख से कम राशि की योजना विभागीय स्तर पर ही कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट संवर्ग बनाने हेतु मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु तैयार की गयी संचिका पर अंतिम निर्णय लेने की मांग करती हूँ ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा अन्तर्गत तेघड़ा प्रखंड के धनकौल पंचायत के वार्ड नं0–5 एवं 6 में अवस्थित कब्रिस्तान का अर्धनिर्मित चहारदीवारी को पूरा कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के आजमनगर प्रखण्ड के जोकर पंचायत के मरिया गांव के लगभग 18 श्रमिक जो कर्नाटक मंगलुरू में काम करने गये थे। वहां कंपनी मालिकों द्वारा बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया गया है ।

अतएव कंपनी मालिक पर यथाशीघ्र कानूनी कार्रवाई करने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोढ़ा में 13 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों का पद स्वीकृत है । वर्तमान में दो एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक ही पदस्थापित हैं, जिससे आमजनों के इलाज में काफी परेशानी होती है ।

जनहित में उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को पदस्थापित कराने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरादेई महान स्वतंत्रता सेनानी आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद की जन्मभूमि है । इसलिए जीरादेई रेलवे स्टेशन का नामकरण देश रत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के नाम से करने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका को वर्तमान में मात्र–7000/– रुपया मासिक वेतन मिलता है । जिससे उनके परिवार का भरण–पोषण करना संभव नहीं है । मैं आंगनबाड़ी सेविकाओं को मासिक वेतन 7000 से बढ़ाकर 18000/– रुपये प्रतिमाह करने की मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के पत्रांक–3115, दिनांक–17.10.2024 द्वारा कर्मियों की कार्यावधि एक वर्ष विस्तार कर दी गयी है । किन्तु मध्याह्न भोजन योजना के पत्रांक–491, दिनांक–24.02.2025 द्वारा कर्मियों की सेवा 31.03.2025 के बाद समाप्त कर दी जायेगी।

उक्त कर्मियों की कार्यावधि एक वर्ष विस्तार की मांग सरकार से करता हूं ।

मोहम्मद इसराईल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत काँटी प्रखंड स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर एक सिद्धपीठ है । जहाँ माता की वैष्णव रूप में पूजा की जाती है । असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त मंदिर परिसर के निर्माण कार्य में बाधा एवं पुजारी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ।

अतः असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार गजट, दिनांक– 08.02.2018 से सृजित 4257 पदों पर बहाल +2 अतिथि शिक्षकों द्वारा 6 साल सेवा देने के बावजूद शिक्षा विभाग के पत्रांक 325, दिनांक 30.03.2024 द्वारा इन्हें हटा दिया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0–1003/2025 के निर्णय के आलोक में +2 अतिथि शिक्षकों की पुनर्बहाली हो ।

मोहम्मद अनजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों में वार्षिक वेतनवृद्धि छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद से अबतक वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रखा गया है ।

मैं वेतन वृद्धि पर लगे रोक को हटाते हुए मदरसा शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अंतर्गत महुआवा से सुपैना के बीच एवं सोनबरसा प्रखण्ड को रजवाड़ा ग्राम होकर बहने वाली बांके नदी पर बाढ़ से ध्वस्त पुल के कारण आम जनता को कठिनाई होती है ।

अतः महुआवा से सुपैना के बीच एवं रजवाड़ा ग्राम में पुल बनाने की मांग सरकार से करती हूँ ।

श्री रामवृक्ष सदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार में संविदा पर विधिवत नियोजित कर्मियों का संविदा अवधि का विस्तार सेवानिवृत्ति की आयु

तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प सं0–12534, दिनांक–17.09.2018 के आलोक में संविदा अवधि का विस्तार सेवानिवृत्ति की आयु तक करने की मांग करता हूँ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, जमुई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरहट प्रखंड में स्थित लथलथ उच्च विद्यालय के 65 एकड़ भूमि का तेजी से हो रहे अतिक्रमण और फलस्वरूप लीज नहीं हो पाने के कारण हो रहे राजस्व घाटे को देखते हुए भूमि को घेराबंदी हेतु चहारदीवारी निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूँ ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्कूलों में रसोईया कार्यरत है परंतु उन्हें इतनी कम राशि दी जाती है कि उनका जीवनयापन नहीं होता । सरकार ने जो केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है वह भी अत्यल्प है ।

अतः रसोईया को न्यूनतम 15,000/– रुपये प्रतिमाह दिये जाने की मांग करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के आदेश पर बी0पी0एस0सी0 द्वारा ली जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा में दी जा रही उम्र सीमा की छूट को समाप्त कर दिया गया है । अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए दस वर्ष उम्र में छूट एवं पांच अवसर प्राप्त हो इसकी मांग सदन से करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों व नगर पंचायत, परिषद व निगम के वार्ड पार्षदों को बहुत ही कम मानदेय मिलता है । इतने कम मानदेय में उनका जीविकोपार्जन संभव नहीं है ।

अतः उनका मानदेय 30,000/– रुपये प्रतिमाह करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में दलित गरीबों पर सामंती हमला बढ़ा है । सिवान जिले के गोरियाकोठी के कल्याणपुर में सामंतियों द्वारा जमींदार माझी को बुलेट से बांधकर घसीटने से हुई मौत का मुकदमा 316/2023 में आजतक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है । मैं सरकार से गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

टर्न–9/अभिनीत/27.03.2025

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार ।

(व्यवधान)

प्रणव जी, अपनी सूचना पढ़िये । माननीय सदस्यण, आपस में बातचीत नहीं कीजिए ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, मुंगेर में दो राष्ट्रीय राजमार्ग तथा एक राष्ट्रीय उच्च पथ तथा एक ग्रीनफील्ड सड़क निर्माणाधीन है । सदर अस्पताल, मुंगेर में ट्रामा सेंटर नहीं होने

के कारण दुर्घटनाग्रस्त लोग मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं या दम तोड़ देते हैं ।

अतः सदर अस्पताल, मुंगेर में ट्रामा सेंटर खोलने की मांग करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजापाकर, देसरी एवं सहदेई प्रखंड के नल–जल पम्प ऑपरेटरों को उनके श्रम सेवा की राशि लंबित है ।

अतः सदन के माध्यम से इनके लंबित देय राशि का शीघ्र भुगतान करने की सरकार से मांग करती हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओगरी भवन के अभाव में पंचायत मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर अव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है । ओगरी गांव में बिहार सरकार की उपलब्ध भूमि पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओगरी का भवन निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, समस्तीपुर जिलांतर्गत मोरवा प्रखंड में बाबा केवल स्थान जिसे राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है । मेला में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्थल पर अस्पताल और मूल–भूत सुविधा की कमी है ।

अतः उक्त स्थल पर अस्पताल और मूल–भूत सुविधा मुहैया कराने की मांग करता हूं ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, राज्य के अराजकीय अस्वीकृत अनुदानित मदरसों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मियों को पंचम एवं षष्टम वेतन तथा महंगाई भत्ता की अंतर राशि का दिनांक–01.03.1989 से भुगतान हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ।

अतः इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक, आर्थिक आधार पर 24.02.2022 को ही बिहार राज्य हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची से ततवा जाति को विलोपित करने की सिफारिश की । सरकार से ततवा जाति को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव पुनः संसद भेजने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, नरकटियागंज नगर परिषद सहित राज्य के सभी नगर निकायों के वार्ड पार्षद का वेतन काफी कम है, जिससे उन्हें समाज सेवा करने में कठिनाई होती है ।

अतः नरकटियागंज नगर परिषद सहित सभी नगर निकाय के वार्ड पार्षद के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, शहाबाद जिलांतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के हेतमपुर निवासी स्वतंत्रता सेनानी बद्री अहीर महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका से चम्पारण

तक सत्याग्रह में थे । बद्री अहीर ने गांधी जी को अफ्रीका में 1000 पौंड आर्थिक मदद किये थे । बद्री अहीर की मूर्ति का आनावरण आरा में करने की मांग करता हूं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 9533, दिनांक–01.07.2015 द्वारा दांगी जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने के बावजूद सोनपुर एवं दिघवारा अंचल में दांगी जाति को अतिपिछड़ा का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है ।

अतएव दांगी जाति को अतिपिछड़ा प्रमाण पत्र निर्गत कराने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जहानाबाद जिला मुख्यालय से धरधा, जमुनईया नदी ठाकुरबाड़ी गौरक्षणी के बीच से गुजरती है । वहां पर दोनों नदियों का संगम भी होता है । हजारों की संख्या में लोग छठ व्रत करते हैं । सरकारी स्तर पर भगवान भास्कर महोत्सव करवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, पान समाज के उपाधिधारी तांती/ततवा को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाने से इस जाति के लाखों परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

अतः उक्त जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसा करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री भरत बिन्द : महोदय, कैमूर जिलांतर्गत कर्मनाशा से चांद तक पक्की नहर से ग्राम नौकटा पुल से ग्राम विडरी तक कच्ची सड़क होने के कारण दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है ।

उक्त कच्ची सड़क को पक्कीकरण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, बिहार राज्य में दिनांक–31.03.2025 तक भूमि सर्वे हेतु कागजात जमा करने की तिथि निर्धारित है । राज्य में 50 प्रतिशत भूमि स्वामी कागजात जमा नहीं कर सके हैं ।

अतः दिनांक–31.03.2025 तक कागज जमा करने की तिथि को बढ़ाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गर्मी से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है । जोर–जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तथा अत्यधिक बढ़े हुए बिल से उपभोक्ताओं में दहशत है । समय पर बिजली के अभाव में खेती बर्बाद हो रही है । गरीबों, किसानों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त तथा बकाया बिल माफ करे सरकार ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, खगड़िया जिला में बहुतायत संख्या में किसान जमीन के स्वघोषणा व परिर्माजन से वंचित रह गए हैं । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्वघोषणा व परिमार्जन की अंतिम तिथि – 31.03.2025 तक तय है ।

स्वघोषणा व परिमार्जन हेतु एक वर्ष समय–सीमा बढ़ाने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, रात्रि प्रहरी की नियुक्ति विद्यालयों में पांच हजार रुपये मानदेय पर की गयी है जो इस महंगी व्यवस्था में काफी कम है । अस्तु 15000 रुपये रात्रि प्रहरी को प्रतिमाह मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शॉटगन शूटिंग रेंज के निर्माण की मांग करता हूं ।

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, नवादा के जिलाधिकारी, सिविल सर्जन की जांच में हिसुआ, अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों, चिकित्सकों के गायब मिलने से लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिलता है । गैर चिकित्साकर्मियों द्वारा गलत इलाज से अप्रिय घटनाएं घटती हैं । अतः प्रभारियों, चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग करती हूं ।

श्री बिजय सिंह : महोदय, बिहार राज्य में कार्यरत किसान सलाहकार का मानदेय बढ़ाया जाय एवं इन्हें नियमित किया जाय ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, लालगंज विधान सभा के सराय से रेपुरा जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का प्राक्कलन जो 43,11,55,000 का है, की तकनीकी स्वीकृति ले ली गयी है ।

(व्यवधान)

मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए सराय से रेपुरा की सड़क का चौड़ीकरण करावे ।

टर्न–10 / हेमन्त / 27.03.2025

श्री विशाल प्रशांत : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं । उनको सुनिये । बोलिये, फिर से पढ़िये ।

श्री विशाल प्रशांत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम–23(क) के तहत भोजपुर जिला के पीरो प्रखण्ड के पीरो बाजार में मुख्यतः लोहिया चौक पर एवं राज्य उच्च पथ के किनारे अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु शून्यकाल की सूचना देता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, हम सूचना पर खड़े हैं । ध्यानाकर्षण हम भी दिये थे, आज तक आ नहीं रहा है और पहले से सरकार का आश्वासन है, वहां के ग्रामीणों को जब तक वैकल्पिक रास्ता नहीं बनेगा, तब तक हम चहारदीवारी का

निर्माण नहीं करायेंगे। चहारदीवारी का निर्माण हो रहा है महोदय, अपने से इसको देख लिया जाय।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' एवं श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री अरूण शंकर प्रसाद । आपकी सूचना पढ़ी हुई है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि उल्लेखित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विभाग स्तर से लगातार प्रयास किया जा रहा है । इसमें अपेक्षित प्रगति भी हो रही हे । विभाग द्वारा पुराने योजनाओं की अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा कराने के उपरांत उत्क राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु जिलों को निदेश दिया गया था जिसके समायोजन की प्रक्रिया चल रही है । वर्तमान में विभिन्न मदों का लगभग 7 हजार करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलों से प्राप्त हुआ है जिसमें 3065.05 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजन हेतु महालेखाकार को भेजा गया है । शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन है ।

विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन हेतु सभी जिलों के साथ नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है । विभागीय नवनियुक्त अंकेक्षकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है । प्रशिक्षणोपरांत सभी जिलों में इन्हें पदस्थापित किया जायेगा जिससे योजनाओं का अंकेक्षण कार्य लगातार किया जा सकेगा । फलस्वरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन में तेजी आ सकेगी । पंचायती राज विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समायोजन कराने के लिए प्रयासरत है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, उत्तर प्राप्त है और माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक उत्तर दिया है । महोदय, इसीलिए मैं संतुष्ट हूं ।

सर्वश्री भाई वीरेन्द्र, मुकेश कुमार रौशन एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र । आपकी सूचना पढ़ी हुई है ।
माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, State Environment Impact Assessment Authority, Bihar (बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण) के पत्रांक–267, पटना, दिनांक– 23.05.2022 द्वारा पटना जिला का अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में गंगा नदी में 29 बालूघाटों को अनुमोदित किया गया था, जिसकी 6 बार ई–नीलामी के माध्यम से बन्दोबस्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन के पश्चात मात्र 1 बालूघाट की बन्दोबस्ती हो पायी थी ।

उपर्युक्त के आलोक में गंगा नदी अन्तर्गत ई–नीलामी हेतु शेष बचे अनुमोदित बालूघाटों की ई–नीलामी में कोई निविदादाता द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण उक्त शेष बचे 28 बालूघाटों को 145 बालूघाटों में विखंडित कराया गया, जिसे State Environment Impact Assessment Authority, Bihar (बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण) के पत्रांक–391, पटना, दिनांक–03.11.2023 द्वारा District Survey Report में संशोधित कर अनुमोदित किया गया है, जिसके पश्चात् उक्त विखंडित बालूघाटों की ई–नीलामी के माध्यम से बन्दोबस्ती हेतु दैनिक समाचार पत्रों में 7 बार विज्ञापन कराया गया, जिसमें 12 बालूघाटों की ई–नीलामी के माध्यम से बन्दोबस्ती करायी गयी है । ज्ञातव्य हो कि 28 जनवरी 2024 से पूर्व गंगा नदी अन्तर्गत जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में अनुमोदित बालूघाटों में से मात्र 4 बालूघाटों की बन्दोबस्ती हो पायी तथा 28 जनवरी 2024 के पश्चात 9 बालूघाटों की बन्दोबस्ती करायी गयी अर्थात् वर्तमान में गंगा नदी अन्तर्गत कुल नीलामीत बालूघाटों की संख्या–13 है ।

पटना जिलान्तर्गत गंगा नदी के उक्त नीलामीत 13 बालूघाटों में से वर्तमान में गंगा नदी में दो बालूघाट संचालित है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:–

क्र0सं0	बालूघाट का नाम	बालूघाट की स्थल की विवरणी
01	पटना गंगा बालूघाट कलस्टर संख्या–04	मौजा–बेनिपुरदियारा, अंचल–बख्तियारपुर, जिला–पटना।
02	पटना गंगा बालूघाट संख्या–09–ए	मौजा– रामनगर दियारा, अंचल–बख्तियारपुर, जिला–पटना ।

दानापुर क्षेत्रान्तर्गत State Environment Impact Assessment Authority, Bihar द्वारा अनुमोदित District Survey Report में कुल चिन्हित 8 बालू घाटों में सभी बालू घाट नीलामीत हैं ।

पटना जिलान्तर्गत गंगा नदी में कुल नीलामीत 13 बालूघाटों में से 02 बालूघाट संचालित हैं एवं 09 बालूघाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति तथा अन्य वैधानित अनापत्ति State Environment Impact Assessment Authority, Bihar में प्रक्रियाधीन है तथा 2 वैधानिक अनापत्ति प्राप्त बालूघाटों के बन्दोबस्तधारी द्वारा संचालन प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण बन्दोबस्ती को रद्द करते हुए बन्दोबस्तधारी द्वारा जमा सम्पूर्ण राशि को जब्त करने की कार्रवाई की गयी है ।

पूरे बिहार राज्य में सफेद बालू की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को प्राधिकृत किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, जो माननीय मंत्री जी का जवाब है, वह भ्रामक है और विज्ञापन निकाला गया और विज्ञापन के अनुसार निविदा डालने के लिए लोग गये । कार्यालय में बताया गया कि वह केंसिल हो गया है, आज नहीं पड़ेगा । तो केवल पेपर में निविदा निकली और जो लोग निविदा डालने गये उन लोगों को वहां से हटा दिया गया कि निविदा नहीं डाली जा रही है, वह केंसिल हो गयी है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा..

अध्यक्ष : कहियेगा या जानना चाहते हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : हम उत्तर जानना चाहेंगे कि बालूघाट नहीं चालू होने से, गंगा की बालू नहीं मिलने से जो विकास कार्य है, वह अवरूद्ध है और मकान जो बन रहे हैं सरकारी या गैर सरकारी या व्यक्तिगत, बालूघाटों में बालू नहीं रहने के कारण जो बिचौलिया है वह कहीं से चोरी करके लाता है और औने–पौने भाव में बेचता है ।

अध्यक्ष : क्या जानना चाहते हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : क्या बालूघाट की नीलामी फिर से कराना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, वैसे सरकार के द्वारा विभाग के माध्यम से लगातार नीलामी करायी जा रही है । निश्चित तौर पर सरकार फिर से विचार करेगी, फिर से नीलामी कराने का काम करेगी ताकि आम लोगों को बालू के लिए परेशानी न हो ।

श्री भाई वीरेन्द्र : समय–सीमा निर्धारित कर दी जाय । आपसे मैं कहूंगा कि समय–सीमा बता दें कि कब यह निविदा करायेंगे ।

अध्यक्ष : आपकी बात तो विजय जी से होती रहती है हमेशा । करा लीजिएगा, बैठिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : वैसे तो सबसे हमारी बात होती है । हमारी किसी से लड़ाई थोड़े ही है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

सर्वश्री सत्यदेव राम, सतीश कुमार एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री सत्यदेव राम । आपकी सूचना पढ़ी हुई है ।
माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) तथा जनजाति उप योजना (TSP) अन्तर्गत सरकार SC/ST की जनसंख्या के अनुपात में उनके कल्याण में उनके कल्याण के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है ।

योजना एवं विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) तथा जनजाति उप योजना (TSP) अन्तर्गत लघु शीर्ष 789 एवं 796 में विभिन्न विभागों के लिए मांग संख्यावार उद्व्यय दिया जाता है जिसके आलोक में विभिन्न

प्रशासी विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) तथा जनजाति उप योजना (TSP) अन्तर्गत लघु शीष 789 एवं 796 में राशि का उपबंध कराया जाता है । विदित है कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) अन्तर्गत स्कीमवार राशि का कर्णांकन नहीं किया जाता है, बल्कि समेकित रूप से कर्णांकन किया जाता है और इस कर्णांकन के आलोक में विभिन्न प्रशासी विभाग द्वारा अलग–अलग स्कीम के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) अन्तर्गत लघु शीर्ष 789 एवं 796 में राशि का उपबंध कराया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) अन्तर्गत समेकित रूप से क्रमशः 18327.88 करोड़ रूपये, 22091.64 करोड़ रूपये...

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, समझ गये न ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : एवं 18514.03 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध किया गया है ।

विदित है कि CAG रिपोर्ट Finance Account Volume-II पुस्तिका में SCSP/TSP के अन्तर्गत वार्षिक स्कीम में लघु शीर्षवार राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु उक्त रिपोर्ट में SC/ST योजनाओं के डायवर्सन का उल्लेख कहीं नहीं है ।

टर्न–11 / धिरेन्द्र / 27.03.2025

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप संतुष्ट हैं ? आगे बढ़ें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय....

अध्यक्ष : अब क्या ? इतना लंबा जवाब बढ़िया से मंत्री जी ने दिया ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इतना लंबा जवाब हो गया कि खुद हम ही दिग्भ्रमित हो गए । महोदय, मैंने तो दो ही सवाल किया है । हमने तो सवाल किया है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राशि का बजट में प्रावधान होता है, वह राशि उनकी योजनाओं पर खर्च न होकर उसको डायवर्सन कर दिया जाता है और दूसरा जो मेरा सवाल है कि अगर इस तरह के हालात हैं तो एक एस॰सी॰ / एस॰टी॰ सब प्लान योजना, सब प्लान एक्ट बनाने की मैंने बात कही है । दो ही बात तो मैंने कही है और ये दोनों के जवाब में कहीं संबंध नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । श्री अजीत कुमार सिंह जी, आप पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एस॰सी॰ / एस॰टी॰.....

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : अजीत जी का हो जाने दीजिये, सभी से पूछ लेते हैं एक बार । आपके बाद वे लोग भी पूछने वाले हैं तो वह भी पूछ लेते हैं । सभी का जवाब मंत्री जी एक बार ही दे देंगे ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ जाने दीजिये ।

अध्यक्ष : मंत्री जी सभी के प्रश्नों का जवाब एक साथ दे देंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, तब तो हमारा खत्म हो गया ।

अध्यक्ष : कहां खत्म हो गया ? आप तो पूछ ही न लिये । अजीत जी, बोलिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, एस॰सी॰/एस॰टी॰ सब प्लान के बारे में माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा गया है और यह सी॰ए॰जी॰ की रिपोर्ट में अंतर्निहित है कि उसके लिए एलॉटेड जो अमाउंट है, जो पैसे हैं उसको विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया गया लेकिन उसमें नियमावली है कि यह पैसा उसी में खर्च की जायेगी जिससे एस॰सी॰/एस॰टी॰ समाज के लोग लाभान्वित होंगे । अब महोदय, 04 हजार 500 कुछ करोड़ रुपये वर्ष 2021–22 का बजट है वह बिजली विभाग में खर्च कर दिया गया । अब बताइये कि इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को क्या लाभ होने वाला है ? सिंचाई परियोजनाओं में, सड़क में, हाइवे में....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगातार...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी समय नहीं है और भी ध्यानाकर्षण सूचनाएं लेनी हैं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, लगातार पैसे के एलोकेशन का गलत दुरूपयोग हो रहा है। इसलिए पूरक वही है जो माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी का है कि क्या सरकार...

अध्यक्ष : तब क्यों खड़े हो गए ?

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, क्या सरकार इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाकर इस दुरूपयोग को रोकने का विचार करती है ?

अध्यक्ष : और कोई पूछने वाले हैं ?

श्री संदीप सौरभ : जी, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, 08 अप्रील, 2021 को इंडियन एक्सप्रेस में विस्तृत रिपोर्ट छपी थी कि कैसे पैसा डायवर्ट हुआ है ? प्लानिंग कमीशन की गाइडलाईन कहती है कि न तो राज्य सरकार....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अखबार की रिपोर्ट....

श्री संदीप सौरभ : महोदय, उसी पर हम आ रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लीजिये न । हम आपको बोलने देंगे । अखबार की रिपोर्ट का हवाला देने के पहले यह आवश्यक है कि आपको संतुष्ट होना पड़ेगा कि आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं वह सही है । तब आप उसका हवाला दे सकते हैं, यही नियम है । क्या अवध विहारी बाबू ? अब बोलिये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, सरकार के ही आँकड़ों से वह रिपोर्ट बनी है । महोदय, प्लानिंग कमीशन की गाइडलाईन यह कहती है कि न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार इस पैसे को डायवर्ट कर सकती है । अगर डायवर्ट होगा तो संसद से पास करा कर तार्किक कारणों के चलते ही हो सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पूरक मेरा यह है कि सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो दलितों को मिलती है, उस संदर्भ में कहा है कि अब हमारे पास पैसा नहीं है जबकि फण्ड डायवर्ट हुआ और देश में जो चार सबसे बड़े आबादी वाले दलित राज्य हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पूरक ही है । चार, जो सबसे बड़े दलित आबादी वाले पाँच राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र । बिहार में केवल 4.4 लाख बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, तो हमारा सवाल यही है....

अध्यक्ष : एक ही पर तो नहीं रहेंगे न, बाकी और भी ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पूरक सवाल यह है कि आखिर सरकार ने किस नियम के तहत एस॰सी॰एस॰पी॰ और टी॰एस॰पी॰ का जो पैसा है, सब प्लान का जो पैसा है किस नियम के तहत डायवर्ट किया गया और इसको रोकने के लिए क्या सरकार कोई कानून बनाना चाहती है ? यह मेरा सवाल है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये । माननीय सदस्य श्री वरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, पूछिये ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, हम व्यवहारिक पक्ष पर ही रखेंगे कि जो....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये । एक पर ही कितना होगा, बाकी और भी ध्यानाकर्षण हैं ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं हैं, वह धरती पर नहीं उतरी है। वर्ष 2021–22 के सत्र में, 2022–23 के सत्र में, 2023–24 के सत्र में, 2024–25 के सत्र में और उस फण्ड की कोई उपयोगिता नहीं रही है और इस तरीके से पूरे जिले की बात कर रहे हैं, वह 10 परसेंट भी राशि नहीं खर्च हुई है और इस तरीके से पूरे फण्ड का....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण पर आइये । इसका पूरक पूछिये ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, पूरक यही है कि सरकार के पास क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जो उनके लिए निधि तय की जाती है उसको खर्च करने का कोई प्रशासनिक सिस्टम है या नहीं, ढांचा है या नहीं और उस पर एक्ट बनाने का सरकार उपाय कर रही है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, एस०सी०/एस०टी०...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई भाषण नहीं होगा, बहुत लोगों का हो गया । आप सीधा पूरक पूछिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, एस०सी०/एस०टी० विभाग में उनके विकास के लिए दूसरे जगह से पैसे डायवर्ट नहीं किये जाते हैं तो हमारे जो पैसे हैं, एस०सी०/एस०टी० के पैसे दूसरे विभाग में क्यों डायवर्ट किये जाते हैं ? जबकि सबसे ज्यादा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये । सतीश जी, पूरक पूछिये, नहीं तो महा नंद बाबू को बुलायेंगे ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, पूरक पर ही हम आ रहे हैं कि क्या यह कर्नाटक, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में एस०सी०/एस०टी० फण्ड स्कीम के पैसे को रोकने के लिए एक्ट बना हुआ है तो क्या सरकार वह एक्ट बनाने पर विचार करती है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महा नंद सिंह, बोलिये ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, एस०सी०/एस०टी० का 2020–21 में...

अध्यक्ष : एक ही बात तो सब लोग बोल रहे हैं । फायदा क्या है ? बोलिये ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, 03 हजार करोड़ रुपये आवास योजना का 100 लोगों को लाभ मिला और वह डायवर्ट हो गया तो क्या डायवर्ट करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया ।

श्री महबूब आलम : महोदय....

अध्यक्ष : आप कहाँ, आप बैठिये । आप नहीं हैं इसमें । किसका–किसका नाम है हम पढ़ रहे हैं । महबूब साहब, हम नाम देख कर ही बुला रहे हैं, ऐसा थोड़े ही है कि हम बिना देखे हुए बुला रहे हैं । माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य को छोड़ कर सभी पुराने सदस्य हैं और ध्यानाकर्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इस महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण को इस तरह से घुमाने का काम माननीय सदस्य करते हैं । मैंने स्पष्ट जवाब दिया कि डायवर्सन नहीं हुआ है और उसी सवाल को बार–बार रिपिट कर रहे हैं बल्कि 31 मार्च को जो पैसा है वह लैप्स हो जाता है और लैप्स हो जाता है तो उसकी अलग प्रक्रिया है । उस प्रक्रिया के हिसाब से आगे की कार्रवाई होती है । आज तक कोई भी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए योजना राज्य में चलायी जा रही है, उसमें कोई भी योजना में दिक्कत और परेशानी होती है तो इस बात की जिक्र ये करते परन्तु कोई बात ऐसी उठा नहीं रहे हैं । मैं स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कहना चाहता हूँ कि कोई डायवर्सन नहीं हुआ है और आगे भी इस तरह का कृत्य नहीं किया जायेगा, आगे भी पूरा–पूरा ख्याल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जो कर्णांकित राशि है, उसी पर खर्च की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

(व्यवधान)

हो गया । अब कितना होगा, एक ही पर कितना होगा । जब कह रहे हैं कि डायवर्सन नहीं हुआ है तो नहीं हुआ, सरकार कह रही है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

श्री मनोहर प्रसाद सिंह,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचनापरसरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर वक्तव्य ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मनोहर जी, पढियेगा या नहीं कि आगे बढ़ें । मनोहर जी, आपकी सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग । मंत्री जी, मनोहर जी का जवाब दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : महोदय, समाहर्त्ता, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत, चौकिया पहाड़पुर पंचायत में बाँध पर बहुत दिनों से गंगा कटाव से विस्थापित परिवारों के बारे में सर्वे हेतु अंचल अधिकारी, अमदाबाद के पत्रांक–739, दिनांक–22.03.2025 के माध्यम से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप भी जान रहे हैं कि रिपोर्ट के बाद कमेटी जाँच करती है ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : राजस्व अधिकारी, अमदाबाद की अध्यक्षता में एक द्वि–सदस्यीय समिति का गठन किया गया है । समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों को...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं–नहीं, बैठिये । अपने स्थान पर जाइये ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : बंदोबस्ती प्रमाण–पत्र दिये जाने की कार्रवाई सर्वे उपरांत तीन माह के अन्दर किया जायेगा । इस हेतु विभागीय पत्रांक–296, दिनांक–24.03.2025 द्वारा पत्र प्रेषित कर समाहर्त्ता, कटिहार को त्वरित कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है ।

अध्यक्ष : मनोहर जी, पूछिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, बहुत से लोग अभी तक पड़े हुए हैं, मगर संख्या इतनी है कि सरकार अभी तक उनको जमीन नहीं दिला पायी है । गंगा कटाव से...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि अगर सरकार उनको जमीन नहीं दिला सकती है तो सरकार 20 लाख रुपया उनको दे दे....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सरकार ने जवाब साफ–साफ दिया है । डायवर्सन का सवाल कहाँ खड़ा होता है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, 20 लाख रुपया सरकार उनको दे दे और प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में उनका नाम जोड़ दे तब इसका समाधान आसानी से हो सकता है क्योंकि जो भी सरकार ने अधिग्रहण किया है वह अधिग्रहण करने के बाद भी सरकार उसको वहाँ बसा नहीं पायी है, न उसका पर्चा दे पायी है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा और माँग करूंगा कि उनको 20 लाख रुपया दिया जाय और प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको जोड़ दिया जाय । क्या सरकार यह देने के लिए नीतिगत फैसला लेने का विचार रखती है ?

टर्न–12/संगीता/27.03.2025

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण है वह 21 तारीख को दिया गया, 22 तारीख को अंचलाधिकारी ने 2 सदस्यीय कमिटी बना दी और कहा गया 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने और 2 दिन के अंदर वह रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई । ये 47 परिवार जो हैं वहां विस्थापित हैं और तुरंत समाहर्ता को कहा गया है 24.03.2025 को कि त्वरित कार्रवाई करते हुए निदेशित भी किया गया है कि उनलोगों को पुनर्वासित कराया जाए ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्रीमती शालिनी मिश्रा, अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान जारी)

बैठिए आप, मंत्री जी बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

श्रीमती शालिनी मिश्रा एवं श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पैथोलॉजिकल जांच और आई0सी0यू0 का दर निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित नहीं रहने के कारण अस्पतालों द्वारा मरीजों से मनमानी शुल्क ली जाती है । सरकारी अस्पतालों में हर जगह व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोग निजी पैथोलॉजिकल जांच केन्द्रों में जांच कराने हेतु जाने के लिए विवश हैं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । वेल में कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी, अपने स्थान पर जाइए ।

(व्यवधान जारी)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : जहां उनका आर्थिक रूप से शोषण होता है । बीमारी पूरे परिवार को विपन्नता की तरफ धकेलती है, जिसमें निजी अस्पताल और पैथोलॉजिकल जांच केन्द्रों की भूमिका अधिक होती है ।

अतः सभी निजी अस्पतालों के लिए आई0सी0यू0 की दर एवं पैथोलॉजिकल जांच की दर निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा आमजनों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है । वर्तमान में जिला अस्पताल में 35, अनुमंडलीय अस्पताल में 30, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 12 प्रकार की जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है । साथ ही, आई0सी0यू0डी0 आदि अन्य विभिन्न प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच हेतु निःशुल्क सुविधा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रकाशन प्रक्रियाधीन है । आयुष्मान कार्डधारियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आई0सी0यू0 एवं पैथोलॉजिकल जांच सहित निजी अस्पतालों में दिया जा रहा है । अब तक कुल 1 करोड़ 56 लाख पारिवारिक तथा 3 करोड़ 72 लाख व्यक्तिगत आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा चुका है । साथ ही, कुल 2 लाख 14 हजार आयुष्मान वय–वंदना कार्ड का वितरण किया जा चुका है । आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 938 करोड़ रुपये की राशि...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : चिकित्सकीय सहायता पात्र लाभुक परिवारों को उपलब्ध कराया जा चुका है । राज्य के नागरिकों के असाध्य रोगों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से चिकित्सकीय अनुदान भी आमजन को उपलब्ध कराया जाता है । वित्तीय वर्ष 2024–25 में फरवरी, 2025 तक अनुदान हेतु कुल 30 हजार 119 आवेदन के विरूद्ध 25 हजार 658 स्वीकृत करते हुए 2 अरब 61 लाख 24 हजार 525 रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है । राज्य के 12 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में लगभग 757 आई0सी0यू0 बेड उपलब्ध हैं । साथ ही, आई0सी0यू0 बेडों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं । आई0जी0आई0एम0एस0 में भी 140 आई0सी0यू0 बेड उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त आमजनों की सुविधा के लिए राज्य में 22 चिकित्सा महाविद्यालय भी शीघ्र ही खोला जाना है जहां प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं

अस्पतालों में कम से कम 60 आई0सी0यू0 बेड उपलब्ध रहेंगे जिससे इन चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में कुल आई0सी0यू0 बेड की संख्या 1320 हो जाएगी.

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

निजी अस्पतालों के लिए आई0सी0यू0 की दर एवं पैथोलॉजिकल जांच की दर निर्धारण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । इसके अतिरिक्त निजी अस्पतालों के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में डब्ल्यू0बी0सी0–48/2020, डब्ल्यू0बी0सी0–289/2021 एवं डब्ल्यू0बी0सी0–214/2024 का वाद विचाराधीन है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्राप्त निर्णय आदेश के आलोक में सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा । स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमजनों को सभी प्रकार की सुविधाएं सुलभ कराने हेतु राज्य के द्वारा निरंतर एवं लगातार प्रयास किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : विस्तार से हो गया शालिनी जी । कोर्ट के निर्णय के आलोक में होगा ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 2–3 छोटे–छोटे पूरक हैं । मैं जानती हूं बहुत अच्छा जवाब दिया है मंत्री जी ने लेकिन मेरा सवाल था निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए, पैथोलॉजिकल लैब के लिए तो मैं जानना चाहती हूं हेल्थ स्टेट का ही सब्जेक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा Clinical Establishments Registration and Regulation Act, 2010 तथा Clinical Establishments Central Government rule, 2012 बनायी गयी । उसके अनुसार सभी डॉयग्नोस्टिक सेंटर्स और नर्सिंग होम के लिए स्टेट गवनमेंट को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाईडलाइन जारी करना है तो ऐसी अभी तक सरकार ने ऐसी कोई गाईडलाइन जारी की है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया वह Clinical Establishments Act के तहत ही जो गाईडलाइन जारी करना है वह तो हमने किया है । माननीय सदस्या का जो प्रश्न है वह दर निर्धारण से जुड़ा हुआ है और दर निर्धारण से संबंधित...

अध्यक्ष : निजी अस्पतालों के लिए ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : जी, निजी अस्पतालों के लिए तो निजी अस्पतालों के जो Clinical Establishments Act के तहत दर निर्धारण करना है ऐसी कोई प्रक्रिया पूरे देश में लागू नहीं है और इसी मामले को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 मामले लंबित हैं । तीनों मामलों का मैंने चर्चा किया है तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय से उसके निर्णय के आलोक में कोई निर्देश नहीं प्राप्त होता है, राज्य की सरकार उसमें कुछ नहीं कर पायेगी और जो निर्देश आएगा उसका हम अनुपालन करेंगे ।

अध्यक्ष : इंतजार करिए । बैठ जाइए, अब हो गया ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा चूंकि आई0जी0आई0एम0एस0 की बात कही है माननीय मंत्री जी ने तो मैं उनको बताना भी चाहती हूं और जानना भी चाहती हूं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, बताइए नहीं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : आई0जी0आई0एम0एस0 के इमरजेंसी सर्विस में किसी भी जांच की सुविधा नहीं है जैसे वायरल मार्कर, ड्रॉप टेस्ट और रूटिन ब्लड टेस्ट नहीं है । दवा भी उपलब्ध इमरजेंसी सर्विस में नहीं होती है और वायरल मार्कर के टेस्ट के बिना किसी को, रात में कोई इमरजेंसी में जाता है तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता है और वहां उपलब्ध नहीं है तो इमरजेंसी का क्या औचित्य है और दूसरा, वहां पर ट्रांसप्लांट के लिए...

अध्यक्ष : पूरा आपका ध्यानाकर्षण जो है, प्राईवेट अस्पतालों में जांच का रेट तय करने का है तो आप इधर–उधर जाइएगा तो कैसे जवाब होगा, मंत्री जी से मिल लीजिएगा वे पूरी बात बतायेंगे आपको ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : वहां पर ट्रांसप्लांट की सुविधा के लिए भी बाहर से डॉक्टर्स कहते हैं और खरीद कर लाइए पेसमेकर और जो फिक्सर्स होते हैं पैर की हड्डी टूटी, हाथ की हड्डी टूटी, एक पर्टिकुलर दुकान बताते हैं डॉक्टर्स कि आप वहां से लाइए...

अध्यक्ष : लिखकर दे दीजिए मंत्री जी को पूरा करा देंगे ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : तो वहां पर हमलोग क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते हैं माननीय महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : माननीय सदस्या को जो भी विषय चूंकि कई विषयों की उन्होंने और कई डिमांडों की चर्चा की है...

अध्यक्ष : हां, जुड़ गया है ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : मैं विस्तार से मैं आग्रह करूंगा आप हमसे मिलकर और मैं उन सारी व्यवस्थाओं को और बेहतर करूंगा, ऐसे आई0जी0आई0एम0एस0 में सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं ओ0पी0डी0 में भी, आई0पी0डी0 में भी हर जगह पर इमरजेंसी में भी उपलब्ध है । फिर भी यदि सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए कोई माननीय सदस्या का सुझाव होगा हम जरूर उसका स्वागत करेंगे और वैसा काम भी करेंगे ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–13 / सुरज / 27.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय सदस्यगण, अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । कल दिनांक–26 मार्च, 2025 को क्रमांक–126 तक गैर सरकारी संकल्प हो सके थे । सर्वप्रथम क्रमांक–127 से गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । जो–जो माननीय सदस्य कल अपने गैर सरकारी संकल्प को पुरःस्थापित नहीं कर सके थे, उन्हें मौका दिया जायेगा । तदोपरांत आज दिनांक–28 मार्च, 2025 के लिये स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं को बारी–बारी से लिया जायेगा ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक–127 : श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा रक्सौल रेल खण्ड पर गुरहनवा हॉल्ट कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल, हाई मास्क लाईट शौचालय सहित स्टेशन भवन का निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा रक्सौल रेल खण्ड पर गुरहनवा हॉल्ट कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल, हाई मास्क लाईट शौचालय सहित स्टेशन भवन का निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–2494, दिनांक– 20.03.2025 को पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब खड़े क्यों हो रहे हैं ?

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, जब पत्र विभाग से जाता है, मंत्री जी के विभाग से गया रेलवे को उस पत्र की कॉपी भी हमलोगों को मिलनी चाहिये...

अध्यक्ष : अब स्वीकृत हो गया, बैठिये ।

क्रमांक–129 : श्रीमती कविता देवी, स0वि0स0

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखंड में कमला घाट बरंडी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

माननीय मंत्री जी आयेंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक–128 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0

श्री छत्रपति यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह विभिन्न राज्यों के राज्य सरकार अधिवक्ता कल्याण कोष के अनुरूप बिहार में अधिवक्ता कल्याण कोष के लिये बजट का प्रावधान कर अधिवक्ताओं को आर्थिक लाभ एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान करावे ।''

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, न्यायालयों में अधिवक्तागण स्वतंत्र रूप से विधि व्यवसाय करते हैं । सम्प्रति अधिवक्ताओं के कल्याण कोष के लिये सरकार द्वारा बजट उपबंध नहीं किया जाता है । इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि अधिवक्ताओं की तरह राज्य के विभिन्न संस्थानों में कई स्वतंत्र पेशेवर कार्यरत रहते हैं । किसी भी स्वतंत्र पेशेवर के कल्याण कोष के लिये राज्य सरकार द्वारा बजट उपबंध किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिये बिहार अधिवक्ता कल्याण ट्रस्टी कमेटी स्वायत्त रूप से कार्यरत है । अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रस्ताव लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष : मंत्री जी ने साफ–साफ बोला की नहीं हो सकता है ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, बहुत हितकारी चीज है । सुन लिया जाए ।

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री छत्रपति यादव : लेना चाहते हैं लेकिन..

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–130 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के वृद्धा पेंशन लाभुकों को 400 से बढ़ाकर 1000 रुपया पेंशन की राशि दिलावे ।''

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है 400 से बढ़ाने का अभी इस पर विभाग विचार कर रही है । समय आने पर हमलोग इस पर निर्णय लेंगे ।

अतः माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : बहुत–बहुत धन्यवाद इसके लिये मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–131 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–132 : श्री आबिदुर रहमान, स0वि0स0

श्री आबिदुर रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखंड के बोची पंचायत मरना टोला में मरिया घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : आपका जवाब बाद में होगा । मंत्री जी कहीं और हैं, आते हैं तो आपका जवाब होगा ।

क्रमांक–133 : श्री शिवप्रकाश रंजन, स0वि0स0

श्री शिव प्रकाश रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला अंतर्गत प्रखंड गड़हनी के ग्राम–बराप पासवान टोला को आजादी के इतने सालों के बाद भी सम्पर्कता प्रदान नहीं है । आरा–सासाराम स्टेट हाइवे पशु मेला से बराप पासवान टोला तक सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : आपका भी बाद में जब माननीय मंत्री जी आयेंगे तो जवाब होगा । बैठिये ।

क्रमांक–134 : श्री सूर्यकान्त पासवान, स0वि0स0

श्री सूर्यकान्त पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला अंतर्गत बखरी प्रखंड के बखरी गोढ़यारी ढाला रेलवे गुमटी पर आर0ओ0बी0 का निर्माण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बखरी प्रखंड के बखरी गोढ़यारी ढाला रेलवे गुमटी पर आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–1313, दिनांक–28.02.2025 द्वारा पूर्व में रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : धन्यवाद मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–135 : श्री राम सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–136 : श्री अनिरूद्ध कुमार, स0वि0स0

श्री अनिरूद्ध कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत कालादियारा और ग्यासपुर के बीच पीपा पुल की जगह आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत प्रश्नगत पीपा पुल की कुल लंबाई 648 मीटर एवं पहुंच पथ की कुल लंबाई 205 मीटर है । विषयगत स्थल पर पीपा पुल का प्रतिष्ठापन एवं रख–रखाव कार्य हेतु विभागीय पत्रांक–6179 दिनांक– 05.12.2024 से 11.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । पीपा पुल का प्रतिष्ठापन एवं रख–रखाव का कार्य वर्ष 2022–2027 तक कुल 05 वर्षों के लिये बिहार राज्य पुल निर्माण द्वारा कराया जा रहा है और अभी जिस जगह का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है अभी वहां के तकनीकी संभाव्यता के लिये रिपोर्ट मांगी गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अनिरूद्ध कुमार : महोदय, 50 हजार आबादी का सवाल है...

अध्यक्ष : हम गये थे न वहां ।

श्री अनिरूद्ध कुमार : जी ।

अध्यक्ष : आप जानते ही है कि हम जाते हैं वहां ।

श्री अनिरूद्ध कुमार : 06 महीना सड़क से कट जाता है इसलिये इसको बहुत जरूरी समझा जाए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि तकनीकी संभाव्यता की कोशिश हो रही है ।

श्री अनिरूद्ध कुमार : ठीक है । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–137 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने के सरकार की घोषणा के अनुरूप मेंरे विधान सभा क्षेत्र टिकारी के नक्सल प्रभावित 18 पंचायतों के कोंच प्रखंड में प्राथमिकता के आधार पर डिग्री कॉलेज खुलावे ।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधान मंडलीय सत्र में बजट संबोधन में सभी प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री अनिल कुमार : जी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–138 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में एस0सी0/एस0टी0 को समुचित प्रतिनिधित्व देने हेतु अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 द्वारा एस0सी0/एस0टी0 के फ्रीज रखे गए 17 परसेंट पदों पर रोस्टर क्लीयरेंस कर उच्चतर पद का प्रभार देने की स्वीकृति प्रदान करे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो 17 परसेंट पद फ्रीज किया हुआ है । यह तो अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिये ही किया गया है और जो कह रहे हैं रोस्टर क्लीयरेंस कराके तो रोस्टर कैसे बने, इनको बढ़ा हुआ आरक्षण रहे कि नहीं रहे यही तो मामला विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय में । उच्चतम न्यायालय जैसे ही फैसला करता है, हमलोग तो चाहते हैं और जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है । बिहार सरकार ने जो अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों को प्रान्नति में भी आरक्षण दिया है, जिसको उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है । सरकार खुद गयी है इनको प्रोन्नति में भी आरक्षण दिलाने के लिये। चूंकि वहां विचाराधीन है इसलिये हमलोग इतना पद फ्रीज कराके इन्हीं लोगों के लिये भविष्य में रखे हैं अभी नहीं दे सकते हैं चूंकि उच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया है । इसलिये अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

टर्न–14/राहुल/27.03.2025

अध्यक्ष : सरकार ने सारी स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लिया जाय...

अध्यक्ष : सुन लिया जाय न। पूरी बात तो बतायी ही है, यह तो एक बार और भी आया है...

श्री ललन कुमार : सुन लीजिये न सर ।

अध्यक्ष : सदन के अंदर एक सवाल और आया । कई बार आया है और विस्तार से ही बात की गयी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा देर नहीं लेंगे । तीन सेकेंड में एक बार सुन तो लीजिये । अध्यक्ष महोदय, यह जो फ्रीज रखने की वजह से पद रिक्त नहीं

हो रहा है जो सरकार, भारत में बिहार नौकरी देने वाला राज्य है । इस वजह से है और बाकी जो बहाली नई हो रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पेपर है जो भारत सरकार...

अध्यक्ष : दे दीजियेगा पेपर इनको । क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललन कुमार : आप इसका अध्ययन करा लीजिये...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललन कुमार : मैं सदन से बड़ा नहीं हूं । सदन के साथ हूं, मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–139 : श्री इजहारूल हुसैन, स0वि0स0

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला सहित सीमांचल क्षेत्र के अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार जिला के सुरजापुरी मुसलमान जो सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हैं, को पिछड़ा वर्ग–2 से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सुरजापुरी वर्ग के लोगों को अतिपिछड़ा समाज में शामिल करने का मामला सरकार ने अतिपिछड़ा वर्गों के लिए जो राज्य आयोग है उसको रेफर किया है वह उसकी जांच कर रहा है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा । अभी इनसे आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, यह मामला बहुत दिन से चल रहा है...

अध्यक्ष : हां–हां । बहुत दिन से चल रहा है तब न माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दे रहे हैं । आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री इजहारूल हुसैन : जी, वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–140 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दलित, शोषित एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील और संघर्षशील रहे एवं मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अपूर्व योगदान के लिए उनके नाम से समस्तीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना करावे ।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सभी प्रमंडलों के क्षेत्राधिकार के न्यूनतम एक–एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है । समस्तीपुर जिला ललित नारायण

मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के क्षेत्रांतर्गत आता है । सरकार माननीय सदस्य की भावना की कद्र करती है और भविष्य में इस पर विचार किया जायेगा लेकिन वर्तमान में समस्तीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजय कुमार : फिर विचार करेंगे ही तब तो वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–141 : श्री रामप्रीत पासवान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–142 : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिले की बड़ी आबादी को सुगम यातायात, सड़क सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिए बिरौली पुल से सिलौत एवं शिवनंदन चौक से अंगारघाट तक बूढ़ी गंडक नदी पर बांध पर जल संसाधन विभाग पूर्व निर्मित सड़क जो कम चौड़ाई की है, का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलांतर्गत प्रश्नगत पथ बिरौली पुल से सिलौत एवं शिवनंदन चौक से अंगारघाट तक की सड़क जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में है । यह पथ बूढ़ी गंडक नदी के बांध पर अवस्थित है । इसमें बिरौली पुल से सिलौत तक की लंबाई 17 किलोमीटर है, शिवनंदन चौक से अंगाराघाट तक की लंबाई 15 किलोमीटर है । पथ की चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 3.75 मीटर है । उक्त दोनों पथों के सिलौत से दहीघाट होते हुए शिवनंदन चौक तक के पथांश का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है जिसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर है एवं चौड़ाई 7 मीटर है । इसमें 5 किलोमीटर की डी0एल0पी0 के अंतर्गत, शेष 3 किलोमीटर का ओ0पी0आर0एम0सी0 के अंतर्गत संधारित है । पथ की स्थिति अच्छी है । जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले पथांश बिरौली पुल से सिलौत एवं शिवनंदन चौक से अंगारघाट का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर तकनीकी संभाव्यता की रिपोर्ट मांगी गयी है उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है रिपोर्ट मांगी गयी है । उसके बाद ही न कार्रवाई होती है । आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, एक लाईन तो बोलने दीजिये ।

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? बोलिये न, बोल तो लेते इतनी देर में आप ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध होगा यह 25 किलोमीटर जिला मुख्यालय आने वाली सड़क है और अतिमहत्वपूर्ण है और जल संसाधन विभाग ने पहले बनाया था । आग्रह होगा कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाइयेगा ताकि जिला मुख्यालय आने में लोगों को सुविधा होगी...

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प...

अध्यक्ष : बैठिये । सब माननीय सदस्यों की मर्जी से नहीं चलेगा । नाम आपका पुकारे, लेट से आये तो दो मिनट बैठिये अब । स्थिर से रहिये और आपको अंत में जाना पड़ेगा । जो लेट वाले हैं उनको अंत में जाना पड़ेगा । यह नहीं कि आपका हुआ और चले गये ।

क्रमांक–143 : श्री शमीम अहमद, स0वि0स0

अध्यक्ष : शाहीन जी पढ़ेंगे आप शमीम अहमद जी का ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : जी ।

अध्यक्ष : पढ़िये ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के छौड़ादानो प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के लिए उच्चस्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण करावे ।''

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, छौड़ादानो एक अल्पसंख्यक बाहूल्य प्रखंड है जहां शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय 47, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय 36, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 15 एवं मदरसा 60 हैं । अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनांतर्गत प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोला जाना है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की योजनांतर्गत पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत अंचल सुगौली, मौजा मंसीराम में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–533, दिनांक–13.01.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : अब तो ऐसे ही ले लिये आप । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–144 : श्रीमती अरूणा देवी, स0वि0स0

श्रीमती अरूणा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह स्टेट हाइवे पर बसे पकरी–बरावां बाजार नवादा को जाम से मुक्ति हेतु एक बाइपास सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पकरीबरावां बाजार के बीच से होकर हिसुआ–नवादा–पकरीबरावां पथ (एस0एच0–8) गुजरती है । नवादा जिला अंतर्गत एस0एच0–8 की लंबाई 45.30 किलोमीटर है । संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में इसको प्राथमिकता दी जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती अरूणा देवी : अध्यक्ष महोदय, बहुत दिन से, दो साल से...

अध्यक्ष : अगल वित्तीय वर्ष 4 दिन के बाद शुरू होने वाला है । 4 ही दिन के बाद न अगला वित्तीय वर्ष शुरू होगा ।

श्रीमती अरूणा देवी : हो जायेगा तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं । वहां घंटो–घंटो जाम लगा रहता है ।

अध्यक्ष : क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती अरूणा देवी : वापस लेती हूं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–25 : ई0 शशि भूषण सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : कल का पेंडिंग था । अब इनका नहीं होगा ।

क्रमांक–31 : श्री अजय यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–39 : श्री रामवृक्ष सदा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : ठीक है । लोग हल्का कर रहे हैं नहीं आकर ।

(व्यवधान)

हो गया, अब नहीं होगा । दो बार जिनको पुकार लेंगे उनका नहीं होगा । बोलिये मनोज जी, पढ़िये ।

(व्यवधान)

कल वाला है, भूल गये हैं, नहीं लाये हैं ?

क्रमांक–47 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर जिला पूर्वी चंपारण अंतर्गत कोटवा प्रखंड के

बड़हरवा कला पश्चिमी पंचायत के बिन टोली के सामने मसान माई स्थान के पास समौती नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

टर्न–15/मुकुल/27.03.2025

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल कोटवा प्रखंड अन्तर्गत बड़हरवा कला पश्चिमी पंचायत के बीन टोली के सामने मसान माई स्थान के पास समौती नदी पर पुल निर्माण कार्य के नाम से मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के संचालन समिति से प्राप्त प्राथमिकता सूची के कोटवा प्रखंड के क्रमांक–3 पर शामिल है ।

तद्नुसार प्राथमिकता के आधार पर पुल निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसे जल्द से जल्द बनवा दें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–70 : श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–82 : श्री सतीश कुमार, स०वि०स०

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में लाइसेंसी सह शस्त्र (हथियार) निर्गत करने में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को बिहार आरक्षण नियमावली के अनुरूप लाइसेंसी सह शस्त्र निर्गत करने में आरक्षण लागू करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आयुध विषयक भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में शामिल है, इसपर नियम कानून बनाने की शक्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार में निहित है । गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयुध अधिनियम 1959 तथा आयुध अधिनियम 2016 में सशस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु प्रावधान किया गया है । आयुध नियम 216 प्रावधानों के आलोक में राज्य के सभी वर्गों यथा सामान्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिकों को आत्म सुरक्षा हेतु समान रूप से सशस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाते हैं, इसमें जाति विशेष के आधार पर

भेदभाव नहीं किया जाता । आयुध नियम–216 में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग को सशस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने संबंधी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में आत्मरक्षा हेतु सशस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के संबंध में आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विस्तार से जवाब हो गया है, अब आप अपना संकल्प वापस ले लें, इसपर डिस्कसन नहीं होता है ।

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव तो भेज ही सकती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सतीश कुमार : महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम कैसे वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में लाइसेंसी सह शस्त्र (हथियार) निर्गत करने में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को बिहार आरक्षण नियमावली के अनुरूप लाइसेंसी सह शस्त्र निर्गत करने में आरक्षण लागू करावे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–83 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स०वि०स०

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला में 2012 से क्रशर मशीन बंद होने से लाखों गरीब परिवार बेरोजगार एवं भुखमरी के कगार पर आ गया है, जबकि उक्त स्थान पर माइन्स का 72 एकड़ पहाड़ भी उपलब्ध है, सरकार जिले में बंद क्रशर मशीन चालू कराकर गरीब परिवार को रोजगार दिलावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समाहर्ता रोहतास के पत्रांक–260, दिनांक–06.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित है कि बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण निमावली–2019 के नियम 39(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पट्टा क्षेत्र के बाहर किसी स्टोन क्रशर लगाने, प्रतिस्थापित करने या प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । वर्तमान में रोहतास जिलान्तर्गत कोई

भी पत्थर का खनन, पट्टा स्वीकृत नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वहां पर 72 एकड़ माइन्स का पहाड़ है और 2006 में 400 क्रशर ऑपशन द्वारा किया गया था और बिना सूचना के उसको रद्द कर दिया गया ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला में 2012 से क्रशर मशीन बंद होने से लाखों गरीब परिवार बेरोजगार एवं भुखमरी के कगार पर आ गया है, जबकि उक्त स्थान पर माइन्स का 72 एकड़ पहाड़ भी उपलब्ध है, सरकार जिले में बंद क्रशर मशीन चालू कराकर गरीब परिवार को रोजगार दिलावे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–89 : श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–90 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स०
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–96 : श्री शम्भुनाथ यादव, स०वि०स०
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–104 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स०वि०स०
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–105 : श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–120 : श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, स०वि०स०
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–123 : श्री रामचन्द्र प्रसाद, स०वि०स०
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–141 : श्री रामप्रीत पासवान, स०वि०स०

श्री रामप्रीत पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के राजनगर, बाबुबरही खुटौना लौकहा का मुख्य सड़क (आर0ओ0बी0) ऊपरी पुल नहीं रहने के कारण रोड घंटो जाम रहती है, मधुबनी जिला के राजनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिणी रेलवे गुमटी संख्या–20–सी पर ऊपरी पुल (आर0ओ0बी0) बनाने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के राजनगर, बाबुबरही खुटौना लौकहा का मुख्य सड़क के राजनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिणी रेलवे गुमटी संख्या–20–सी पर ऊपरी पुल (आर0ओ0बी0) बनाने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है, इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1987, दिनांक–08.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका स्वीकृत हो गया है अब आप बैठ जाइये ।

क्रमांक–129 : श्रीमती कविता देवी, स०वि०स०

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका पढ़ा हुआ था इसलिए अब आप बैठ जाइये ।
माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अभिस्तावित कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखण्ड में कमला घाट बरंडी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का प्रस्ताव जिला संचालन समिति द्वारा 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना' अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक–16 पर है । प्राथमिकतानुसार स्वीकृति के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर निविदा के माध्यम से पुल निर्माण करा दिया जायेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती कविता देवी : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमशः

टर्न–16 / यानपति / 27.03.2025

(क्रमशः)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान बजट सत्र में प्रश्नों के निष्पादन सहित अन्य विधायी कार्य नेवा पोर्टल के माध्यम से संपादित किया गया है । वर्तमान सत्र में ऑफलाईन की अपेक्षा ऑनलाईन माध्यम से माननीय सदस्यों

द्वारा अधिक प्रश्न भेजे गए हैं और विभाग द्वारा भी प्रश्नों का उत्तर पोर्टल के माध्यम से भेजा गया है । यह टेक्नोलॉजी के प्रति आप सभी सदस्यों के उत्साह को दर्शाता है । मुझे अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल ई–विधान परियोजना (नेवा) के अंतर्गत इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिए एक टेबलेट की व्यवस्था की गई है । आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप स्वयं उक्त टेबलेट को सभा सचिवालय के वितरण पोर्टल से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

(व्यवधान)

यह महत्वपूर्ण सूचना नहीं थी ।

क्रमांक–133 : श्री शिवप्रकाश रंजन, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसका जवाब दे दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ आरेखन अवस्थित बसावटों को एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय मोबाईल ऐप के माध्यम से सर्वे कराया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0 79224 है । मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष के तहत स्वीकृति उपरांत पथ का निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिए, माननीय सदस्य को सुनने दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री शिवप्रकाश रंजन : अध्यक्ष महोदय, यह कब तक बन जायेगा । इसको बनवा दीजिए जल्दी ।

अध्यक्ष : हो गया । आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री शिवप्रकाश रंजन : मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, अब आज के संकल्प लिये जायेंगे । माननीय मंत्री पर्यटन विभाग को दूसरे स्थान पर जाना है इसलिए उनसे जुड़ा हुआ जो 5–6 है वह मैं पहले लेता हूं ।

क्रमांक–13 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड के अंतर्गत सागर में बावन बीघा बुद्ध तालाब का जीर्णोद्धार कराते हुए उक्त ऐतिहासिक स्थल का पर्यटकीय दृष्टि से विकास कार्य करावे ।''

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पर्यटन विभाग के पत्रांक–971, दिनांक–19.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण को

प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : इसी आशा में कि तुरंत करा दीजिएगा । बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'', पढ़िए अपनी सूचना को ।

(व्यवधान)

आप पढ़िए बचोल जी, नहीं पढ़िएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ।

क्रमांक–22 : श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'', स0वि0स0

श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'' : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी प्रखंड ऋषि याज्ञवल्क्य आश्रम जगवन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करावे ।''

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आश्रम के आसपास प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पंचमी को मेला लगता है । इसमें अधिक संख्या में लोग आते हैं उनके लिए मूलभूत सुविधा का अभाव है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1077, दिनांक–26.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से वर्णित स्थल पर पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में भूमि की उपलब्धता एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'' : जी महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–31 : श्रीमती रश्मि वर्मा, स0वि0स0

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज से 27 कि0मी0 दूर थरूहट क्षेत्र में अवस्थित बुद्ध की पत्नी (यशोधरा) सहोदरा माई स्थान को बुद्ध सर्किट में शामिल कर जीर्णोद्धार करते हुए पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध करावे ।''

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चंपारण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है सहोदरा माई स्थान पश्चिमी चंपारण

जिला अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडल के प्रखंड गवनाहा में अवस्थित है जहां चैत्र माह में मेला का आयोजन होता आया है । यह मंदिर प्राचीन समय से आस्था का केंद्र रहा है जहां नेपाल एवं बिहार के सुदूर इलाके के श्रद्धालु प्रतिवर्ष भारी संख्या में दर्शन हेतु उपस्थित होते हैं । स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार सहोदरा माई स्थान को सुभद्रा माई स्थान के रूप में भी जाना जाता है । विभागीय पत्रांक–926, दिनांक–18.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चंपारण के वर्णित स्थल पर पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र की भूमि की उपलब्धता एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेना चाहेंगी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : जी, मैं धन्यवाद के साथ अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–53 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–66 : डॉ0 रामप्रीत पासवान, स0वि0स0

डॉ0 रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के प्रखंड राजनगर में दरभंगा महाराज द्वारा माता काली मंदिर एवं महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था, वह धार्मिक स्थल है, सरकार इसे अधिग्रहण कर पर्यटक स्थल घोषित करावे ।''

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र में असीम संभावनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता सूची की मांग पर्यटन विभाग द्वारा की गई थी जिसके अनुपालन में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–877, दिनांक–10.11.2022 के द्वारा अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को जिला की श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी के पर्यटन स्थलों की सूची भेजी गयी है । उक्त सूची में श्रेणी ए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्थल की सूची में राजनगर प्रखंड स्थित दरभंगा महाराज द्वारा निर्मित राजनगर पैलेस को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा गया है । उक्त परिसर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भूमि का हस्तांतरण राज्य सरकार को आवश्यक है । बिहार सरकार को भूमि हस्तांतरित नहीं होने के कारण उक्त स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : रामप्रीत जी बताइये संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 रामप्रीत पासवान : हां वापस तो ले ही लेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–117 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड के अमझरशरीफ दरगाह तथा रफीगंज प्रखंड के सिहुली दरगाह को सूफी सर्किट से जोड़े ।''

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–930, दिनांक–08.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से वर्णित स्थल पर पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में भूमि की उपलब्धता एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करना चाहेंगे ।

श्री भीम कुमार सिंह : बहुत प्राचीन दरगाह है महोदय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भीम कुमार सिंह : माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको दिखवाकर कराया जाय ।

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भीम कुमार सिंह : वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–5 : श्री ललित नारायण मंडल, स0वि0स0

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनियां पंचायत में कमरगंज पुल से गनगनियां दुर्गास्थान तक गंगा के दक्षिणी किनारे गंगा नदी को बाढ़ से कटाव को रोकने के लिए गाईडवाल का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तो इस स्थल पर कोई कटाव नहीं हो रहा है । वैसे भी गंगा के किनारे से 50 से 100 मीटर की दूरी है इसकी, ऐसे अगर आवश्यकता होगी तो कटाव निरोधक कार्य करा दिया जायेगा । अभी माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललित नारायण मंडल : जी महोदय, धन्यवाद महोदय । प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–17/अंजली/27.03.2025

क्रमांक–1 : श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–2 : श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स०

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अतंर्गत फतेहपुर प्रखंड के ढ़ाढ़र नदी पर दुन्दु बगई के बीच पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । नंबर–2 आज का गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थल पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत पुल निर्माण हेतु जिला संचालन समिति, गया द्वारा बोधगया विधान सभा के अंतर्गत अनुशंसित योजनाओं की सूची में क्रमांक–13 पर शामिल है । समीक्षोपरांत प्राथमिकता क्रम के अनुसार स्वीकृति प्रदान कर निर्माण करा दिया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुमार सर्वजीत : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–3 : मनोज कुमार यादव, स०वि०स०

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर अंचल के यू०एस०पी० महाविद्यालय, सिसवा, पटना में स्टेडियम निर्माण का शेष कार्य पूर्ण करावे ।''

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के यू0एस0पी0 महाविद्यालय, सिसवा, पटना में पूर्व में निर्मित्त स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु सक्षम प्राधिकार से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध

विभागीय पत्रांक–1276, दिनांक–26.03.2025 द्वारा भवन निर्माण विभाग से किया गया है। तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् उक्त स्टेडियम जीर्णोद्धार हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मनोज कुमार यादव : महोदय, 2009 से ही अधूरा है ।

अध्यक्ष : इधर देखकर बात करिए ।

श्री मनोज कुमार यादव : तो मेरा आग्रह है कि आप जल्दी बनवा दिया जाय, 15 साल हो गया है ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मनोज कुमार यादव : हम अपना संकल्प वापस लेते हैं । 15 साल से नहीं बना है महोदय ।

अध्यक्ष : हो गया, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री मिश्री लाल यादव ।

(व्यवधान)

आवाज है, बोलिए मिश्री जी ।

क्रमांक–4 : श्री मिश्री लाल यादव, स०वि०स०

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...

अध्यक्ष : आपकी आवाज भी मिश्री की तरह मीठी है ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को सरकार का दर्जा देने, मुखिया, प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष को सभी सरकारी सुविधा वेतन लागू कराने की व्यवस्था करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–2517, दिनांक–05.05.2015 द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य तथा पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख एवं सदस्यों तथा विभागीय संकल्प संख्या–479, दिनांक–15.01.2024 द्वारा मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंच की स्वीकृत नियत मासिक भत्ता प्रदान की जा रही है । विभागीय संकल्प संख्या–5482, दिनांक–01.10.2018 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचन जन प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने के दौरान आपराधिक प्राकृतिक आपदा एवं हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान के रूप

में 5 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है । वर्तमान में सरकार के समक्ष अन्य कोई सुविधादेय जाने संबंधी मामला विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, आपका संरक्षण चाहते हैं । भत्ता नहीं, मैंने कहा है वेतन लागू कराने और मुखिया, जिला परिषद प्रमुख को कोई अधिकारी नहीं चुनता है, भारत सरकार और बिहार सरकार की तरह...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : .. सरकार का दर्जा इसको मिले ।

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : नहीं महोदय । सरकार का दर्जा मिले और वेतन लागू करावे । सरकार कहती है...

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं कि नहीं ?

श्री मिश्री लाल यादव : कि पांच हजार रुपया एक्सीडेंटल देती है । महोदय, एक्सीडेंटल नहीं जेनरल लोगों को एक्सीडेंटल पांच हजार रुपया मिलता है । इसलिए इस पर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को सरकार का दर्जा देने, मुखिया, प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष को सभी सरकारी सुविधा वेतन लागू कराने की व्यवस्था करावे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

आपको जिद नहीं बांधना चाहिए । सभी माननीय सदस्य का बराबर अधिकार है । बाकी माननीय सदस्यों का भी लेना है । मोहम्मद आफाक आलम ।

क्रमांक–6 : मो0 आफाक आलाम, स॰वि॰स॰

मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जोगवनी से आनंद बिहार जानेवाली सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जो पूर्णियाँ जिला के गड़वनली, जलालगढ़, कसबा में किन्हीं एक स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस का ठहराव करावे ।''

अध्यक्ष : अभी रुकिए । माननीय मंत्री जी आएंगी तो जवाब देंगी ।

क्रमांक–7 : श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा–रक्सौल रेल खंड पर भारत–नेपाल सीमा सड़क में अशोगी (बैरगनीया) बांध पर, रेलवे ढाला कुंडवा चौनपुर, रेलवे ढाला घोड़ासहन पर रेलवे ओवर ब्रिज/अंडर पास का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय से सिफारिश करे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा–रक्सौल रेल खंड पर भारत–नेपाल सीमा सड़क में अशोगी (बैरगनीया) बांध पर, रेलवे ढाला कुंडवा चैनपुर, रेलवे ढाला घोड़ासहन पर रेलवे ओवर ब्रिज/अंडर पास के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–2493, दिनांक–20.03.2025 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : अब किसलिए खड़ा हो रहे हैं ?

श्री पवन कुमार जायसवाल : बहुत–बहुत धन्यवाद मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : बैठिये । आप दोनों जब आपस में बात कर लिए थे तो क्यों सदन का समय बर्बाद किए ? यह स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–8 : श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स०वि०स०

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभी राज्य सरकार से ओभस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखण्ड अंतर्गत मटियारी घाट में पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । 8 नंबर है । आज का सब चल रहा है अब।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत मटियारी घाट पर पुल निर्माण संबंधित है । इस प्रस्तावित पुल की लंबाई लगभग 430 मीटर होगी जिसके निर्माण में लगभग 50 करोड़ व्यय होगा । संप्रति प्रश्नाधीन प्रस्ताव जिला संचालन समिति किशनगंज द्वारा अनुशंसित नहीं है । इसके निर्माण का प्रस्ताव जिला संचालन की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर अनुशंसा के पश्चात् मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत प्राथमिक सूची के निर्धारण एवं स्वीकृति के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पुल निर्माण कराया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

मोहम्मद अनजार नईमी : आवश्यक है महोदय । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं लेकिन इसको करवा दीजिए ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता । अपना संकल्प पढ़ें ।

क्रमांक–9 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स॰वि॰स॰

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला मुख्यालय में एक भी विश्वविद्यालय नहीं होने की वजह से छात्र एवं छात्राओं को काफी परेशानी होती है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए आरा, गया, वाराणसी एवं पटना जाना पड़ता है, सरकार सासाराम में शेरशाह सूरी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आएंगे तब जवाब देंगे । वे उच्च सदन में गए होंगे । बैठिए ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : कल भी जवाब नहीं, आज भी जवाब नहीं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री अजय कुमार । अजय जी, अपना संकल्प पढ़िए ।

क्रमांक–10 : श्री अजय कुमार, स॰वि॰स॰

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के सिंघियाघाट स्टेशन स्थित रेलवे की जमीन पर स्टेडियम का निर्माण होने से रेलवे टुर्नामेंट का आयोजन, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के साथ–साथ स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने हेतु उक्त जमीन पर रेलवे स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड में जे0पी0एन0एस0 उच्च विद्यालय, नरहन एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, मझौलिया में प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण है । जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के पत्रांक–173, दिनांक–13.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के सिंघियाघाट स्टेशन स्थित रेलवे की भूमि पर स्टेडियम निर्माण के संदर्भ में अंचलाधिकारी विभूतिपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आलोच्य भूमि रेलवे की है, उक्त भूमि पर स्टेडियम निर्माण के संबंध में मंडल रेल प्रबंधक, समस्तीपुर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । मंडल रेल प्रबंधक, समस्तीपुर के स्तर से अनुमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उक्त भूमि पर स्टेडियम निर्माण के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : आप दोनों आदमी मिलकर तय करके आये हैं, अगल–बगल के जिले वाले हैं । संकल्प वापस लीजिए ।

श्री अजय कुमार : वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–11 : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स॰वि॰स॰

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला मुख्यालय में सुगम यातायात विधि व्यवस्था के साथ–साथ रोजाना जाम की समस्या से निजात हेतु NH–322, समस्तीपुर बाईपास, मुसरीघरारी–बासुदेवपुर (आमस–दरभंगा मीटिगेटेड प्वाइंट) निर्माण हेतु NH डिवीजन समस्तीपुर के पत्रांक–179, दिनांक–19.02.2025 द्वारा विभाग को रुपये 318 करोड़ राशि के योजना का DPR समर्पित है मुसरीघरारी–बासुदेवपुर बाईपास निर्माण करावे ।''

टर्न–18/पुलकित/27.03.2025

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एन0एच0–322 मुसरीघरारी, बेलानवादा का मार्गरेखन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है । उक्त मार्गरेखन में समस्तीपुर बाईपास का प्रावधान है । स्वीकृत मार्गरेखन पथ निर्माण हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है । भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, पासवान चौक देख रहे होंगे । पासवान चौक से दरभंगा है जो समस्तीपुर शहर को बाईपास का 318 करोड़ राशि का प्रस्ताव हुआ । दो साल से....

अध्यक्ष : जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के बाद किया जाएगा ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : जिला को जाम से बचाने के लिए जल्द से जल्द इसको करायेंगे, इस आलोक में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 12 : श्री आबिदुर रहमान, स0वि0स0

श्री आबिदुर रहमान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला में अररिया प्रखण्ड के पोखरिया पंचायत में बकरा नदी में पुल का निर्माण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पोखरिया पंचायत में बकरा नदी में बंडोप घाट के निकट पुल का निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला संचालन समिति के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु अंतर्गत निर्धारित प्राथमिक सूची के क्रमांक 51 पर अंकित है । प्राथमिकतानुसार निधि की उपलब्धता के आधार पर निविदा के माध्यम से पुल निर्माण की कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आबिदुर रहमान : बहुत–बहुत शुक्रिया । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 14 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मैरवा रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से पूर्व अवध असम बरौनी–लखनऊ ट्रेनों का ठहराव था परन्तु कोरोना में इन ट्रेनों का ठहराव रद्द कर दिया गया है जिससे आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है जनहित में रद्द ट्रेनों के साथ लखनऊ–पाटलीपुत्र ट्रेन की भी ठहराव करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री परिवहन विभाग, उस सदन में गयी हुई हैं । वहां से आयेंगी तो जवाब देंगी ।

क्रमांक– 15 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखण्ड स्थित पंचायत कित्ता चौहतर मध्य में फुटानी चौक के निकट सोन–सोती पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि इस्लामगंज मुस्लिम टोला को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय मोबाईल ऐप के माध्यम से सर्वे किया गया है । जिसका सर्वे आई0डी0–83309 है । सर्वे अनुसार पथ का नाम फुटानी मोड़ से ईस्लामगंज मुस्लिम टोला है । इस पथ आरेखन में अभिस्तावित

पुल स्थल अवस्थित है । मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अवशेष के तहत पथ के साथ पुल का निर्माण करा लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 16 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला प्रखण्ड बाजपट्टी के ग्राम–हरपुरवा बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट से ग्राम–बनभिरवा की ओर जाने वाली सड़क में शिकाउ नदी पर हाईलेवल पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं है । प्राथमिकता एवं निधि उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपा अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुकेश कुमार यादव : सर, यह प्राथमिकता सूची में आया हुआ है । संचालन समिति से प्राथमिकता सूची में आया है । हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी कहे हैं कि प्राथमिकता सूची में नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी देख लेंगे । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, यह संचालन समिति में है । मंत्री जी मीटिंग किये थे तो उसमें भी हम मंत्री जी से आग्रह किए थे और मंत्री जी आश्वासन दिये थे कि हम करवा देंगे ।

अध्यक्ष : अब हो गया । आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुकेश कुमार यादव : जी, मंत्री जी के आश्वासन के बाद हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 17 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री रामबली सिंह यादव को अधिकृत किया गया है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के प्रखण्ड–काराकाट, पंचायत–देव, ग्राम–देवमार्कण्डेय के पश्चिम आहर से ग्राम–देव, बुढ़वल, पड़रिया, औदानी बिगहा, पड़सर एवं हटिया सहित ग्रामीण किसानों का 500 बिगहें में खेती का पटवन कार्य के लिए आहार का जीर्णोद्धार/मरम्मती कार्य करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री काउंसिल में है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री काउंसिल में हैं । आयेंगे तब जवाब देंगे, बैठिये ।

क्रमांक– 18 : श्री प्रेम शंकर प्रसाद, स0वि0स0

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला, बरौली प्रखंड के सलेमपुर एवं पूर्वी चम्पारण जिला, बरौली प्रखंड के सलेमपुर एवं पूर्वी चम्पारण जिला, अरेराज अनुमंडल के बीच गंडक नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल से 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोपालगंज–बेतिया (विशुनपुर) गंडक नदी पर नव–निर्मित पुल है तथा डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर की दूरी पर डुमरिया घाट में गंडक नदी पर पुल निर्मित है । जहां पर प्रश्नगत जो माननीय सदस्य ने कहा है उसकी दृष्टि से संसाधन की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 57 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अंतर्गत नोचा ग्राम में अवस्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भवन का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि परिहार प्रखण्ड अंतर्गत नोचा ग्राम है जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेला संचालित है । यहां

पदस्थापित दो चिकित्सक है । एक एम0बी0बी0एस0 और एक आयुष चिकित्सक और एक जी0एन0एम0 एवं एक एन0ए0एम0 द्वारा आमजनों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन मरम्मती, जीर्णोद्धार योग्य है । जिसकी मरम्मती, जीर्णोद्धार अगले वित्तीय वर्ष में विहित प्रक्रियानुसार करा दी जाएगी ।

अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्रीमती गायत्री देवी : बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 19 : श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिलों में 200 से अधिक गांवों को डूब एवं जल–जमाव के क्षेत्र में बदल देने वाली सिकरहना नदी के दक्षिणी तटबंध का निर्माण कराने की योजना पर रोक लगावे तथा तटबंध का निर्माण कार्य कराने के बदले कटाव वाले गांवों के सामने ठोकर निर्माण के साथ नदी की गाद की सफाई करावे ।''

अध्यक्ष : जवाब बाद में होगा । मंत्री जी उस सदन में है, आयेंगे तब देंगे ।

क्रमांक– 20 : श्री शंकर सिंह, स0वि0स0

श्री शंकर सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह तॉती (ततवा) जाति को पुनः अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक उपाय करे ।''

अध्यक्ष : बैठ जाइये । मंत्री जी, उस सदन में है, जब जायेंगे तब जवाब देंगे ।

क्रमांक– 21 : श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0

श्री विजय शंकर दूबे : मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महाराजगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का अपना आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन एवं परिसर का निर्माण सभी सृजित पदों पर नियुक्ति करके महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय से वास्तविक एवं सम्पूर्ण न्यायिक लाभ प्रदान करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, विधि विभाग ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि आयुक्त कार्यालय, सारण, प्रमंडल छपरा के पत्रांक– 3136, दिनांक–09.12.2016 द्वारा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज के भवन निर्माण हेतु 3.60 एकड़ भूमि तथा आयुक्त कार्यालय सारण, प्रमंडल छपरा के पत्रांक–3137, दिनांक–09.12.2016 द्वारा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय भवन निर्माण हेतु 3.05 एकड़ भूमि विधि विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण किया गया है । उक्त हस्तांतरित 6.65 एकड़ ।

(क्रमशः)

टर्न–19/अभिनीत/27.03.2025

..क्रमशः...

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : सरकारी भूमि तक पहुंच पथ के निमित 53.5 डेसिमल रैयती भूमि सतत लीज पर लिये जाने हेतु व्यय के लिए विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–7052, दिनांक– 04.11.2024 द्वारा 02 करोड़ 17 लाख 74 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है । विधि विभागीय पत्रांक– 4852, दिनांक– 05.12.2024 एवं 1669, दिनांक–11.03.2025 द्वारा समाहर्ता, सीवान से पूर्व में हस्तांतरित 6.65 एकड़ सरकारी भूमि तक पहुंच पथ के निमित 53.5 डेसिमल रैयती भूमि सतत लीज पर लेने हेतु निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश दिनांक– 04.11.2024 के आलोक में यथाशीघ्र कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है । उक्त भूमि सतत लीज पर उपलबध होने के उपरांत न्यायालय भवनों एव आवासीय भवनों का ले आउट प्लान माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा । अनुमोदनोपरांत भवन निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी ।

यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महारजगंज अनुमंडल में पूर्व से उपलब्ध अस्थायी सरकारी भवन में असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि एवं असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि का एक–एक न्यायालय 25.02.2025 से कार्यरत हो चुका है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, करना चाहते हैं लेकिन हमारी एक बात सुन ली जाय ।

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री विजय शंकर दूबे : मान्यवर, महाराजगंज अनुमंडल पुराना हो गया । माननीय मंत्री के जवाब से प्रमाणित हुआ कि सरकार इंटरेस्ट लेकर परिसर के जमीन का अधिग्रहण, ली गयी जमीन का भुगतान इत्यादि कर रही है लेकिन न्यायालय खोलने के लिए उच्च न्यायालय से भी परमिशन लेनी होती है..

अध्यक्ष : उन्होंने तो बताया न ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के मानदंड के हिसाब से सरकार सृजित जमीन पर संपूर्ण कार्रवाई कबतक कराना चाहती है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो बताया ही ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने तो स्पष्टता से बोला कि न्यायालय वहां पर 25.02.2025 से अभी शुरू हो गया है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में और जो जमीन का मामला है, जो पहुंच पथ है वह पहुंच पथ, 53.5 डेसिमल रैयती भूमि को लीज पर लेने हेतु पुनः जिलाधिकारी को, 04.11.2024 को पूर्व में लिखा गया था, पुनः उनसे कहा गया है कि आप उस काम को शीघ्रताशीघ्र करें और जैसे ही वह काम पूर्ण हो जायेगा, फिर हम उच्च न्यायालय से अनुमोदन लेंगे । मैंने स्पष्टता से बोला है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, सरकार को धन्यवाद और मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–23 : श्री देवेश कांत सिंह, स0वि0स0

श्री देवेश कांत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के लोकप्रिय जन नेता, बिहार के विकास के पर्याय रहे प्रथम आम चुनाव 1952 से 1985 तक राज्य के विभिन्न पदों पर आसीन रहकर राज्य में सेवा करने वाले एवं 1969 ई0 में नालन्दा मेडिकल कॉलेज के संस्थापक रहे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, स्व0 कृष्ण कांत सिंह की आदम कद प्रतिमा नालन्दा मेडिकल कॉलेज में स्थापित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय । माननीय सदस्य, बैठ जाइये, मंत्री जी आयेंगे तो जवाब देंगे ।

माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ ।

क्रमांक–24 : श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0

श्री संदीप सौरभ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज की सीमा को समाप्त कर प्रदेश में प्रखंड स्तर पर एक डिग्री कॉलेज तथा अनुमंडल स्तर पर एक महिला डिग्री कॉलेज के स्थापना की

नीति बनाये तथा इसके आलोक में पटना जिलांतर्गत पालीगंज अनुमंडल के मुख्यालय पालीगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । मंत्री जी उस सदन से आयेंगे तो जवाब देंगे ।
माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार ।

क्रमांक–25 : श्री जितेन्द्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलांतर्गत बिहारशरीफ प्रखंड के खन्दक पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुशंसा करे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलांतर्गत बिहारशरीफ एवं टुंगी हॉल्ट के बीच खन्दक स्थित एल0सी0–34 ए0डी0 के स्थान पर रेल ऊपरी पुल सह पहुंच पथ निर्माण कार्य हेतु 73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । निविदा निस्तार कर निर्माण कार्य हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, यह खन्दक पर का मामला है । मंत्री जी आगे की बात कर रहे हैं । खन्दक पर जो जाती है शेखपुरा, जमुई...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, टेंडर हो गया, अब क्या बात कर रहे हैं । प्रशासनिक स्वीकृति हो गयी है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, जगह का परिवर्तन है । यह खन्दक पर का है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री आपका दिखवा लेंगे । आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जितेन्द्र कुमार : लेते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।
माननीय सदस्य श्री शम्भू नाथ यादव ।

क्रमांक–26 : श्री शम्भू नाथ यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार ।

क्रमांक–27 : श्री प्रणव कुमार, स0वि0स0

श्री प्रणव कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमालपुर–भागलपुर रेल खंड पर ऋषिकुंड हाल्ट के पास आर0ओ0बी0 नहीं होने के कारण रेलवे पटरी के दोनों तरफ की आबादी का रेल पटरी पार करने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं । फरवरी, 2025 में ही तीन लोगों की रेल से कट जाने

के कारण मृत्यु हो गई है । ऋषिकुंड हाल्ट के पास आर0ओ0बी0 बनाकर भविष्य में होने वाली घटना को रोकने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग । माननीय सदस्य, बैठिए । मंत्री जी आयेंगी तो जवाब देंगी ।

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इजहार असफी ।

क्रमांक–28 : श्री मोहम्मद इजहार असफी,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी ।

क्रमांक–29 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0

श्री विनय बिहारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न जिलों, प्रखंडों एवं पंचायतों में मानदेय के आधार पर कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 5000–7500 से बढ़ाकर 12000–15000 रुपये एवं स्वच्छता कर्मी का मानदेय 1500–2000 रुपये से बढ़ाकर 5000–7500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ ही इनकी सेवाकाल 60 वर्ष करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न तीसरी बार आज है । ध्यानाकर्षण भी इस सदन में आया है, काउंसिल में भी आया है, गैर सरकारी संकल्प में भी है और शून्यकाल में तो कई बार उठे हैं ।

अध्यक्ष : तब तो आसान है आपके लिए । जवाब जल्दी से दे ही दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार अंतर्गत ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन हेतु वार्ड स्तर पर घर–घर से कचरा उठाव, उसका परिवहन संग्रह एवं पृथकीकरण का कार्य स्वच्छताकर्मी द्वारा किया जाता है । कार्य योजना निर्माण प्रसंस्करण के कार्यान्वयन की निगरानी, पर्यवेक्षण रिकॉर्ड, कीपिंग आदि स्वच्छा पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है । अवशिष्ट के समुचित निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई एवं अन्य संसाधन हेतु अनुरक्षण जन जागरूकता से संबंधी कार्यों का भी निष्पादन स्वच्छता पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है । ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक– 36 (सी0), दिनांक– 20.12.2021 एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पत्रांक– बी0आर0एल0पी0एस0 / एल0एस0बी0ए0 प्रोजेक्ट / 152 / 2020 / 624, दिनांक– 26.10.2023 के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर मानव बल चयन संबंधी विवरणी उपलब्ध करायी गयी थी जिसके आलोक में..

..क्रमशः..

टर्न–20 / हेमन्त / 27.03.2025

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : (क्रमशः) : ग्राम पंचायत के अनुसार स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया एवं उनके कार्य आधारित काम किया जाता है । स्वच्छता पर्यवेक्षक को न्यूनतम 5000 रूपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 7500 रुपये प्रतिमाह, कार्य आधारित स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम 1500 रूपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 3000 रूपये प्रतिमाह कार्य आधारित मानदेय निर्धारित है । प्रथम वर्ष में स्वच्छ भारत मिशत ग्रामीण तदोपरांत मानदेय का भुगतान 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत संबंधित निधि टायड फंड के कर्णांकित राशि एवं उपयोगिता शुल्क के संग्रह आदि से प्राप्त राशि से दिये जाने का प्रावधान है । जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक राज्य सरकार के संसाधन से मानदेय का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । स्वच्छताकर्मी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक अंशकालिक रूप से कार्य करते हैं । यह संविदा आधारित कर्मी नहीं हैं । अतः इनकी सेवा 60 वर्ष तक करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, संरक्षण चाहिए । पीयर टोपी, ललका कोट, ना चाही हमका सौ का नोट ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : दो हजार में दम नहीं और पांच हजार से कम नहीं । गंदगी उठाते हैं और अपनी गरीबी से जूझते हैं । ये वो लोग हैं जिनके पांव प्रधानमंत्री पूजते हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न जिलों, प्रखंडों एवं पंचायतों में मानदेय के आधार पर कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 5000–7500 से बढ़ाकर 12000–15000 रुपये एवं स्वच्छता कर्मी का मानदेय 1500–2000 रुपये से बढ़ाकर 5000–7500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ ही इनकी सेवाकाल 60 वर्ष करावे।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–30 : श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–32 : श्री अशोक कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सोन प्रणाली की नहर गाराचौबे एवं करगहर जिससे रोहतास एवं कैमूर जिला के खेतों की सिंचाई होती है, नहर कच्ची होने के चलते किसानों को समय पर और अंतिम छोर पर पानी नहीं मिल पाता है, अतएव सरकार उक्त नहरों का पक्कीकरण करावे।''

अध्यक्ष : बैठ जाइये । जब मंत्री जी आयेंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक–33 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के जन वितरण प्रणाली (डीलर) के दुकानदारों को पारिश्रमिक अस्सी पैसा से बढ़ाकर दो (रूपये) पारिश्रमिक (कमीशन) दिलावे।''

अध्यक्ष : पंकज जी, आपको प्रति किलो न बोलना चाहिए । वह आप बोले ही नहीं । प्रति बोरा दे देगी सरकार, तब क्या होगा ?

श्री पंकज कुमार मिश्र : प्रति किलो सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक केंद्र प्रायोजित योजना है । जिसके माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जाता है । जिसकी एवज में विक्रेताओं को उनके द्वारा वितरण किये गये कुल खाद्यान्न की मात्रा के विरूद्ध मार्जिन मनी का भुगतान किया जाता है । उक्त अधिनियम अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा नियम 2015 के तहत उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को उनके द्वारा वितरण किये गये कुल खाद्यान्न की मात्रा के विरूद्ध 70 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जा रहा था, जिसे कालांतर में खाद्य सुरक्षा नियम, 2022 के अधिसूचित होने के पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा 01.04.2022 से उचित दर दुकानों के डीलर की मार्जिन मनी को 70 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कुल 90 रूपये प्रति क्विंटल रूपया किया गया जिसके आलोक में उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों द्वारा वितरण किये गये कुल खाद्यान्न की मात्रा के विरूद्ध 90 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जा रहा है। जिसमें केंद्रीय सहायता एवं राज्यांश की राशि का प्रतिशत क्रमशः 50:50 निर्धारित है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के बेसिक मार्जिन में वृद्धि संबंधी विषय आवर्ती मांग के आलोक में विभागीय पत्रांक–1/217069/2025, दिनांक–17.03.2025 द्वारा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक विभाग, भारत सरकार से राज्य ने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को दी जाने वाली पारिश्रमिक की राशि में बढ़ोतरी करने हेतु अनुरोध भी किया है । इस संबंध में यदि भारत सरकार द्वारा

बेसिक डीलर्स मार्जिन की दर में बढ़ोतरी की जाती है, तो तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा भी उक्त दर में, डीलर्स मार्जिन में वृद्धि की जायेगी।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह...

अध्यक्ष : वह चला गया । भारत सरकार को भेजा है इन्होंने ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह के साथ वापस ले लेंगे । मेरा आग्रह यही है कि डीलर्स की स्थिति यह हो गयी है कि उसको पांच हजार रूपये भी नहीं बच पाता है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–34 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के बिहपुर विधान सभा अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के हरिओं के पास कोशी नदी पर पुल या पीपापुल नहीं होने की वजह से गोविंदपुर मुशहरी एवं कहारपुर के लोगों को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए त्रिमुहान घाट के कोशी नदी पर पीपापुल या पुल का निर्माण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित गोविंदपुर मुशहरी एवं कहारपुर को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, भवनापुर एम0एम0जी0एस0वाई0 रोड से कहरपुर, बजरंगबली स्थान पथ के नाम से चयनोपरांत प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । तदनुसार निविदा के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र पथ का निर्माण कार्य करा लिया जायेगा एवं दूसरी तरफ अवस्थित हरिओ बसावट को निर्मित एन0एच–31 से हरिओ कोशी बांध पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । विस्थापित पुल स्थल के एक तरफ से बसावट को एकल सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी एवं दूसरी तरफ की बसावट को एकल सम्पर्कता प्राप्त है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथों से एकल सम्पर्कता प्रदान किया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 17 किमी एवं डाऊन स्ट्रीम में 0.0 किमी पर पुल निर्मित है । अभिस्तावित पुल स्थल पर पुल निर्माण की अनुशंसा संचालन समिति द्वारा भी नहीं की गयी है । अतः अभिस्तावित पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : कुछ बोलना नहीं न है महोदय ?

अध्यक्ष : नहीं, बोलिये नहीं । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : वापस लेते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–35 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत मधुबनी शहर के जल निकासी हेतु राज कैनाल, किंग्स कैनाल और वाटसन कैनाल के काम को पूरा करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी शहर के जलजमाव की समस्या के समाधान हेतु मधुबनी स्ट्रांग वाटर ड्रेनेज योजना को विभागीय राज्यादेश संख्या–166, दिनांक–28.03.2018 द्वारा कुल 103 करोड़ 65 लाख रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अंतर्गत जल निकासी हेतु राज कैनाल, किंग्स कैनाल और वाटसन कैनाल का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है । नगर आयुक्त, नगर निगम, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाटसन कैनाल की कुल लम्बाई 2284 मीटर के विरूद्ध 2934 मीटर और किंग्स कैनाल की कुल लम्बाई 1690 मीटर के विरूद्ध 163 मीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है । उक्त कैनाल का शेष कार्य प्रगति पर है। अभी परसों ही हमने समीक्षा करके 30.06.2025 तक मतलब जून, 2025 तक हर हालत में इसको पूरा कर लेने का निर्देश विभाग को दिया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–36 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह केसरिया विधान सभा अन्तर्गत विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से पूर्ण करवाते हुए उसका सौंदर्यीकरण जल्द–से–जल्द करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री मोती लाल प्रसाद, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केसरिया बौद्ध स्तूप प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय संरक्षित घोषित स्मारक है जिसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है । समय–समय पर उचित प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु आवश्यक पत्राचार क्षेत्रीय कार्यालय, पटना एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से किया जाता है ।

अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक लाईन कहते हुए कि ये उत्खनन और सौंदर्यीकरण का बिहार सरकार की तरफ से भारत सरकार को प्रस्ताव जाना बहुत जरूरी है । यह तो मुझे पता ही है कि उत्खनन का टाईम–टू–टाईम कुछ होता है लेकिन वह बहुत जरूरी है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, क्या आप संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, केसरिया विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है । यह आग्रह करते हुए कि इसको करा दें । मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–37 : श्री शाहनवाज, स॰वि॰स॰

श्री शाहनवाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी बहुत धीमी गति से हमलोग चल रहे हैं पूरा हो नहीं पायेगा, छूट जायेगा अंत वाले का । माननीय सदस्य जरा तेज चलिये, मंत्री लोग भी तेज चलिये ।

श्री शाहनवाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत जोकिहाट प्रखण्ड के जोकिहाट से दमयालपुर पथ जो 12 कि॰मी॰ सड़क की मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत प्रश्नगत पथ की चौड़ाई 03 मीटर है । वर्तमान में यह पथ ओ॰पी॰आर॰एम॰सी॰ के तहत संधारित है । संसाधन की उपलब्धता के आधार पर चौड़ीकरण पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री शाहनवाज : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, ले रहा हूँ....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

(व्यवधान)

थोड़ा बैठना चाहिए, सदन खाली हो जाएगा तो हम कहाँ बैठेंगे । प्रतिमा जी, बोलिये ।

क्रमांक–38 : श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स॰वि॰स॰

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गंगा पार के आम लोगों एवं मरीजों को जाम मुक्त निर्बाध रूप से यथाशीघ्र राजधानी एवं पी॰एम॰सी॰एच॰ सहित अन्य अस्पताल पहुँचने हेतु उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु को पटना के गंगा मरीन ड्राइव से जोड़े ।''

अध्यक्ष : मरीन ड्राइव कहाँ है ?

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, गंगा पथ वाला जो पुल है ।

अध्यक्ष : जे॰पी॰ गंगा पथ है वह ? माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जे॰पी॰ गंगा पथ परियोजना में वर्तमान में दीघा से कंगन घाट के बीच आवागमन जारी है । उत्तर बिहार के आम लोगों एवं मरीजों को जाम मुक्त निर्बाध रूप से यथाशीघ्र राजधानी पटना एवं पी॰एम॰सी॰एच॰ सहित अन्य अस्पतालों तक पहुँचने के लिए महात्मा गांधी सेतु से बिस्कोमान गोलंबर आने के उपरांत करीब 2.5 किलोमीटर पर स्थित गाय घाट संपर्क पथ से जे॰पी॰ गंगा पथ के माध्यम से पी॰एम॰सी॰एच॰ एवं अन्य अस्पताल पहुँचा जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेना ही पड़ेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–39 : श्री मुकेश कुमार रौशन, स॰वि॰स॰

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी को प्राधिकृत किया गया है । समीर जी, मुकेश कुमार रौशन जी का पढ़िये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महुआ सहित सम्पूर्ण बिहार में मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 22 जिलों में कुल 107 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं । शेष जिलों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार को चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त राज्य में 35 जिला अस्पताल, 55 अनुमंडलीय अस्पताल, 66 रेफ्रल अस्पताल, 355 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 179 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1399 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10,788 स्वास्थ्य उप केन्द्र के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में मोहल्ला क्लीनिक स्थापित, संचालित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–40 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स॰वि॰स॰

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड में मझिआँव से अंकोड़ा पथ में अंकोड़ा फाटक के पास एवं बारूण प्रखण्ड में बारूण–दाउदनगर पथ में सोन नगर अण्डरपास के रेलवे लाइन के ऊपर आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण कराने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी आयेंगी तो जवाब देंगी ।

(व्यवधान)

परिवहन मंत्री जवाब देंगी ।

क्रमांक–41 : श्री राकेश कुमार रौशन, स॰वि॰स॰

श्री राकेश कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला के एकंगरसराय प्रखण्ड के अंतर्गत तेल्हाड़ा का ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए तेल्हाड़ा महोत्सव प्रारंभ करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री मोती लाल प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा तेल्हाड़ा के ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य किया जा रहा है । पुरास्थल संग्रहालय तेल्हाड़ा के भवन का निर्माण संरक्षित

घोषित, तेल्हाड़ा के समीप कराया जा रहा है । जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–17, दिनांक–12.03.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि तेल्हाड़ा नालन्दा जिला के एकंगरसराय ब्लॉक में तेल्हाड़ा ग्राम में स्थित है, जहाँ प्राचीन तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय संचालित हुआ करता था । राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में इस स्थल की खुदाई प्रारंभ कराई, खुदाई के उपरांत प्राचीन मिट्टी के बर्तन अवशेष और ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित तीन मंजिला भवन की संरचना के अवशेष मिले हैं । वर्तमान में यहाँ महोत्सव प्रारूप का कोई आयोजन नहीं होता है और न ऐसी कोई परंपरा है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, एक मिनट । पिछली दफा भी उप मुख्यमंत्री जी, माननीय विजय सिन्हा जी ने इसी सदन में कहा था और आप भी कहे थे महोदय कि तेल्हाड़ा के...

अध्यक्ष : हमने भी कहा था ?

श्री राकेश कुमार रौशन : जी, महोदय । आपने भी कहा था । तेल्हाड़ा का ऐतिहासिक धरोहर को देखते हुए हम जिलाधिकारी से प्रस्ताव माँग रहे हैं और प्रस्ताव आने के बाद. ...

अध्यक्ष : अभी आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, अभी तो संकल्प वापस ले रहे हैं लेकिन....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

सदन अगर कहे तो मुझे क्या आपत्ति है लेकिन ऐसा होता नहीं है । संकल्प व्यक्तिगत होता है । व्यक्तिगत होता है संकल्प सब का, सब को अपना पढ़ना पड़ता है ।

क्रमांक–42 : श्री राम विशुन सिंह, स॰वि॰स॰

श्री राम विशुन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगदीशपुर प्रखण्ड में बजरंग चौक नहर मोड़ से केसरी महादलित टोला तक लगभग 2.5 कि॰मी॰ सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ आरेखन में एक मात्र बसावट केसरी महादलित टोला अवस्थित है । केसरी महादलित टोला को बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत मरम्मत किये गये हैं ।

एन०एच०–30 से केसरी ग्राम पथ से संपर्कता प्राप्त है । संप्रति पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है, पथ की स्थिति संतोषजनक है । अभिस्तावित आरेखन में कोई अन्य उपयोगी बसावट नहीं होने के कारण इसे कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है तथा इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थितियों से माननीय सदस्य से आग्रह है कि कृपया अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, प्रस्ताव तो ले ही रहे हैं लेकिन....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–43 : ई० शशि भूषण सिंह, स०वि०स०

ई० शशि भूषण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा अन्तर्गत सुगौली प्रखण्ड में एन०एच०–28 (ए) पर अवस्थित छपवा चौक पर ओवर ब्रीज का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत छपवा से बेतिया तक के फोर लेनिंग हेतु डी०पी०आर० कंसल्टेंसी नियुक्ति हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है । परामर्शी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर छपवा चौक पर यातायात प्रबंधन हेतु ओवर ब्रीज के निर्माण अथवा अन्य उपायों के समन्वयक विचारोपरांत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्वीकृति के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जायेगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

ई० शशि भूषण सिंह : महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठिये ।

क्रमांक–44 : श्री रणविजय साहू, स०वि०स०

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अंतर्गत शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन से यादव चौक होते हुए 25 नं० रेलवे गुमटी तक एवं 24 नं० रेलवे गुमटी से ए०एन०डी० कॉलेज बैलहाट होते

हुए 25 नं॰ रेलवे गुमटी तक जाने वाली सड़क, जो रेलवे के अधीन है, का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन से यादव चौक होते हुए 25 नं॰ रेलवे गुमटी तक एवं 24 नं॰ रेलवे गुमटी से ए॰एन॰डी॰ कॉलेज बैलहाट होते हुए 25 नं॰ रेलवे गुमटी तक जाने वाली सड़क, जो रेलवे के अधीन है, का निर्माण कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1986, दिनांक–08.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, सड़क बहुत जर्जर है...

अध्यक्ष : अब क्या महोदय ? प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । आप बैठ जाइये । हम वापस लेने के लिए कह भी नहीं रहे हैं ।

टर्न–22 / संगीता / 27.03.2025

क्रमांक–45 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–46 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध बेगुसराय जिला जहां बरौनी रिफाइनरी NTPC, HURL, SUDHA DAIRY, PEPSI PLANT सहित कई अन्य उद्योग संचालित होने के कारण प्रति वर्ष राजस्व के रूप में राज्य सरकार को विभिन्न मदों से प्राप्त 8000 करोड़ रुपये में से बुनियादी समस्याओं को दूर करने तथा बेगूसराय को विकसित बनाने हेतु जिला स्तर के तर्ज पर DISTRICT MINERAL FUND प्राप्त राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आयेंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक–47 : श्री अख्तरूल ईमान, स0वि0स0

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार जिलों में बसे सुरजापूरी मुस्लिम को केन्द्रीय OBC सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को सिफारिश भेजे ।''

अध्यक्ष : बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी उच्च सदन के अंदर हैं आयेंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक–48 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया समाहरणालय अथवा कोशी कॉलेज के बीच रेलवे समपार NH-31 पथ तक लाइट आर0ओ0बी0 निर्माण पूर्व मध्य रेलवे स्तर पर अथवा राज्य सरकार डिपॉजिट टर्म के आधार पर पूर्व मध्य रेलवे से निर्माण का प्रस्ताव पारित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया समाहरणालय अथवा कोशी कॉलेज के बीच रेलवे समपार NH-31 पथ तक लाइट आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–1314, दिनांक–28.02.2025 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री छत्रपति यादव : जी धन्यवाद । **मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।**

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।
श्री मोहम्मद कामरान ।

क्रमांक–49 : श्री मोहम्मद कामरान, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री रणविजय जी पढ़िए ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जनहित में नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के लालपुर पंचायत में चिमनिया में डैम का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : बैठ जाइए, मंत्री जी आयेंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक–50 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिला अंतर्गत दो जिला को जोड़नेवाली कोलसो मोतनाजय से सैली रूपौली R.E.O. सड़क के बागमती नदी पर पुल बनावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा राज्य के सभी योग्य बसावट को एकल संपर्कता प्रदान किए जाने का लक्ष्य है । अभिस्तावित पुल के दोनों तरफ के बसावट को एकल संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु जिला संचालन समिति से प्राप्त प्राथमिकता सूची में भी सम्मिलित नहीं है । अतः इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजय कुमार गुप्ता : एक मिनट अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में गए थे और वादा करके आए थे कि मैं वहां पर पुल बनवाऊंगा और मैंने 2 बार क्वेश्चन भी किया है ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजय कुमार गुप्ता : भारत सरकार को भी गया है वह नहीं आ सका आज तक ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजय कुमार गुप्ता : सर, आपके आदेश से मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–51 : श्री रामवृक्ष सदा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–52 : डॉ0 संजीव कुमार, स0वि0स0

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समाज कल्याण विभाग अंतर्गत महत्वपूर्ण योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन एवं विधवा पेंशन की राशि को प्रतिमाह दो हजार रुपये की वृद्धि करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है मैं उनसे आग्रह करता हूं चूंकि उनका प्रस्ताव है 400 से बढ़ावे, अभी फिलहाल यह प्रस्ताव विभाग के अंतर्गत विचाराधीन है इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 संजीव कुमार : सकारात्मक जवाब के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्रीमती मीना कुमारी । श्रीमती मीना कुमारी ।

(व्यवधान)

बैठिए अजय बाबू । लेट हो गए आप, आपके मंत्री जी भी चले गए । मैंने प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विभाग का लिया था, उनको कहीं जाना था मीटिंग में इसलिए प्राथमिकता के आधार पर लिया था अब आपका नहीं हो पाएगा ।

श्रीमती मीना कुमारी ।

क्रमांक–54 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड के खजौली सन्तुचौक से अम्बेदकर चौक के बीच रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड के सन्तुचौक से अम्बेदकर चौक के बीच रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2109, दिनांक–11.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–55 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के अंचल पीरपैंती मौजा बारा में वर्ष 1961 में ही पीरपैंती गोड्डा सड़क (वर्तमान में एन0एच0 133) के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था, परन्तु आजतक उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है । अधिग्रहित भूमि का नक्शा एवं जरूरी कागजात अतिक्रमणकारियों ने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मिली भगत से कार्यालय से गायब कर दिया है । उक्त अधिग्रहित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समाहर्ता, भागलपुर के प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के अंतर्गत अंचल पीरपैंती में मौजा बारा थाना नंबर–152 में वर्ष 1961 में ही पीरपैंती गोड्डा सड़क (वर्तमान में एन0एच0

133) के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था । रिजनल सर्वे वर्ष 1970–71 में उक्त सड़क का खाता–590, खेसरा–1347 बना, जो अनाबाद सर्वसाधारण किस्म रास्ते की भूमि के नाम से रिविजनल सर्वे खतियान दर्ज है । रिविजनल सर्वे नक्शा के आधार पर अतिक्रमण वाद संख्या–2, 2024–25 संचालित कर विधि पूर्वक अंचलाधिकारी, पीरपैंती द्वारा अतिक्रमणमुक्त करा दिया गया है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना अभिस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा घर उसी बारा पंचायत में है, एक इंच भी मुक्त नहीं कराया गया है और हमारा सवाल था कि जो अधिग्रहण...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिएगा इसको ।

श्री ललन कुमार : महोदय, 54 साल पहले अधिग्रहण किया गया है...

अध्यक्ष : हो गया, मंत्री जी को कहा है दिखवा लेने के लिए । आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? मैं वोटिंग कराऊंगा आपको...

श्री ललन कुमार : नक्शा मेरे पास है लेकिन...

अध्यक्ष : मैं वोट के लिए पुट करूं ?

श्री ललन कुमार : नहीं, नहीं, हम मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं कि वे दे दें आश्वासन ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ । उनको कहा है मैंने वे दिखवा लेंगे, आपने जब कहा है गंभीर बात है तो वे गंभीरता से लेंगे ।

श्री विजय कुमार ।

क्रमांक–56 : श्री विजय कुमार, स0वि0स0

अध्यक्ष : सुदय जी पढ़िए ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत घाटकुसुम्भा प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र–छात्राओं को 15–20 कि0मी0 की दूरी तय करके जिला मुख्यालय शेखपुरा जाना पड़ता है, उक्त प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधानमंडलीय सत्र के बजट संबोधन में सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक–एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–23 / सुरज / 27.03.2025

क्रमांक–58 : श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत बहुआरा चौक से थाना पातेपुर बाजार होते हुये डुडुआ कस्तुरीसरा चौक तक सड़क का चौड़ीकरण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत पातेपुर प्रखंड के बहुआरा चौक से पातेपुर थाना हॉस्पीटल बाजार होते हुये सुकी तक की लंबाई 11 किलोमीटर है। यह पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 पैकेज नंबर 26(ए) के अंतर्गत संधारित है । पथ की स्थिति अच्छी है । सुकी दोआब पुल से डुडुआ चौक पथांश की लंबाई सवा किलोमीटर है और ये सी0एम0बी0डी0 के तहत संधारित है जिसे शीघ्र पूरा कर दिया जायेगा । पथ की स्थिति संतोषजनक है । डुडुआ चौक से कस्तुरीसरा चौक तक की लंबाई 1.5 किलोमीटर है और यह पथांश ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । सड़क के चौड़ीकरण की दृष्टि से तकनीकी संभाव्यता एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि काफी कंजस्टेड सड़क है, उसको प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण अगले वित्तीय वर्ष में तीन महीना के अंदर करा दें ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : जी महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–59 : श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड के 16 पंचायतों के 113 गांवों के हजारों छात्र–छात्राओं के हित में नावानगर में डिग्री कॉलेज स्थापित करावे ।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधान मंडलीय सत्र के बजट संबोधन में सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक–एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, बस एक अनुरोध है सुन लिया जाए । अनुरोध है कि प्राथमिकता सूची में रखें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाांक–60 : श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0

श्री सुधांशु शेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के हरलाखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड मधवापुर एवं हरलाखी में स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है, जिसके तहत वर्ष 2022–23 में मधवापुर प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय, सलेमपुर में 200 मीटर ट्रैकयुक्त स्टेडियम निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–857563 दिनांक–13.03.2023 द्वारा 01 करोड़ 96 लाख 50 हजार मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं हरलाखी प्रखंड के मौजा–कमतौल थाना सं0–52 में 200 मीटर ट्रैकयुक्त स्टेडियम निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–157545 दिनांक–13.03.2023 द्वारा 01 करोड़ 94 लाख 50 हजार मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनः जिलाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–115 दिनांक–19.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मधवापुर प्रखंड अंतर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय, सलेमपुर का भूमि मानक के अनुरूप पर्याप्त नहीं रहने के कारण राम निरंजन जनता डिग्री महाविद्यालय, मधवापुर के प्रांगण में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु दूसरी भूमि चिन्हित करते हुये प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिस पर समुचित कार्रवाई की जा रही है । जिला पदाधिकारी, मधुबनी के उक्त पत्र से यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि हरलाखी प्रखंड के मौजा–कमतौल थाना सं0–52 में स्टेडियम निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त होने के कारण व्यवहार न्यायालय, बेनीपट्टी द्वारा विवादग्रस्त जमीन पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्राप्त है । तत्पश्चात् जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अंचलाधिकारी, हरलाखी को नये स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । स्थल उपलब्ध होने के उपरांत स्टेडियम निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुधांशु शेखर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–61 : श्री आनन्द शंकर सिंह, स0वि0स0

श्री आनन्दं शंकर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना–औरंगाबाद–हरिहरगंज एन0एच0 139 पथ पर यातायात की अत्यधिकता एवं दुर्घटनाओं को देखते हुये फोरलेन निर्माण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना–औरंगाबाद–हरिहरगंज एन0एच0 139 पथ के लिये चारलेन के मार्गरेखन का स्वीकृति प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया गया था, जिसमें नौबतपुर में चारलेन चौड़ीकरण, अरवल बाईपास फोरलेन, दाउदनगर बाईपास फोरलेन एवं औरंगाबाद बाईपास फोरलेन की स्वीकृति एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी द्वारा दिनांक–28.01.2025 को दी गयी है, जिसका डी0पी0आर0 कार्य प्रगति पर है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जानकारी ले लीजिये, हमलोगों को बताया गया है कि रोहतास से पटना का जो फोरलेन बन रहा है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस–वे । उसके आलोक में औरंगाबाद–पटना को फोरलेनिंग का काम नहीं करना है । यह हमलोगों को जवाब दिया है पदाधिकारियों ने...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आनन्द शंकर सिंह : कृपया करा दिया जाए । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–62 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि जहानाबाद जिला में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद मोदनगंज प्रखंड का कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण जो अब तक नहीं हो सका है, निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत मोदनगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण हेतु बिहार

रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत कुल 4.97 एकड़ भूमि अर्जन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 02 करोड़ 95 लाख 24 हजार 84 रुपये का आवंटन समाहर्त्ता, जहानाबाद को उपलब्ध कराया गया है । रैयतों द्वारा सहमति प्राप्त कर सभी प्रक्रिया का अनुपालन कर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है । विभागीय पत्रांक सं0–3618803 दिनांक–24.01.2025 से जिला पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है । भूमि अर्जन की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत मोदनगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, आग्रह करते हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में उसको स्वीकृत करा दिया जाय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : इस वित्तीय वर्ष में कहां होगा, अगले वित्तीय वर्ष न कहिये ।

अध्यक्ष : इस वित्तीय वर्ष में तो 03 दिन है भाई ।

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय मंत्री जी का विश्वास करते हुये प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–63 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–64 : श्री इजहारूल हुसैन, स0वि0स0

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत एक भी मेडिकल कॉलेज (Medical College) नहीं रहने के कारण यहां के छात्र–छात्राओं को मेडिकल साइंस (Medical Science) की पढ़ाई के लिये पटना, दरभंगा या अन्य जगहों में जाना पड़ता है, छात्र हित में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किशनगंज में करावे ।''

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला में निजी मेडिकल कॉलेज माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज संचालित है एवं किशनगंज जिला के निकटवर्ती जिलों यथा कटिहार में निजी मेडिकल कॉलेज कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार संचालित है एवं पूर्णिया में राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत है । साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान अररिया जिला में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण की घोषणा के आलोक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण हेतु केबिनेट से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वह अपना संकल्प वापस लें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री इजहारूल हुसैन : जी, वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–65 : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला अंतर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड में सरकार की घोषणा के बाद भी प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है । सरकार जल्द से जल्द स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

टर्न–24 / राहुल / 27.03.2025

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का ही लक्ष्य है जिसके तहत वर्ष 2008–09 में जहानाबाद जिले के रत्नी–फरीदपुर प्रखंड में उच्च विद्यालय, सकुराबाद में 400 मीटर ट्रैक युक्त स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । अतः हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, यह सवाल एक साल पहले भी हम सदन में लाये थे और हमने अध्यक्ष महोदय को लिखकर दिया था कि वहां के जिला पदाधिकारी और जिला के लोगों ने जो उत्तर दिया है वह गलत है । वह जहां बताया गया है वह जहानाबाद प्रखंड में है लेकिन...

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी इसको एक बार दिखवा लीजिये । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : जी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । दिखवा लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : ठीक है महोदय ।

क्रमांक–67 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–68 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के रेल परिसर में चहारदिवारी निर्माण के पश्चात् दो भाग में शहर विभक्त हो गया है । इसे जोड़ने के लिए बिहार सरकार, पटना गद्दी चौक से यूनियन टोला के बीच फुट ओवर ब्रिज हेतु भारत सरकार के रेल मंत्रालय को अनुशंसा कर निर्माण कराकर आवागमन बहाल करावे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के रेल परिसर में चहारदिवारी निर्माण के पश्चात् दो भाग में शहर विभक्त हो गया है । इसे जोड़ने के लिए बिहार सरकार, पटना गद्दी चौक से यूनियन टोला के बीच फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराकर आवागमन बहाल किये जाने संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2353, दिनांक–19.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व–मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय...

अध्यक्ष : अब क्या है ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ।

क्रमांक–69 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बेतिया के जमीन महारानी जानकी कुंवर द्वारा दान में दी गयी है जिनके नाम पर वर्ष 2018 तक अस्पताल का नाम महारानी जानकी कुंवर के नाम पर था । अतएव पुनः गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बेतिया का नाम महारानी जानकी कुंवर के नाम से करावे ।'' महोदय, 2018 में डी0एम0सी0एच0 अस्पताल का नाम महारानी जानकी कुंवर के नाम पर था और सरकार का ही नियम है कि तीन कट्ठा से अधिक...

अध्यक्ष : उमाकांत जी बैठ जाइये । जितना लिखा है उससे अधिक मत पढ़िये । बैठ जाइये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया का नामकरण महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री उमाकांत सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–70 : श्री राणा रणधीर, स0वि0स0

श्री राणा रणधीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल प्रखंड के नवादा पंचायत के शेखपुरवा चौक पर पुलिस ओ0पी0 का निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पकड़ीदयाल थाना से शेखपुरवा चौक की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है तथा पताही थाना क्षेत्र से मात्र 4 किलोमीटर है । दोनों पकड़ीदयाल थाना बीट–2, सेक्टर–1 में है । विगत 5 वर्षों में लूट, हत्या, डकैती, अपहरण जैसे जघन्य अपराध की मात्र तीन घटनाएं घटित हुई हैं । निकटतम थाना पकड़ीदयाल एवं पताही के द्वारा अपराध नियंत्रण में है । उपरोक्त के आलोक में संप्रति पकड़ीदयाल प्रखंड के नवादा पंचायत के शेखपुरवा चौक पर पुलिस ओ0पी0 का कोई औचित्य नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राणा रणधीर : एक बात कहकर वापस ले लूंगा कि वह पकड़ीदयाल, पताही और सन्हारा तीनों से दूर है बनाने से अच्छा होगा मैं लगातार कह रहा हूं...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–71 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलांतर्गत करगहर विधान सभा क्षेत्र अवस्थित प्रखंड कोचस/कोचस बाजार जिससे कि हाई स्पीड फोरलेन एन0एच0–319 गुजरता है तथा उक्त फोरलेन एन0एच0–319 पर पटना से मोहनियां तक करीब 160 किलोमीटर पर एक भी ट्रॉमा सेंटर अवस्थित नहीं है । कोचस बाजार एवं परसथुआं बाजार के बीच में एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करावे ।''

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलांतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 319 पर होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित गंभीर मरीजों को आपात चिकित्सकीय सुविधा हेतु कैमूर जिले के मौहनिया में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निविदा प्रक्रियाधीन है । वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 319 पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसथुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस एवं दिनारा संचालित है जहां दुर्घटना संबंधित प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है । साथ ही, सदर अस्पताल, सासाराम को लेवल–3 स्तर के ट्रॉमा सेंटर के रूप में संचालित किया जा रहा है । अतः यहां अलग से

ट्रॉमा सेंटर स्थापित किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संतोष कुमार मिश्र : मैं आग्रह करता हूं भविष्य में इसको कंसीडर किया जाय महोदय...

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संतोष कुमार मिश्र : वापस लेता हूं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–72 : श्री रामचन्द्र प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–73 : श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कमरतोड़ महंगाई को देखते हुए वृद्धा व लाचार लोगों को मिलने वाली पेंशन बिहार सरकार चार सौ रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये करावे ।''

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री मदन सहनी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है, पेंशन की राशि बढ़ाने पर, उस पर सरकार अभी विचाराधीन है । समय आने पर इस पर निर्णय लिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, 13 रुपये से भी कम रोज मिलता है और इतनी महंगाई है । कम से कम एक सौ रुपया...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसमें डिस्कशन नहीं होता है । आप सरकार के जवाब के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री महा नंद सिंह : धन्यवाद महोदय, मैं वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–74 : श्री शमीम अहमद, स0वि0स0

श्री ललित कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, शमीम जी का पत्र आया होगा, देखा जाय ।

उपाध्यक्ष : ललित बाबू आपको अधिकृत किया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के बनकटवा प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण अंचलाधिकारी द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मौजा बनकटवा थाना नं0–22, खाता नं0–02, खेसरा–560/1 पर यथाशीघ्र करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की राय से बैठक की अवधि 05.00 बजे तक विस्तारित की जाती है ।

(सदन की सहमति हुई)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत बनकटवा प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक सं0–1508400, दिनांक–17.01.2023, पत्रांक सं0–3299853, दिनांक–25.10.2024 एवं पत्रांक सं0–3871438, दिनांक–25.03.2025 द्वारा समाहर्ता, पूर्वी चंपारण से भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है । ललित बाबू संकल्प वापस लीजिये।

श्री ललित कुमार यादव : सकारात्मक जवाब है लेकिन जल्द मंगा लें, शीघ्र जमीन का प्रस्ताव मंगवा लें ।

उपाध्यक्ष : आप संकल्प वापस ले लें ।

श्री ललित कुमार यादव : वापस लेता हूं महोदय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–25 / मुकुल / 27.03.2025

क्रमांक–75 : श्री अजय यादव, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–76 : श्री जय प्रकाश यादव, स०वि०स०

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के बेला पंचायत में बोचहा नदी पर मनरेगा द्वारा बनाया गया किसी तरह से काम चलाऊ स्लुइस गेट क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण किसानों के फसलों की सिंचाई कार्य बाधित है इसके स्थान पर एक बड़ा स्लुइस गेट का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है, मैं उसको दिखवा लेता हूं और आवश्कतानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री जय प्रकाश यादव : धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–77 : श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०

श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चिरैया प्रखण्ड के खड़तरी पश्चिमी पंचायत के पटजिलवा गाँव में बूढ़ी गंडक नदी के चैनल पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के जिला संचालन समिति से प्राप्त प्राथमिकता सूची के चिरैया प्रखण्ड के क्रमांक–2 पर 'पटजिलवा गाँव में बूढ़ी गंडक नदी के चैनल पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य पुल की लम्बाई 80 मीटर के नाम से शामिल है। पुल के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार कर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–78 : श्री शकील अहमद खां, स०वि०स०

श्री शकील अहमद खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग की कटवा–चौकी पथ का विस्तार करते हुए पथ निर्माण विभाग की कुरूम–बजरगाँव पथ तक निर्माण करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ कदवा भाया चौकी से कुरूम–बजरगाँव तक पथ की कुल लम्बाई लगभग 45.404 कि०मी० है । वर्तमान में इस 45.404 कि0मी0 के पथ आरेखन पर, पथ निर्माण विभाग का स्वामित्व में 27.18 कि०मी० का है, जो तीन भागों में विभक्त है :–

1. विषांकित पथ आरेखन के 0.00 कि०मी० से 13.18 कि०मी० तक कदवा से चौकी (लम्बाई 13.18 कि०मी०, चौड़ाई 3.75 मी०) पथ ओ0पी0आर0एम0सी0–II के अन्तर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है ।

2. विषयांकित पथ आरेखन के 21.38 कि0मी0 से 25.38 कि०मी० तक कुरूमहाट से गायघट्टा (लम्बाई 38.00 कि०मी०, चौड़ाई 3.75 मी०) पथ का 4.00 कि०मी० का भाग है, जिसका चौड़ीकरण (5.50 मी0) कार्य प्रगति पर है ।

3. विषयांकित पथ आरेखन के 26.904 कि0मी0 से 30.342 कि०मी० एवं 38.842 कि0मी0 से 45.405 कि०मी० तक कुल 10.00 कि०मी० कुरूमहाट बजरगाँव पथ का वह पथांश है, जो ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तानांतरित किया गया है एवं इसका 5.50 मी0 में चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण है। पथ डी0एल0पी0 के अधीन संधारित है तथा पथ की स्थिति अच्छी है ।

शेष ग्रामीण कार्य विभाग का स्वामित्व 14.50 कि0मी0 एवं जल संसाधन विभाग का स्वामित्व 1.30 कि०मी० पथांश पर है । अवशेष 2 पथांशों यथा महानंदा नदी (लम्बाई 1.30 कि0मी०) एवं महानंदा नदी का धार (लम्बाई 1.124 कि०मी०) पर पथ आरेखन को जोड़ने हेतु उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता है । पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0–1548 (एस) दिनांक–25.02.2020 द्वारा ग्रामीण पथों का संधारण ग्रामीण कार्य विभाग ही करेगा ।

श्री शकील अहमद खां : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है लेकिन वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है । महानंदा पर पुल का मामला है ।

उपाध्यक्ष : शकील साहब, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री शकील अहमद खां : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको दिखवा लिया जाय । बहुत दिन हो गया और मुझे एक शेर याद आ गया तो सोचा की सबको एक शेर सुनाऊं । इसमें महासागर की उपमा दी गई है, सरकार को हमलोग महासागर समझते हैं, इकबार का शेर है कि–

''समंदर से मिले प्यासे को शबनम''

शबनम जो है ड्यू है, ओस है, मोती है, आप हैं दरिया ।

''समंदर से मिले प्यासे को शबनम,
रज्जाकी नहीं, बखीली है ये ।''

आपका इतना बड़ा समंदर है कि इन सब प्रस्तावों को मान लीजिए और आगे कहिये कि 'हां' यह हो जायेगा तो बहुत अच्छा लगेगा । मैं इसे वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–79 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स०

श्रीमती मंजु अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत अनुमंडल शेरघाटी को जिला घोषित करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, नये जिलों के सृजन का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचारधीन नहीं है जब नये जिलों के सृजन पर सरकार विचार करेगी तब शेरघाटी पर भी विचार करेगी । अभी माननीय सदस्या से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर जनता से वायदा करके आये थे कि मैं इसको जिला बनाऊंगा ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–80 : श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स०

उपाध्यक्ष : इसे अधिकृत किया गया है श्री राणा रणधीर साहब को ।

श्री राणा रणधीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी प्रखंड अन्तर्गत पी.डब्लू.डी. फतुआ से ग्रामीण कार्य विभाग के नौरंगीया, बहुहरी, झिटकहीया होते हए पथ निर्माण विभाग के फुलवारे सुगौली रेलवे स्टेशन से जोड़ने की कार्रवाई पी.डब्लू.डी. से करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, इस पथ की लम्बाई 10.80 कि०मी० है, जो नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत निर्मित है । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के चौथे वर्ष में है तथा पथ की स्थिति अच्छी है और जो दूसरी पथ की चर्चा माननीय सदस्य ने की है उसकी लम्बाई 2.00 कि०मी० है, जो एम0एम0जी0एस0यू0वाई0 अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत है एवं निविदा की प्रक्रिया में है । निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 26.03.2025 है। तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । अभी पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण करने का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया है ।

श्री राणा रणधीर : उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट जवाब के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–81 : श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०

श्री ललित कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल दरभंगा के पथ, कटमा से विदेश्वर स्थान सड़क की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, बिदेश्वर स्थान (एन0एच0–527A) से मझौड़ा (एस0एच0–56) तक पथ की कुल लम्बाई 22.40 कि०मी० है ।

बिदेश्वर स्थान से कटमा तक पथ की कुल लम्बाई 8.00 कि०मी० एवं पथ परत की चौड़ाई 3.75 मी0 है । यह पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 के अन्तर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है ।

कटमा से मझौड़ा तक पथांश की कुल लम्बाई 14.40 कि०मी० एवं पथ परत की चौड़ाई 5.50 मी० है । यह पथ एस0बी0डी0 के तहत डी0एल0पी0 में है एवं पथ की स्थिति अच्छी है ।

संसाधन की उपलब्धता के आधार पर चौड़ीकरण पर विचार किया जायेगा । कुल 8 कि0मी0 का सिंगल लेन है, उसको भविष्य में चौड़ीकरण का विचार किया जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : उध्यक्ष महोदय, एक....

उपाध्यक्ष : ललित बाबू, माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया है ।

श्री ललित कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ये उसी पथ का ये 14 कि0मी0 चौड़ीकरण कर दिये हैं, ये बोल रहे हैं 7 कि0मी0 का संसाधन की उपलब्धता पर करेंगे तो हम चाहेंगे अगले वित्तीय वर्ष ये करवा दें एक ही पथ 14 कि0मी0 कर दिये हैं और 7 कि0मी0 छोड़ दिये हैं और वह हाइवे को, फोरलेन को जोड़ती है उसको छोड़ दिये हैं तो इसका क्या औचित्य है ? हम सकारात्मक जवाब के आलोक में हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–82 : श्री सुनील मणि तिवारी, स०वि०स०

श्री सुनील मणि तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मोतिहारी जिलान्तर्गत अरेराज स्थित सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय को 80 कि०मी० दूर स्थित विद्युत डिवीजन कार्यालय चकिया से हटाकर पूर्व की तरह 30 कि०मी० पर स्थित मोतिहारी विद्युत डिवीजन कार्यालय से टैग कराकर जनहित में अरेराज में नया डिवीजन खोलकर आम जनता को लाभ पहुँचावे ।''

टर्न–26 / यानपति / 27.03.2025

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उपभोक्ताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लि0, पटना के संकल्प संख्या 261, दिनांक–28.01.2019 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के क्षेत्रांतर्गत कई नये विद्युत आपूर्ति अंचल प्रमंडल, अवर प्रमंडल का चयन किया गया है । उक्त संकल्प द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी का पुनर्गठन करते हुए दो भागों में विभाजित किया गया यथा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मोतिहारी और विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, चकिया साथ ही विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, अरेराज को नवसृजित विद्युत

आपूर्ति प्रमंडल, चकिया के अंतर्गत संबद्ध किया गया है । वर्णित परिस्थितियों में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, अरेराज को पूर्व की तरह विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी से संबद्ध किए जाने अथवा अरेराज में नये विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय सृजन किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुनील मणि तिवारी : माननीय मंत्री जी, हम तो वापस ले रहे हैं लेकिन वह बहुत दूर है 80 कि0मी0 । 30 कि0मी0 मोतिहारी है, जिससे जनता को लाभ होगा ।

उपाध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन की सहमति से वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार, माननीय सदस्य श्री महानंद सिंह प्राधिकृत हैं । अपना संकल्प पढ़ें ।

क्रमांक–83 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0

श्री महा नंद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना से औरंगाबाद, राजहरा तक जानेवाली राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–139) 2 लेन सड़क को 4 लेन सड़क में परिवर्तित करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसका उत्तर हमने दिया था । पटना–औरंगाबाद–हरिहरगंज एन0एच0–139 पथ के 4 लेन मार्ग आरेखन की स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को समर्पित किया गया था, जिसमें नौबतपुर में 4 लेन चौड़ीकरण, अरवल में बाईपास 4 लेन, दाउदनगर बाईपास 4 लेन, औरंगाबाद बाईपास 4 लेन की स्वीकृति एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी द्वारा दिनांक–28.01.2025 को दी गई है इसका डी0पी0आर0 कार्य प्रगति पर है ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, जब तक डिवाइडर नहीं बनेगा, 4 लेन बनने के बाद डिवाइडर बनेगा, पटना–औरंगाबाद में 690 लोगों की मौत हो गई है एक्सिडेंट में । वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–84 : श्री राम सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–85 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

श्री अजीत शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर से ग्रीन फील्ड नीति के तहत देश के अन्य भागों के लिए हवाई सेवा वित्तीय वर्ष 2025–26 में शुरू किए जाने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, केंद्र सरकार ने अपना 2025–26 का जो बजट दिया है उसमें माननीय सदस्य ने भी सुना होगा कि उसमें बिहार में ग्रीन फील्ड

एयरपोर्ट डेवलप करने में मदद करने का भरोसा दिया है और उसमें भागलपुर के संबंध में प्री फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए बिहार सरकार ने एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया को लिख दिया है, वह उसकी स्टडी कर रहे हैं, सर्वेक्षण के बाद उसमें फैसला लिया जायेगा । अभी माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया है । आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अजीत शर्मा : पहले इसको जल्द से जल्द कराने का कर दें । वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–86 : श्री विजय सिंह, स0वि0स0

श्री विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत काढ़ागोला घाट से पीरपैती घाट तक गंगा नदी पर पुल नहीं रहने के कारण लोगों को 123 कि0मी0 दूरी तय कर पीरपैती एवं कहलगांव जाना पड़ता है, पुल बनने से काढ़ागोला से पीरपैती की दूरी मात्र 10 कि0मी0 होगी, अतएव उक्त स्थान पर गंगा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलांतर्गत विषयांकित स्थल के अपस्ट्रीम में 65 कि0मी0 की दूरी पर गंगा नदी पर 2 लेन का विक्रमशिला सेतु स्थित है एवं वर्तमान में इसके समानांतर 4 लेन उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन है तथा डाउन स्ट्रीम में लगभग 45 कि0मी0 की दूरी पर दो राज्यों को जोड़ने हेतु साहबगंज से मनिहारी के बीच में गंगा नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन है । संसाधन एवं उपलब्धता के अनुरूप भविष्य में इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया है, आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री विजय सिंह : जी महोदय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

क्रमांक–87 : श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहारीगंज विधान सभा (मधेपुरा) के अंतर्गत एस0एच0–91 विशनपुर से निकलने वाली मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क पथ जो भाया ताराहरी सरौनी तक एवं भाया ताराहरी से झलारी तक एन0एच0–106 में मिलने वाली पथ मात्र 12 फीट 4 इंच का रहने के कारण आम जनतागण को आवागमन में काफी कठिनाइयों के मद्देनजर सरकार उक्त पथ का चौड़ीकरण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ की कुल लंबाई 6 कि0मी0 है जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग का दो पथ है जिसमें एक पथ है हरिहर सिंह विशनपुर के घर से गंगौरा जानेवाली पथ लंबाई 2.40 कि0मी0 है जिसकी अनुरक्षण अवधि 2024 में समाप्त हो गया है । पथ में आवागमन ठीक है एवं दूसरा पथ पी0एम0जी0एस0वाई0–2 से निर्मित विशनपुर तरारी रंगौटा पथ जिसकी लंबाई 4.5 कि0मी0 है जो चतुर्थ अनुरक्षण अवधि में है । वर्तमान में पथ का स्तर ठीक है अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के बाद चौड़ीकरण का कार्य मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : जी बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–88 : श्री सिद्धार्थ पटेल, स0वि0स0

श्री सिद्धार्थ पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली विधान सभा के गोरौल प्रखंड मुख्यालय के निकट से पथ निर्माण विभाग की सड़क गोरौल मथनामल भाया सोन्धो पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गोरौल मथनामल भाया सोन्धो पथ की कुल लंबाई 12.66 कि0मी0 है यह ओ0पी0आर0एम0सी0 के तहत संधारित है । संसाधन की उपलब्ता के आधार पर सड़क के चौड़ीकरण पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सिद्धार्थ पटेल : महोदय, मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–89 : श्री राजेश कुमार सिंह, क्षेत्र सं0–134, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–90 : श्री राजेश कुमार सिंह, क्षेत्र सं0–104, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–91 : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर जी प्राधिकृत हैं । पढ़िए ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के कायमनगर–पटना आरा फोर लेन से आरा शहर के पूरब से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर आरा–मोहनिया फोर लेन पथ जीरोमाईल तक फोर लेन पथ निर्माण कराकर दोनों हाईवे को जोड़े ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : भोजपुर जिलांतर्गत कायमनगर से जीरोमाईल तक 4 लेन का कार्य प्रगति पर है । जीरोमाईल का 4 लेन का कार्य प्रगति यात्रा में घोषणा के उपरांत

94 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राणा रणधीर : सकारात्मक जवाब के आलोक में प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–92 : श्री रामविलास कामत, स0वि0स0

श्री रामविलास कामत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला अंतर्गत सहरसा सुपौल रेलखंड में वीणा से सेमाईर जानेवाली सड़क में कुम्हर टोली वार्ड नं0–01 के समीप रेलवे भूमिगत मार्ग (Under pass) का निर्माण करने की सिफारिश रेल मंत्रालय भारत सरकार से करे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सहरसा सुपौल रंलखंड में वीणा से सेमाईर जानेवाली सड़क में कुम्हर टोली वार्ड नं0–01 के समीप रेलवे भूमिगत मार्ग (अंडर पास) के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–1431, दिनांक–04.03.2025 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टर्न–27 / अंजली / 27.03.2025

क्रमांक–93 : श्री भूदेव चौधरी, स०वि०स०

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह बाँका जिला के रजौन प्रखण्ड से बड़ी आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर और लोक प्रशासन की सुगमता के मद्देनजर नवादा बाजार को अलग करते हुये नये प्रखण्ड का दर्जा दिलावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत कुल 18 पंचायत हैं, जिसकी प्रखंड में मुख्यालय से अधिकतम दूरी दस से बारह किलोमीटर है । ऐसी स्थिति में रजौन प्रखंड से अलग प्रखंड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, भविष्य में अगर इस तरह की चर्चा होगी तो मैं चाहूंगा कि इसको प्राथमिका में लिया जाय ।

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भूदेव चौधरी : जी हाँ । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–94 : श्री प्रफुल्ल कुमार माँझी, स॰वि॰स॰

श्री प्रफुल्ल कुमार माँझी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा एवं ईस्लाम नगर अलीगंज प्रखण्ड का क्षेत्र पहाड़ी, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र है । इस क्षेत्र में वर्षा होने का अनुपात काफी कम है, क्योंकि यह रेन शेडो क्षेत्र में पड़ता है जिसके कारण सिकन्दरा एवं ईस्लाम नगर अलीगंज क्षेत्र की हजारों एकड़ भूमि परती रह जाती है, खेतों की सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुंड घाट जलाशय योजना का कार्य प्रगति में है । दूसरे, अभी तुरंत मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में कुंड जलाशय योजना जो है, उसके पुनर्निमाण, पुनर्स्थापन का कार्य स्वीकृत किया है, उसके तहत कार्य कराया जा रहा है । यह दोनों कार्य पूरा हो जाएगा । कुंड घाट अभी तीन–चार महीने में पूरा हो जाएगा । यह भी अगले वर्ष पूरा हो जाएगा, तब इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी ।

अभी इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रफुल्ल कुमार माँझी : महोदय, आशा के साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–95 : श्रीमती रेखा देवी, स॰वि॰स॰

श्रीमती रेखा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी प्रखंड के देवरिया पंचायत के ग्राम खैनिया के पास पुनपुन नदी में बराज का निर्माण करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यहां पर, उक्त स्थल पर जल उपलब्धता का सर्वेक्षण कराने का हमने आदेश दिया है, अगर जल उपलब्ध होगा तो इस योजना के निर्माण पर विचार किया जाएगा ।

अभी माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्रीमती रेखा देवी : मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपने प्रस्ताव को वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–96 : श्री विनय कुमार चौधरी, स॰वि॰स॰

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पथ निर्माण विभाग नारबांध से मुर्तजापुर पथ का निर्माण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत नारबांध एस.एच.–56 से मुर्तजापुर भाया अरियामपुर शिवराम उफरदाहा तरौनी तक के पथ की कुल लंबाई 7 किलोमीटर है । अधिग्रहण, विभाग पी0एस0 अधिसूचना–2767, दिनांक– 18. 05.2023 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में किया गया है । ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने पर कार्रवाई की जाएगी । उसके उपरांत संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण कार्य कराया जा सकता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार चौधरी : जी महोदय । 2023 में ही हुआ था जल्दी करा दें । प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–97 : श्री अमर कुमार पासवान, स॰वि॰स॰

श्री अमर कुमार पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मुजफ्फरपुर के प्रखंड मुशहरी के शेखपुर माई स्थान जियालाल चौक अहियापुर चौक N.H–57 से राघोपुर साहबाजपुर चौक होते हुये N.H–77 ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर तक जाने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है, उक्त सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह दो सड़कों से संबंधित है । शेखपुर माई स्थान जियालाल चौक अहियापुर चौक पथ, यह पथ निविदा की प्रक्रिया में है । निविदा निष्पादन के उपरांत उक्त पथ की मरम्मती करा ली जाएगी । दूसरा है, अहियापुर चौक एन0एच0–57 से राघोपुर साहबाजपुर होते हुए मीठनपुर चौक एन0एच0–77 तक ये पथ पंचवर्षीय

अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है । पथ अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । इस पथ की स्थिति संतोषप्रद है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमर कुमार पासवान : जी बिल्कुल, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–98 : श्री राजेश कुमार, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विनय कुमार । विनय जी, पढ़िए ।

क्रमांक–99 : श्री विनय कुमार, स॰वि॰स॰

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला, गया–शेरघाटी रोड में दरियापुर से गुरूआ तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ गुरूआ चेरकी भाया बैजुधाम पथ की लंबाई 10 किलोमीटर सिंगल लेन है । संसाधन की उपलब्धता के आधार पर सड़क के चौड़ीकरण पर विचार किया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार : महोदय, एक मिनट । बहुत महत्वपूर्ण है । यह दो जिला को जोड़ता है और...

अध्यक्ष : क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार : मैं ले रहा हूं वापस।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री शिवप्रकाश रंजन । शिवप्रकाश जी, पढ़िए ।

क्रमांक–100 : श्री शिवप्रकाश रंजन, स॰वि॰स॰

श्री शिवप्रकाश रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला अंतर्गत प्रखण्ड अगिआंव के अत्यंत जर्जर बरूना–ननऊर रोड को स्टेट हाईवे के मानक के अनुसार निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अंतर्गत चतुर्थ वर्ष के अनुरक्षण में है । वर्तमान में पथ में ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण पंचवर्षीय अनुरक्षण अंतर्गत प्रावधानित मद एवं मात्रा से पथ का अनुरक्षण नहीं हो पा रहा है ।

अतः इस एकरारनामा को फोरक्लोज करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । फोरक्लोज हो जाने के उपरांत वर्तमान ट्रैफिक के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री शिवप्रकाश रंजन : महोदय, यह बहुत जर्जर है, पिछली बार भी किए थे ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? सकारात्मक जवाब है लेना चाहते हैं वापस ?

श्री शिवप्रकाश रंजन : मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–101 : श्री अनिल कुमार, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–102 : श्री आलोक रंजन, स॰वि॰स॰

श्री आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अन्तर्गत हटियागाछी ढ़ाला, गंगजला ढ़ाला, कचहरी ढ़ाला पर घंटों लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रेल अंडर पास का निर्माण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत हटियागाछी ढ़ाला, गंगजला ढ़ाला, कचहरी ढ़ाला पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–1434, दिनांक–04.03.2025 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आलोक रंजन : महोदय, मैं वापस लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–103 : श्री चन्द्रशेखर, स॰वि॰स॰

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लगातार हो रही हत्यायें एवं लूट सहित अन्य संज्ञेय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अतिशीघ्र पंचायत प्रखंड नगर परिषद एवं जिला मुख्यालयों में बाईक सवार प्रशिक्षित कमांडों को समुचित संख्या में पदस्थापित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, प्रभारी गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल 1001 बीट कार्यरत हैं, पूरे राज्य में कुल 1833 वाहन, 1283 चार चक्का, 550 मोटरसाइकिल, इमरजेंसी रिस्पांस व्हिकल टी0आर0भी0एस0–24 x7 कार्यरत हैं । 550 मोटरसाइकिल पर दो–दो प्रशिक्षित सिपाही हथियार के साथ लगातार पेट्रोलिंग पर नियुक्त हैं । थाना स्तर से चार–चक्का वाहन एवं मोटरसाइकिल पर पदाधिकारी एवं प्रशिक्षित सिपाही द्वारा 24x7 पेट्रोलिंग गश्ती जारी है । उपरोक्त के अलावे ई0आर0एस0एस0 डायल 112 वाहनों पर सवार पुलिस कर्मियों द्वारा गश्ती भी की जाती है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मेरी बात सुन लीजिए । मैं बहुत ही तकलीफ से इस गैर–संकल्प को लाया हूं । गांव की स्थिति बहुत ही खराब है, शराबियों और अपराधियों के हाथ में समाज जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रशेखर : माननीय मुख्यमंत्री जी का...

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि–

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मैं वापस लूंगा...

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लगातार हो रही हत्यायें एवं लूट सहित अन्य संज्ञेय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अतिशीघ्र पंचायत प्रखंड नगर परिषद एवं जिला मुख्यालयों में बाईक सवार प्रशिक्षित कमांडों को समुचित संख्या में पदस्थापित करावे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–104 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी विधान सभा क्षेत्र के जानकीनगर स्टेशन पर गाड़ी सं0–13205–13206 जनहित एक्सप्रेस तथा गाड़ी सं0–18625–18626 कोशी एक्सप्रेस का ठहराव हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुशंसा करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी विधान सभा क्षेत्र के जानकीनगर स्टेशन पर गाड़ी सं0–13205–13206 जनहित एक्सप्रेस तथा गाड़ी सं0–18625–18626 कोशी एक्सप्रेस का ठहराव कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2351, दिनांक– 19.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–105 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–106 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद में रफीगंज विधानसभा के प्रखंड मदनपुर ग्राम पंचायत निमा ऑजन के चरैया विश्रामपुर में केशहर नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस पथ के पुल के निर्माण के बारे में कहा है, इस प्रकार नदी के दोनों तरफ अवस्थित योग्य बसावटों को अलग–अलग पथ से एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । प्रश्नाधीन स्थल पर पुल निर्माण दोहरी सम्पर्कता का मामला है । अतः उक्त स्थल पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से हम आग्रह करेंगे कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : जी, प्रस्ताव वापस तो ले रहे हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–107 : श्रीमती कविता देवी, स0वि0स0

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा प्रखण्ड में बहरखाल पंचायत वार्ड नं0–08 मुख्य सड़क रमेली के पास नहर पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभाग को तो सूचना है कि रमेली के उस जगह पर ग्रामीण कार्य विभाग का एक छोटा पुल निर्मित है। हम दिखवा लेते हैं अगर नहीं होगा तो हम विचार करेंगे । अभी माननीय सदस्या अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहती है ?

श्रीमती कविता देवी : जी, मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–108 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर एवं बांका जिला को जोड़ने वाली भागलपुर के शीतला स्थान चौक से गोराडीह होते हुए कोतवाली चौक तक जाने वाली 17.14 किलोमीटर लंबी पथ पर वाहनों का अत्यधिक दबाव एवं पथ की कम चौड़ाई को देखते हुए जनहित में उक्त पथ को 10 मीटर चौड़ीकरण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित पथांश भागलपुर–अगरपुर–कोतवाली एवं भागलपुर अल्टरनेटिव बाईपास पथ का भाग है । दोनों पथों की चौड़ाई 5.50 मी0 है तथा ये पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 के अधीन संधारित है । संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी । इसी बीच पथांश को जाम मुक्त करने के क्रम में भागलपुर के अल्टरनेटिव बाईपास पथ के शिवपुरी कॉलोनी के नजदीक बॉसी रेलवे लाईन के पुल सं0–02 चैनेज 6.6 कि0मी0 अवस्थित रोड अंडर ब्रिज पर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु पत्रांक–1688,

दिनांक–28.02.2025 द्वारा कुल 125 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है । निविदा निस्तार कर शीघ्र निर्माण कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पवन कुमार यादव : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–109 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार, केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजे कि भारत सरकार की योजना मनरेगा के अंतर्गत ही राज्य के गरीब एवं सीमान्त किसानों को उनके कृषि योग्य भूमि के अनुपात में कृषि कार्य में सहयोगार्थ मनरेगा श्रमिकों की उपलब्धता करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल कार्य हेतु इच्छुक व्यस्कों के द्वारा कार्य की मांग के आलोक में कार्य उपलब्ध कराया जाता है । साथ ही, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 266 प्रकार के कार्यों की सूची के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है तथा उक्त वर्णित कार्य महात्मा गांधी नरेगा के अन्य कार्यों की सूची में शामिल नहीं है । मैं भारत सरकार के माननीय मंत्री से मिला था, पत्र भी लिखकर दिया है । जो माननीय सदस्य संकल्प में लाये हैं उस संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखकर के और मिलकर भी अनुरोध किया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अवधेश सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–110 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के दरियापुर प्रखण्ड 22 पंचायतों का बड़ा प्रखण्ड है, दरियापुर प्रखण्ड अंतर्गत, पंचायत–सुतिहार ककरहट खानपुर मटिहान, प्रतापपुर, फतेहपुर चैन विखभरपुर पिरारी स्व हरिहरपुर पंचायतों को मिलाकर डेरनी को प्रखण्ड मुख्यालय बनावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण से दरियापुर प्रखण्ड के डेरनी को नये प्रखण्ड का दर्जा दिया जाने के संबंध में प्रखण्ड सृजन के औचित्य सहित स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित प्रपत्र में पूर्व प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री छोटे लाल राय : जी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–111 : श्री अवध विहारी चौधरी, स0वि0स0

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में 1980 के बाद अनुदानित डिग्री कॉलेज तथा इंटरमीडिएट कॉलेज का अधिग्रहण या घाटा अनुदानित नहीं किये जाने से अनुदान भी समय से नहीं मिलने के कारण शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की समस्या है । डिग्री कॉलेज तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों का अधिग्रहण या घाटा अनुदानित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अनुदानित विद्यालयों का बकाया अनुदान के भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृतादेश के अनुसार 18.09.2024 को ही 2024–25 में कुल 2,74,60,14,000/– रुपये की निकासी कर आवंटित कर दिया है । उसी तरह डिग्री महाविद्यालयों को आवंटन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024 में भी लगभग 207 करोड़ वितरीत किया जा चुका है । डिग्री महाविद्यालयों की आंतरिक स्रोत की राशि से भी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी को वेतन इत्यादि का भुगतान किया जाता है । भविष्य में किसी भी प्रकार के माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, डिग्री महाविद्यालयों को अधिग्रहण करने या उन्हें घाटा अनुदानित श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अवध विहारी चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भविष्य में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षक हित में, छात्र

हित में कॉन्स्टिच्यूंट कॉलेज करने, जो एफिलिएटिड कॉलेज हैं उसके संबंध में मैं कह रहा हूं चाहे वह डिग्री एफिलिएटिड कॉलेज हो या इन्टरमीडिएट एफिलिएटिड हो या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक हो उसको 1980 के बाद से नहीं लिया गया है । मैंने मांग की है कि उसको कॉन्स्टिच्यूंट किया जाए, जो अच्छे कॉलेज हैं । साथ ही साथ अगर कॉन्स्टिच्यूंट नहीं तो घाटा अनुदान निश्चित दिया जाए ताकि शिक्षकों को जो पढ़ाते हैं उनके भुखमरी की जो स्थिति है उसको निश्चित मदद की जा सके । यही मेरा गैर सरकारी संकल्प है ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अवध विहारी चौधरी : इस आशय के साथ कि सरकार जरूर इस पर विचार करेगी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–112 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न–29 / अभिनीत / 27.03.2025

क्रमांक–113 : श्री प्रहलाद यादव, स0वि0स0

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा विधान सभा क्षेत्र के दो प्रखंडों सूर्यगढ़ा एवं चानन प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण गरीब छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, जबकि सूर्यगढ़ा प्रखंड में 24 पंचायत एवं एक नगर परिषद् है और चानन प्रखंड में 10 पंचायत है, को ध्यान में रखते हुए डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, वर्तमान विधान मंडलीय बजट सत्र के संबोधन में सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं संकल्प वापस ले लेता हूं । इसको प्राथमिकता में रखें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री दिलीप राय ।

क्रमांक–114 : श्री दिलीप राय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमाकं–115 : श्रीमती नीतु कुमारी, स0वि0स0

श्री दिलीप राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड की भांति नवादा जिला के हिसुआ के नरहट प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, वर्तमान विधान मंडलीय बजट सत्र के संबोधन में सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा सरकार ने की है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती नीतु कुमारी : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद । माननीय सदस्य श्री राम सूरत कुमार प्राधिकृत हैं । पढ़िये ।

क्रमांक–116 : श्री नारायण प्रसाद, स0वि0स0

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत चंपारण तटबंध के शिवराजपुर के समीप वर्षों से ध्वस्त छर्की बांध का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जिस ध्वस्त छर्की की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं वह वैज्ञानिक ढंग से नहीं बनाया गया था । जो गंडक का बायां तटबंध है उसके अंदर बना दिया गया था, उसमें भी बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से, इसीलिए ध्वस्त हुआ । फिर उसको बनाया जायेगा ध्वस्त होने के लिए ? इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम सूरत कुमार : मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

क्रमांक–118 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत भरपुर पंचायत के चौसिया ग्राम में चौसिया देवी स्थान से ओमप्रकाश भगत के घर–जवाहर राय के घर होते हुए हरिहरनाथ–पहलेजा पी0डब्लू0डी0 पथ तक सड़क निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य करा दिया जायेगा । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जी महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री राम सूरत कुमार ।

क्रमांक–119 : श्री राम सूरत कुमार, स0वि0स0

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के प्रखंड औराई एवं कटरा में बागमती परियोजना के बांध बनने एवं दोनों बांधों के बीच उपधारा बन जाने के कारण दोनों बांध के बीच लाखों एकड़ जमीन में खेती के कार्य के लिए किसानों का कृषि यंत्र खेतों में नहीं जा पाता है एवं उपजाऊ जमीन बंजर हो चुकी है । उक्त दोनों तटबंधों के बीच बने उपधारा में उपयुक्त स्थल चयन कर 5–6 जगहों पर इस उपधारा में फूट ब्रिज का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, ग्रामीण कार्य के कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं रहने के कारण और मुख्यमंत्री सेतु योजनांतर्गत जिला संचालन समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण अभी विभाग में इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, इसमें जल संसाधन विभाग द्वारा कुछ ऐसा बना दिया जाय कि ट्रैक्टर चला जाय जिससे किसानों की खेती हो जाय । माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखे थे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी से बाद में मिल लीजिएगा । आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम सूरत कुमार : मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

क्रमांक–120 : श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला सीवान के दरौली प्रखंड, जिला मुख्यालय से चालीस किलोमीटर दूर यूपी बॉर्डर पर अवस्थित है । सभी पंचायतों में इंटर कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गयी है । दरौली प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है तथा दरौली प्रखंड में शिक्षा विभाग की जमीन भी उपलब्ध है । दरौली प्रखंड में डिग्री कॉलेज निर्माण हेतु सरकार स्वीकृति प्रदान करे ।"

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि चरणबद्ध तरीके से सभी प्रखंडों में महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, दड़ौली के लिए तो बोल दीजिए ।

अध्यक्ष : उन्होंने तो बोला ही ।

श्री सत्यदेव राम : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा ।

क्रमांक–121 : श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना नगर निगम के वार्ड नं0–45, 46 अंतर्गत भूतनाथ मुख्य पथ से एच0आई0जी0 कॉलोनी कांटी फैक्ट्री (विजय नगर) होते हुए योगीपुर सम्प तक नहर पाटकर सड़क निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित मामले में वर्तमान में कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री रामप्रवेश राय ।

क्रमांक–122 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अमन भूषण हजारी ।

क्रमांक–123 : श्री अमन भूषण हजारी, स0वि0स0

श्री अमन भूषण हजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत कुशेश्वर स्थान विधान सभा क्षेत्र के सतीघाट से राज घाट सड़क जो पथ निर्माण विभाग की है, पथ का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत प्रश्नगत पथांश राजघाट से सतीघाट तक पथ की लंबाई 8 कि0मी0 है । इस पथांश के निर्माण कार्य से संबंधित पूर्व एकरारनामा को विखंडित कर निविदा प्रक्रिया के उपरांत नये संवेदक का चयन कर एल0ए0ओ0 निर्गत किया गया है । एकरारनामा की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमन भूषण हजारी : महोदय, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द सड़क बन जाये । मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा ।

क्रमांक–124 : श्री विनोद नारायण झा, स0वि0स0

श्री विनोद नारायण झा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत बाबूबरही प्रखंड के पिपराघाट पर अवस्थित कमला, बलान एवं सोन नदी का त्रिवेणी संगम है, जिस पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रदेशों, देश नेपाल के लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं एवं साथ ही पांच दिवसीय मेला का आयोजन भी होता है, को पर्यटक की दृष्टि से राज्य सरकार रजकीय मेला घोषित करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलांतर्गत बाबूबरही प्रखंड के सतधारा मोहद्दी पंचायत पिपराघाट त्रिवेणी संगम तक लगने वाले पांच दिवसीय कार्तिक मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार में सम्मिलित करने हेतु समाहर्ता, मधुबनी के पत्रांक– 3399, दिनांक– 06.11.2024 द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है । तदापि उक्त मेले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्ता का विस्तृत उल्लेख नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक– 8659, दिनांक– 26.03.2025 द्वारा समाहर्ता,

मधुबनी से एतद संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी है । समाहर्ता स्तर से उक्त मेले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्ता का विस्तृत विवरण करते हुए प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध होने के उपरांत उक्त मेला को मेला प्राधिकार की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य मेला प्राधिकार में सम्मिलित करने की कार्रवाई सरकारी स्तर पर की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनोद नारायण झा : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास ।

टर्न–30/हेमन्त/27.03.2025

क्रमांक–125 : श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में रसोइयों द्वारा सुबह से शाम तक बच्चों के लिए खाना बनाने, खाना खिलाने एवं बर्तन–वासन करने के काम लगातार 12 महीना करती हैं, इन्हें मेहनताना के रूप में केंद्र व राज्य सरकार ने 12 महीना काम के बदले मात्र 10 महीना का 1650 रुपये भुगतान करती है राज्य सरकार अपने हिस्सा की राशि को बढ़ाये एवं इसे भारत सरकार के लिए कम–से–कम 18 हजार रूपये प्रति महीना भुगतान के लिए सिफारिश करे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मध्याह्न भोजन योजना केंद्र प्रायोजित योजना है । भारत सरकार द्वारा रसोइया–सह–सहायक को एक हजार रूपया प्रति माह की दर से देती है । केंद्रांश की राशि 600 रुपये की है और राज्यांश की राशि 400 है । राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना मद से 650 रूपया राज्य भत्ता के रूप में रसोइया–सह–सहायक के मानदेय में अतिरिक्त वृद्धि की गयी है । इस प्रकार रसोइया–सह–सहायक को वर्तमान में कुल 1650 रुपया मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है । केंद्रांश की बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, अनुरोध किया गया है । केंद्र द्वारा केंद्रांश की राशि बढ़ोतरी की स्थिति में राज्य सरकार भी अग्रेतर कार्रवाई करेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक उत्तर के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गोपाल रविदास : महोदय, कम–से–कम राज्य सरकार तो अपना मानदेय बढ़ा दे ।

अध्यक्ष : आपका जो कहना है उस संबंध में तो सिफारिश की उन्होंने । संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गोपाल रविदास : हमने राज्य सरकार का कहा है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–126 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के शिकारपुर पंचायत के कुचियामोड़ घाट पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण जनहित में शीघ्र करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला संचालन समिति कटिहार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना सूची के क्रमांक 179 पर अंकित है । प्राथमिकता स्वीकृति के उपरांत, निधि की उपलब्धता के आधार पर निविदा के माध्यम से पुल निर्माण कार्य की कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के उत्तर के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री महबूब आलम : महोदय, कराया जाय ।

अध्यक्ष : कराया जायेगा, कहा उन्होंने ।

श्री महबूब आलम : संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–127 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के तरैया, ईशुआपुर, पानापुर और मशरख की जनता के हित में चारों प्रखंडों को मिलाकर मशरख में एक अनुमंडल कार्यालय स्थापित करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार अभी नये अनुमंडलों के सृजन पर विचार नहीं कर रही है, जब करेगी तो मशरख के मामले की भी समीक्षा की जायेगी ।

अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक विषय है कि मशरख का यह विषय बहुत लंबा है । मशरख में प्रखंड एवं अंचल कार्यालय है, निबंधन कार्यालय है..

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर विषय लंबा है, तो लंबे विषय की भी समीक्षा की जायेगी ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ? बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह : विद्युत अनुमंडल कार्यालय है, रेलवे स्टेशन है, केंद्रीय विद्यालय है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।
बैठ जाइये जनक जी ।

(व्यवधान)

शांत रहिये, बैठिये । अरे बैठिये न । मैं बोल रहा हूं, अभी बैठिये न आप ।

(व्यवधान)

अरे, आप बैठिये न । बैठ जाइये ।

कई माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पढ़े गये थे, संकल्प पढ़े गये थे । माननीय मंत्री उस सदन में व्यस्त थे, उनका जवाब नहीं हो पाया था । उनका जवाब अब होगा।

मो0 आफाक आलम ।

क्रमांक–6 : मो0 आफाक आलम, स0वि0स0

अध्यक्ष : जवाब पढ़िये, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जोगबनी से आनंद विहार जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जो पूर्णिया जिला के जलालगढ़, कसबा एवं गड़वनली स्टेशन से होकर गुजरती है। उक्त तीनों स्टेशन में किसी एक स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस का ठहराव कराने हेतु विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक 2107, दिनांक–11.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व–मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मो0 आफाक आलम : बहुत–बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को ।

क्रमांक–9 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : चले गये । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, पढ़ दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सभी प्रमंडलों में क्षेत्राधिकार के न्यूनतम एक–एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है । सासाराम, रोहतास जिला के अन्तर्गत पड़ता है, जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के क्षेत्रान्तर्गत है । वर्तमान में सासाराम में विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–14 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

अध्यक्ष : परिवहन मंत्री जी, पढ़िये जवाब ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैरवा रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से पूर्व अवध असम बरौनी–लखनऊ ट्रेनों का ठहराव था परन्तु कोरोना में इन ट्रेनों का ठहराव रद्द कर दिया गया है जिससे आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है । जनहित में रद्द ट्रेनों के साथ लखनऊ–पाटलीपुत्र ट्रेन का भी ठहराव कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2427, दिनांक–21.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व–मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, हमने डीआरएम को भी चिट्ठी....

अध्यक्ष : स्वीकृत हो गया, बैठ जाइये । अब इस पर डिस्कशन क्या होगा ?

सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–17 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो लघु जल संसाधन का है, लेकिन मंत्री जी से बात हुई है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरे, सुनिये न । क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अब जवाब दें कि..

अध्यक्ष : एकदम दे दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : कहां बुरा मान रहे हैं ? आपकी बातों का बुरा मानने वाला इस सदन में रहेगा ?

महोदय, यह लघु जल संसाधन विभाग को स्थानांतरित है, लेकिन हमने मंत्री जी से बात की है । यह आहर की सफाई की बात है, उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री की योजना है ''हर खेत को सिंचाई का पानी'' उसके तहत वह इसको क्रियान्वित करेंगे।

अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–19 : श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह योजना अभी क्रियान्वित की जा रही है । इसको बंद करने का प्रस्ताव इसलिए नहीं है कि यह 1977–78 की योजना है । 40

किमी बन गया है, कुछ दूर में बाकी है जिसके कारण सैंकड़ों हजारों एकड़ जमीन और कई लाख की आबादी प्रभावित होती है । इसलिए इसको पूरा कर रहे हैं और बाकी जो इन्होंने जो कटाव निरोधक कार्य कराने की बात कही है वह सरकार आवश्यकतानुसार करायेगी।

इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, हजारों गांव डूबेंगे और लाखों....

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं कि पुट करें ?

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : और विस्थापन की समस्या आ जायेगी । तो हम मंत्री जी से कहेंगे कि रिव्यू कमेटी बनाकर उसकी जांच–पड़ताल करा लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–20 : श्री शंकर सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह निर्णय तो सरकार पहले ही ले चुकी है कि तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ले लिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के फैसले से यह बाधित हो गया है । इसीलिए रूका हुआ है, नहीं तो सरकार इसके पक्ष में थी और फैसला ले लिया था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हो गया । बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हां, कई बार दिये हैं । असल में कभी प्रश्न...

(व्यवधान)

कभी–कभी प्रश्न में आता है, कभी ध्यानाकर्षण में आता है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–23 : श्री देवेश कान्त सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, प्रतिमा लगाने की एक विहित प्रक्रिया है, जो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी अनुशंसा करती है और फिर यहां मुख्यालय में कमेटी है जो समीक्षा करती है, तब सरकार निर्णय लेती है । अभी प्रस्ताव नहीं आया है, प्रस्ताव आयेगा तो सरकार विचार करेगी ।

अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–24 : श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, सरकार ने घोषणा की है कि सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक–एक डिग्री खोले जायेंगे ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो एक बार देख लें मंत्री जी । पुराना जवाब ही रिपीट होते जा रहा है ।

अध्यक्ष : जो सच है वही बोला जा रहा है न ।

श्री संदीप सौरभ : सवाल अलग है महोदय । अनुमंडल स्तर पर महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज खोलने की नीति इसमें है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महिलाओं के लिए अलग से डिग्री कॉलेज का प्रावधान है । जब भी खुलेगा, तो कोई एजुकेशनल ही खुलेगा ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संदीप सौरभ : महोदय, हमने कहा कि..

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संदीप सौरभ : वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–31/धिरेन्द्र/27.03.2025

क्रमांक–27 : श्री प्रणव कुमार, स०वि०स०

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमालपुर–भागलपुर रेल खंड पर ऋषिकुंड हाल्ट के पास आर०ओ०बी० नहीं होने के कारण रेलवे पटरी के दोनों तरफ की आबादी का रेल पटरी पार करने के कारण दुर्घटनाएँ होती है फरवरी, 2025 में ही तीन लोगों का रेल से कट जाने के कारण मृत्यु हो गई है ऋषिकुण्ड हाल्ट के पास आर०ओ०बी० बनाकर भविष्य में होने वाली घटना को रोकने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2380, दिनांक–20.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्वीकृत हो गया ।

क्रमांक–32 : श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स०

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके पक्कीकरण की योजना तो नहीं है लेकिन नहर का पुनर्स्थापन करा कर नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा दी

जायेगी । इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय जल संसाधन मंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–40 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स॰वि॰स॰

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय मंत्री, क्रमांक–40, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड में मझिआँव से अंकोड़ा पथ में अंकोड़ा फाटक के पास एवं बारूण प्रखण्ड में बारूण–दाउदनगर पथ में सोन नगर अण्डरपास के रेलवे लाइन के ऊपर आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण कराने संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2354, दिनांक–19.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्वीकृत हो गया ।

क्रमांक–46 : श्री कुंदन कुमार, स॰वि॰स॰

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले से राजस्व के रूप में 08 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । बेगूसराय को जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड के तर्ज पर प्राप्त राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन इन्होंने जो कहा है इसको जाँच करा लेता हूँ और माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, केवल आई॰ओ॰सी॰एल॰ रिफायनरी से सेस के रूप में बिहार सरकार को 08 हजार करोड़ रुपया मिलता है और बेगूसराय....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुंदन कुमार : महोदय, बेगूसराय की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है । वहाँ के लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड....

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? उन्होंने कहा है कि देखेंगे उसको ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, ठीक है । मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–47 : श्री अख्तरूल ईमान, स॰वि॰स॰

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मूल रूप से तो यह केन्द्र सरकार के क्षेत्राधीन मामला है लेकिन ये सुरजापूरी मुस्लमानों के हित में केन्द्र सरकार से बात कर एक सुविधा दी गई है कि जो केन्द्र सरकार के ओ॰बी॰सी॰ की लिस्ट में नहीं है लेकिन राज्य सरकार के बी॰सी॰–1 या बी॰सी॰–2 की लिस्ट में है वह ई॰डब्लू॰एस॰ जो मूल रूप से सामान्य जातियों के लिए है, उसके तहत ये सुविधा ले सकते हैं, उस श्रेणी में आरक्षण ये भी ले सकते हैं, इसकी सुविधा करायी गयी है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अख्तरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मसला यह है कि सरकार से सिर्फ यह गुजारिश है कि ओ॰बी॰सी॰ कमीशन को भेज दे, बिहार सरकार से प्रस्ताव भेजना है, सिफारिश करनी है ।

अध्यक्ष : सरकार ने विस्तृत जवाब दिया है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, दूसरा मामला, एक मिनट, ई॰डब्लू॰एस॰ का मामला है....

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, ई॰डब्लू॰एस॰ वाला मामला हमारे बायसी अनुमंडल में एस॰डी॰ओ॰ नहीं कर रहा है....

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार जिलों में बसे सुरजापूरी मुस्लिम को केन्द्रीय ओ॰बी॰सी॰ सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को सिफारिश भेजे ।"

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अभी भी मौका है संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, ई॰डब्लू॰एस॰ नहीं किया जा रहा है.....

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार जिलों में बसे सुरजापूरी मुस्लिम को केन्द्रीय ओ॰बी॰सी॰ सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को सिफारिश भेजे ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, यह तो एकतरफा बात हो जायेगी । ये तो फिर हमलोगों के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं हुआ । हम कह रहे हैं कि ई॰डब्लू॰एस॰ एस॰डी॰ओ॰ ने कैंसिल कर दिया है बायसी प्रखण्ड का...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अगर कैंसिल किया है तो दीजिये, जब हम कह रहे हैं तो हम उसको दिखवायेंगे । बिल्कुल दीजिये ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया जाये ।

क्रमांक–98 : श्री राजेश कुमार, स॰वि॰स॰

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद के चतरा भाया नवीनगर, टंडवा, रामनगर महाराजगंज एस॰एच॰ के॰एम॰ पथ को राजकीय उच्च पथ (एस॰एच॰) में सम्मिलित करा कर निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो स्टेट हाइवे में सम्मिलित कराने का है । अभी सरकार इस पर विचार करेगी । जब नये स्टेट हाइवे का निर्माण करने की योजना आयेगी तो सरकार आपके प्रस्ताव पर विचार करेगी । अभी आपसे आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजेश कुमार : जी, महोदय । मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

अब गैर–सरकारी संकल्प समाप्त हुआ । माननीय सदस्यगण...

(व्यवधान)

बैठ जाइये, अब नहीं । बैठ जाइये, सब का हो गया । माननीय सदस्यगण, इससे पहले की सत्र का समापन करूं इस सत्रावधि में कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है । जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है ।

(व्यवधान)

बैठिये । हो गया, मंत्री जी ने जवाब दिया था, आप नहीं थे । बैठिये, आप रहेंगे गायब और मंत्री जी जवाब बार–बार देंगे ? बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शोक प्रस्ताव हो रहा है । बैठ जाइये । स्व॰ ओमप्रकाश पासवान ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री, शांत रहिये । शोक प्रकाश हो रहा है, शांत रहिये ।

शोक प्रकाश

स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री ओम प्रकाश पासवान का निधन दिनांक 04 मार्च, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 69 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय पासवान पटना जिला के फतुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2003 के उप चुनाव में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे कर्मठ एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, बात नहीं कीजिये । बीच में बोलिये नहीं, शोक प्रस्ताव हो रहा है ।

स्वर्गीय उदय कांत चौधरी

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री उदय कांत चौधरी का निधन दिनांक 07 मार्च, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 75 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय चौधरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

स्वर्गीय चितरंजन कुमार

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री चितरंजन कुमार का निधन दिनांक 26 मार्च, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 52 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय कुमार अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे कर्मठ एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

अध्यक्ष : मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

टर्न–32/संगीता/27.03.2025

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र दिनांक–28.02.2025 से प्रारंभ होकर आज दिनांक–27.03.2025 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल– 18 (अठारह) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक–28.02.2025 को माननीय राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में संबोधित किया गया एवं अन्य बैठकें सभावेश्म में हुईं । सप्तदश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 05 (पांच) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति भी सदन पटल पर रखी गयी । इस सत्र में कुल–13 (तेरह) जननायकों के निधन के प्रति शोक प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजली अर्पित की गयी ।

दिनांक–03 मार्च, 2025 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक–03 एवं 04 मार्च, 2025 को वाद–विवाद हुआ और 04 मार्च को ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया । तत्पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक–05 एवं 06 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श हुआ और दिनांक–06 मार्च, 2025 को माननीय मंत्री, वित्त विभाग, उप मुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया । दिनांक–06 मार्च, 2025 को ही प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक–10 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2024–25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद प्रारंभ हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगें गिलोटीन

(मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात् संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक–18 मार्च, 2025 को नियम समिति की अनुशंसा पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के कतिपय नियमों में आवश्यक संशोधन किये गये ।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक से संबंधित 08 (आठ) अनुदानों की मांगें सदन में विमर्श के उपरांत स्वीकृत हुए एवं दिनांक–21 मार्च, 2025 को आय–व्ययक में सम्मिलित शेष अनुदानों की मांगें गिलोटिन (मुखबंध) के द्वारा स्वीकृत हुए ।

दिनांक–24 मार्च, 2025 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेंडर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी एवं दिनांक–24 मार्च, 2025 को ही वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 का व्यवस्थापन हुआ ।

दिनांक–25 मार्च, 2025 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का–31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021–22 के प्रतिवेदन ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल'' एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखा गया तथा प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने पूर्व जनता में बिक्री के लिये प्राप्य हो का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :–

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2025
2. बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025
3. बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025
4. बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025

दिनांक–25 मार्च, 2025 को ही संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5वां) ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू करने के निमित राजकीय संकल्प को सभा द्वारा अंगीकार किया गया ।

सत्र के दौरान कुल 3857 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 2944 प्रश्न स्वीकृत हुए । इन स्वीकृत 2944 प्रश्नों में कुल–20 अल्पसूचित प्रश्न थे, जिनमें 18 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए, कुल 2639 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 2400 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 285 प्रश्न अतारांकित हुए । सरकार की संवेदनशीलता से लगभग सभी विभागों ने प्रश्नों का शत–प्रतिशत उत्तर दिया ।

इस सत्र में कुल 278 ध्यानाकर्षण सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें 29 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 227 सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये, 05 सूचनाएं व्यपगत हुई तथा 17 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल 622 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 616 स्वीकृत हुए एवं 06 अस्वीकृत हुए । कुल 344 याचिकायें प्राप्त हुई, जिनमें 311 स्वीकृत एवं 33 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल 271 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रिगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष–प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिये वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब बिहार गीत होगा, कृपया अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(बिहार गीत)

कृपया बैठ जाएं । अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

अब सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।